



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,  
क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक – 422007  
**CENTRAL BANK OF INDIA,**  
**REGIONAL OFFICE, NASIK – 422007**

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,  
क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक – 422007  
**Request for Proposal (RFP)**  
**(RO/RCC/2025-26/01 dated 26/08/2025)**

नासिक क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं और कार्यालयों में कंप्यूटर  
हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध  
(एएमसी) के लिए  
Annual Maintenance Contract (AMC) of Computer  
Hardware and Peripherals at Branches & Offices under  
Nasik Region

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

महत्वपूर्ण तिथियां

आरएफपी प्रारंभ तिथि	26 अगस्त 2025
बोली-पूर्व प्रश्नों की अंतिम तिथि और समय	6 सितंबर 2025, दोपहर 12:00 बजे
बोली-पूर्व बैठक	8 सितंबर 2025, दोपहर 12:00 बजे
बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय	22 सितंबर 2025, दोपहर 12:00 बजे
योग्य बोली (अर्थात तकनीकी बोली) खोलने की तिथि और समय	22 सितंबर 2025, दोपहर 12:00 बजे
वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि और समय	22 सितंबर 2025, दोपहर 3:00 बजे
बोलियां खोलने का स्थान	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द्वितीय तल, क्षेत्रीय कार्यालय, पी-63, एमआईडीसी सतपुर, नासिक – 422007
संचार के लिए पता	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द्वितीय तल, क्षेत्रीय कार्यालय, पी-63, एमआईडीसी सतपुर, नासिक – 422007 ईमेल आईडी <a href="mailto:rcnasiro@centralbank.co.in">rcnasiro@centralbank.co.in</a>
आरएफपी दस्तावेज लागत (वापसी योग्य नहीं)	₹ 2,000/- (केवल दो हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में नासिक में देय।
ईएमडी राशि (वापसी योग्य)	₹ 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में नासिक में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में।
लिफाफों की संख्या	दो (2) लिफाफे. ➤ लिफाफा 1 जिसमें शामिल है: तकनीकी बोली + आरएफपी दस्तावेज लागत + ईएमडी राशि। ➤ लिफाफा 2 जिसमें: वाणिज्यिक बोली

टिप्पणी:-

- ऊपर बताई गई बोली प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त कोई भी बोली बैंक द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। एक बार प्रस्तुत की गई बोलियों को अंतिम माना जाएगा और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- बोलीदाता को एमएसएमई जैसी कंपनियों/फर्मों के लिए लागू निविदा दस्तावेज शुल्क/निष्पादन गारंटी, यदि कोई हो, से छूट का दावा करने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम निविदा दस्तावेज निःशुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं तथा वैध एमएसएमई प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर उन्हें बयाना राशि जमा करने से भी छूट दी जाती है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

**Important Dates**

RFP Commencement Date	26 <sup>th</sup> August 2025
Last Date and Time Pre Bid Queries	6 <sup>th</sup> September 2025, 12:00 PM
Pre Bid Meeting	8 <sup>th</sup> September 2025, 12:00 PM
Last Date and Time for Submission of Bid	22 <sup>nd</sup> September 2025, 12:00 PM
Date and Time of Eligible Bid (i.e. Technical Bid) Opening	22 <sup>nd</sup> September 2025, 12:00 PM
Date and Time of Commercial Bid opening	22 <sup>nd</sup> September 2025, 03:00 PM
Place of Opening of Bids	Central Bank of India, 2 <sup>nd</sup> Floor, Regional Office, P-63,MIDC Satpur, Nasik – 422007
Address for Communication	Central Bank of India, 2 <sup>nd</sup> Floor, Regional Office, P-63,MIDC Satpur, Nasik – 422007 Email – Id <a href="mailto:rccnasiro@centralbank.co.in">rccnasiro@centralbank.co.in</a>
RFP Document Cost (Non-refundable)	₹ 2,000/- (Rupees Two Thousand Only) in the form of Demand Draft in favour of Central Bank of India payable at Nasik.
EMD Amount (Refundable)	₹ 50,000/- (Rupees fifty Thousand Only) in the form of Demand Draft in favour of Central Bank of India payable at Nasik.
No. Of Envelopes	Two (2) Envelopes. ➤ <b>Envelope 1 containing:</b> Technical Bid + RFP Document Cost + EMD Amount. ➤ <b>Envelope 2 containing:</b> Commercial Bid

**Note:-**

- Any bid received after last date and time of the receipt of bids prescribed as mentioned above, will not be accepted by the Bank. Bids once submitted will be treated as final and no further correspondence will be entertained on this.
- Bidder to submit all relevant documents in support to claim eligible exemption from the tender document fee / Performance Guarantee, if any, applicable for Company / Firms such as MSMEs.
- In accordance with Government of India guidelines, Micro and Small Enterprises are eligible to get tender documents free of cost and also exempted from payment of earnest money deposit upon submission of valid MSME certificate copy.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

संकेताक्षर की सूची

List of abbreviations

एमसी	वार्षिक रखरखाव अनुबंध	AMC	Annual Maintenance Contract
एटीएस	वार्षिक तकनीकी सहायता	ATS	Annual Technical Support
बीओएम	सामग्री का बिल	BOM	Bill of Material
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान	CBS	Core Banking Solution
सीजीएसटी	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	CGST	Central Goods AND Services Tax
सीओ	केंद्रीय कार्यालय	CO	Central Office
सीएसपी	क्लाउड समाधान प्रदाता	CSP	Cloud Solution Provider
डीसी	डाटा सेंटर	DC	Data Centre
डीआरसी	आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र	DRC	Disaster Recovery Centre
ईएमडी	बयाना राशि	EMD	Earnest Money Deposit
एफ़वार्ड	वित्तीय वर्ष	FY	Financial Year
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर	GST	Goods and Services Tax
जीएसटीआ	माल और सेवा कर रिटर्न	GSTR	Goods and Services Tax Return
आईजीएसटी	अंतरराज्यीय माल और सेवा कर	IGST	Interstate Goods and Services Tax
आईटीआर	इनपुट टैक्स क्रेडिट	ITR	Input Tax Credit
जेवी	संयुक्त उद्यम	JV	Joint Venture
एलओआई	आशय का पत्र	LOI	Letter of Intent
ओईएम	मूल उपकरण निर्माता	OEM	Original Equipment Manufacturer
पीबीजी	प्रदर्शन बैंक गारंटी	PBG	Performance Bank Guarantee
पीओ	क्रय आदेश	PO	Purchase Order
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध	RFP	Request for Proposal
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय	RO	Regional Office
एसजीएसटी	राज्य माल और सेवा कर	SGST	State Goods and Services Tax
एसएलए	सेवा स्तर समझौता	SLA	Service Level Agreement
टीसीओ	मालिकाने की कुल कीमत	TCO	Total Cost of Ownership
ज़ेडओ	आंचलिक कार्यालय	ZO	Zonal Office

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

<b>अंतर्वस्तु Contents</b>	
1. परिचय Introduction	7
2. पात्रता मापदंड Eligibility Criteria	7
3. दर अनुबंध का दायरा Scope of Rate Contract	8
4. रखरखाव मानक Maintenance Standards	15
5. उन्नयन विवरण और परिवर्तन Escalation Details and Changes	17
6. सॉफ्टवेयर सहायता Software Support	19
7. त्रैमासिक निवारक रखरखाव Quarterly Preventive Maintenance	19
8. निविदा प्रक्रिया Tender Process	19
9. तकनीकी प्रस्ताव (TO) Technical Offer (TO)	21
10. सांकेतिक वाणिज्यिक प्रस्ताव (सीओ) Indicative Commercial Offer (CO)	23
11. देर से बोली Late Bids	23
12. विलोपन या परिवर्तन Erasures or Alterations	23
13. क्षेत्राधिकार खंड Jurisdiction Clause	23
14. वैधता अवधि Validity Period	23
15. प्रस्ताव खोलना Opening of Offers	23
16. मूल्यांकन प्रक्रिया Evaluation Process	25
17. वाणिज्यिक मूल्यांकन प्रक्रिया Commercial Evaluation Process	25
18. न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं No Commitment to Accept Lowest or Any Tender	25
19. अनुबंध आवंटित करना Award of Contract	25
20. बोली की अस्वीकृति Rejection of Bid	27
21. अनुबंध की समाप्ति Termination of Contract	27
22. क्षतिपूर्ति और देयता की सीमा Indemnity & Limitation of Liability	29
23. परिसमापन हर्जाना Liquidated Damages	31
24. गोपनीयता Confidentiality	33
25. अप्रत्याशित घटना Force Majeure	33
26. अनुबंध, एसएलए और एनडीए का निष्पादन Execution of Contract, SLA and NDA	33
27. गोपनीयता और सुरक्षा उपाय Privacy and security safeguards	35
28. शासन कानून और क्षेत्राधिकार Governing Law and Jurisdiction	35
29. कानूनों का अनुपालन Compliance with Laws	35
30. शर्तों का उल्लंघन Violation of terms	35
31. भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार Corrupt and Fraudulent Practices	37
32. अनुबंध पर हस्ताक्षर Signing Of Contract	37
33. प्रदर्शन बैंक गारंटी Performance Bank Guarantee	37
34. सामान्य हालत General Condition	39
35. न्यूनतम मजदूरी Minimum Wages	41
36. संपत्ति विवरण Asset Details	41
37. सम्पर्क करने का विवरण Contact Details	41
38. जांच सूची Checklist	43
39. अनुलग्नक-1 अनुरूपता पत्र Annexure-1 Conformity Letter	45
40. अनुलग्नक-2 पात्रता मानदंड Annexure-2 Eligibility criteria	47
41. अनुलग्नक-3 वचन पत्र	51

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

Annexure-3 Undertaking letter	
42. अनुलग्नक-4 बोलीदाता की जानकारी Annexure-4 Bidder's Information	53
43. अनुलग्नक-5 संदर्भ स्थलों के अनुसार इंजीनियर का विवरण Annexure-5 Engineer details as per Reference Sites	55
44. अनुलग्नक-6 ग्राहक संदर्भ की सूची Annexure-6 List of Customer Reference	57
45. अनुलग्नक-7 वाणिज्यिक बोली Annexure-7 Commercial Bid	59
46. अनुलग्नक-8 आरएफपी की शर्तों की स्वीकृति के लिए वचनबद्धता Annexure-8 Undertaking for acceptance of terms of RFP	61
47. अनुलग्नक-9 सत्यनिष्ठा संधि Annexure-9 Integrity Pact	63
48. अनुलग्नक-10 गैर-प्रकटीकरण समझौता Annexure-10 Non-Disclosure Agreement	71
49. अनुलग्नक-11 प्रदर्शन बैंक गारंटी Annexure-11 Performance Bank Guarantee	77
50. अनुलग्नक-12 व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशानिर्देश Annexure-12 Guidelines on banning of business dealing	81

## सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

### 1 परिचय

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) का केंद्रीय कार्यालय चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – (400021) में और क्षेत्रीय कार्यालय पी-63, एमआईडीसी सतपुर, नासिक 422007 में है। बैंक की देश भर में लगभग 4608 शाखाएँ हैं। नासिक क्षेत्र भौगोलिक रूप से तीन जिलों नासिक, धुले और नंदुरबार में फैला हुआ है।

क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक नासिक, धुले और नंदुरबार जिलों में फैले नासिक क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं / कार्यालयों में विभिन्न डेस्कटॉप, प्रिंटर और स्कैनर (विभिन्न मेक / मॉडल) के लिए एएमसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित विक्रेताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

### 2. पात्रता मानदंड

क्र. सं.	पूर्व-योग्यता मानदंड	दस्तावेज़ी प्रमाण
1	बोलीदाता को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत पंजीकृत कंपनी होना चाहिए और आज की तारीख तक भारत में कम से कम 3 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए।	कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र की प्रति और बोलीदाता के पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता।
2	बोलीदाता के पास सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए बोली प्रस्तुत करने के समय उपलब्ध ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में ₹ 2 करोड़ का वार्षिक कारोबार होना चाहिए।	पिछले तीन वित्तीय वर्षों की प्रासंगिक लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की प्रतियां बोली के साथ प्रस्तुत की जाएंगी।
3	बोली प्रस्तुत करते समय उपलब्ध ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में परिचालन लाभ अर्जित किया होगा।	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के प्रासंगिक लाभ और हानि विवरण की प्रतियां बोली के साथ प्रस्तुत की जाएंगी।
4	बोलीदाता के पास बैंकिंग उद्योग में ग्राहक सहायता सेवाओं के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बोलीदाता वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कम से कम दो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या सरकारी विभागों के साथ समान एएमसी अनुबंधों में संलग्न होना चाहिए।	ग्राहकों से संतोषजनक निष्पादन प्रमाण पत्र/क्रय आदेश प्रस्तुत किया जाएगा।
5	बोलीदाता के पास आयकर पैन, टिन नंबर, जीएसटी नंबर और नवीनतम क्लियरेंस प्रमाणपत्र होना चाहिए। बोलीदाता पर कर भुगतान का कोई बकाया नहीं होना चाहिए।	पैन कार्ड, टिन नंबर, जीएसटी प्रमाणपत्र और नवीनतम आयकर रिटर्न (वित्त वर्ष 2024-25) की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करनी होंगी।
6	बोलीदाता आईएसओ प्रमाणन वाली फर्म/कंपनी होगी	प्रमाण पत्र की प्रति
7	बोलीदाता को किसी भी सरकारी प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा समर्थन/सेवाओं की कमी और कदाचार के कारण काली सूची में नहीं डाला गया होगा।	बोलीदाता के लेटर हेड पर यह वचनबद्धता कि बोली प्रस्तुत करने की तिथि तक उन्हें किसी भी सरकारी प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। (अनुलग्नक-3)
8	बोलीदाता के पास उन शहरों में पर्याप्त संख्या में तकनीकी सहायता कर्मचारी/सेवा केंद्र आधार मौजूद होना चाहिए जहां नासिक क्षेत्र की शाखाएं/कार्यालय स्थित हैं।	सहायता केन्द्रों के अस्तित्व का प्रमाण तथा फोन नंबर सहित जनशक्ति का विवरण संलग्न करना होगा।

**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक**

9	बोलीदाता ऐसी कंपनी/फर्म होगी जो वर्तमान में भारत में कम से कम एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ एएमसी सेवाएं प्रदान कर रही हो।	ग्राहकों से संतोषजनक निष्पादन प्रमाण पत्र/क्रय आदेश प्रस्तुत किया जाएगा।
10	बोलीदाता एक कंपनी/फर्म होगी जिसका महाराष्ट्र में उचित कार्यालय पता हो और उसके सभी कर्मचारियों को ईएसआईसी/पीएफ सुविधाएं उपलब्ध हों।	पते के प्रमाण के लिए - कार्यालय का पता दर्शाने वाला जीएसटी प्रमाणपत्र/ दुकान स्थापना प्रमाणपत्र/ किराया समझौता/ स्वामित्व दस्तावेज + उपयोगिता बिल (जैसे बिजली बिल)पीएफ - ईएसआईसी/ईपीएफओ पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए
11	यदि पिछले दो वर्षों में बोलीदाता ने पुणे क्षेत्र के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी क्षेत्र को एएमसी सहायता प्रदान की है तो आरओ से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दी जाएगी।	पिछले दो वर्षों में प्रदान की गई सेवा वाले आरओ से संतोषजनक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

**3. दर अनुबंध का दायरा**

इस आरएफपी का उद्देश्य इस आरएफपी में सूचीबद्ध कंप्यूटर हार्डवेयर वस्तुओं के व्यापक ऑन-साइट वार्षिक रखरखाव के लिए बोलीदाता के साथ दर अनुबंध में प्रवेश करना है।

3.1 दर अनुबंध निम्नलिखित हार्डवेयर वस्तुओं के वार्षिक रखरखाव के लिए होगा:-

- डेस्कटॉप पीसी (हार्डवेयर एएमसी और ओएस / अनुप्रयोग / मिडलवेयर समर्थन)
- डेस्कटॉप पीसी (ओएस / एप्लिकेशन / मिडलवेयर समर्थन)
- गेटवे पीसी (हार्डवेयर एएमसी और ओएस / अनुप्रयोग / मिडलवेयर समर्थन)
- गेटवे पीसी (ओएस / अनुप्रयोग / मिडलवेयर समर्थन)
- डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 136 कॉलम, 80 कॉलम, 40 कॉलम
- पासबुक प्रिंटर
- उच्च गति स्कैनर
- लेज़र / इंकजेट / डेस्कटॉप प्रिंटर
- सपाट तल स्कैनर,
- सीटीएस स्कैनर
- लैपटॉप
- 3.2 एएमसी में कंप्यूटर सिस्टम/मशीनों का निवारक और सुधारात्मक रखरखाव शामिल होगा और इसमें विक्रेता की अपनी लागत पर अनुपयोगी पुर्जों की आपूर्ति और प्रतिस्थापन शामिल होगा। निवारक रखरखाव तिमाही में कम से कम एक बार किया जाएगा और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक रखरखाव किया जाएगा।
- 3.3 बोलीदाता को एएमसी के अंतर्गत सभी हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों की त्रैमासिक सूची बनाए रखनी होगी। बिलिंग की वास्तविक राशि सूची पर आधारित होगी। वस्तुओं की सूची में हार्डवेयर/उपकरण का प्रकार, निर्माता और मॉडल, सीरियल नंबर, वारंटी के अंतर्गत/वारंटी से बाहर की वस्तुएं शामिल होंगी।
- 3.4 बोलीदाता को संबंधित शाखा/कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी शाखावार सूची, बिलिंग के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। बैंक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सूची का यादृच्छिक सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी विसंगति की स्थिति में, बैंक को बोलीदाता के साथ अनुबंध रद्द करने का भी अधिकार है।



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

## 1. Introduction

Central Bank of India, a Public Sector Bank (hereinafter referred to as Bank) has its Central Office at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – (400021) and Regional Office at P-63, MIDC Satpur, Nasik 422007. The Bank is having around 4608 branches spread across the country. Nasik Region geographically spread across three districts Nasik, Dhule and Nandurbar.

Regional Office, Nasik invites offer from reputed vendors to provide AMC services for Various Desktops, Printers and Scanners (various Make/Models) at branches / offices under Nasik Region spread across Nasik, Dhule and Nandurbar districts.

## 2. Eligibility Criteria

S. No.	Pre-qualification criteria	Documentary Evidence
1	Bidder should be a registered company under Indian Companies Act.1956/2013 and should have been in existence for a minimum period of 3 years in India, as on date.	Copy of the Certificate of Incorporation issued by Registrar of Companies and full address of the registered office of the bidder.
2	Bidder shall have an annual turnover of ₹ 2 Crores in last three financial years i.e., 2022-23, 2023-24 and 2024-25 as per the audited balance sheet available at the time of submission of Bid, in providing the support services.	Copies of last three financial years' relevant audited balance sheets shall be submitted with the Bid.
3	The Company shall have made operating profits in last three financial years i.e., 2022-23, 2023-24 and 2024-25 as per the audited balance sheet available at the time of submission of Bid.	Copies of last three financial years' relevant Profit and Loss statement shall be submitted with the Bid.
4	The bidder shall have experience of 3 years in customer support services field in banking industry. The bidder shall be currently engaged in similar AMC contracts with at least two Scheduled Commercial Banks or Government Department other than Central Bank of India.	Satisfactory performance certificate / Purchase Order from customers shall be submitted.
5	The bidder shall have Income Tax PAN; TIN No, GST No. and the latest Clearance Certificate. Bidder shall not have any arrears in Tax Payments.	Self-attested copies of PAN Card, TIN No, GST Certificate and latest Income tax return (FY 2024-25) are to be submitted.
6	Bidder shall be a firm/company with ISO Certification	Copy of certificate
7	The bidder shall have not been blacklisted by any of Government Authority or Public Sector Undertaking (PSUs)/Public Sector Banks (PSBs) due to lack of support/services and malpractices.	Undertaking on bidder's letter head that they are not blacklisted by any of the Govt. Authority or PSUs/PSBs as on date of submission of the Bid. (Annexure – 3)
8	The bidder shall have presence of sufficient number of technical support staff/service centre base in the cities where branches/offices of Nasik Region are located.	Proof of existence for support centers and manpower details with phone number shall be attached.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

9	The bidder shall be a company / firm currently providing AMC services with at least 1 Public Sector Bank in India.	Satisfactory performance certificate / Purchase Order from customers shall be submitted.
10	The bidder shall be a company/firm having proper office address in Maharashtra and ESIC/PF facilities should be available to all its employees	For address proof – GST certificate showing office address/ shop establishment certificate/rent agreement / ownership document + utility bill (like electricity bill)For PF – ESIC/EPFO registration certificate
11	If in last two years, bidder have provided AMC support to any Region of Central Bank of India under Pune Zone then no adverse report from RO to be reported	Satisfactory certificate from ROs where service provided in last two years should be attached.

### 3. Scope of Rate Contract

The Objective of this RFP is to enter rate contract with bidder for Comprehensive On-site Annual Maintenance of Computer Hardware items listed in this RFP.

3.1 The Rate Contract would be for Annual Maintenance of following hardware items:-

- Desktop PCs (Hardware AMC and OS / applications / Middleware support)
- Desktop PCs (OS / applications / Middleware support)
- Gateway PC (Hardware AMC and OS /applications /Middleware support)
- Gateway PC (OS /applications /Middleware support)
- Dot Matrix Printer 136 columns, 80 columns, 40 columns
- Passbook Printer
- High speed scanner
- Laser / Inkjet / Desktop Printer
- Flatbed Scanner,
- CTS Scanner
- Laptop

3.2 The AMC shall consist of preventive and corrective maintenance of the Computer Systems/machines and will include supply and replacement of unserviceable parts at vendor's own cost. Preventive maintenance to be done at least once in a quarter and corrective as and when required.

3.3 The bidder will maintain the quarterly inventory of all the hardware and peripherals under AMC. Actual amount of billing shall be based on the inventory. Inventory of items will include type of hardware/peripheral, Make & Model, Serial No., Under Warranty/Out of Warranty.

3.4 Bidder will submit branch wise inventory duly signed & stamped by concerned Branch/Office to Regional Office for billing purpose. Bank reserves right to randomly verify the inventory submitted by bidder. In case of any discrepancies, Bank also have right to cancel the contract with the bidder.

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

3.5 उपरोक्त बिन्दु के अनुसार सूची तैयार करते समय बोलीदाता उन हार्डवेयर वस्तुओं को भी सूचीबद्ध करेगा जो अप्रचलित हैं तथा जिनका निपटान किया जाना आवश्यक है।

3.6 बोलीदाता क्षेत्रीय कार्यालय में एक रेजिडेंट इंजीनियर (आरई) और क्षेत्र के प्रत्येक जिले (नासिक, धुले और नंदुरबार) में कम से कम एक योग्य फील्ड इंजीनियर (एफई) उपलब्ध कराएगा। सभी इंजीनियरों को अच्छी तरह से योग्य होना चाहिए और हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम/एप्लिकेशन/मिडलवेयर सपोर्ट से संबंधित मुद्दों को संभालने का अनुभव (कम से कम 2 से 3 वर्ष) होना चाहिए। रेजिडेंट इंजीनियर का पृष्ठभूमि सत्यापन बोलीदाता की ज़िम्मेदारी होगी। बैंक को रेजिडेंट इंजीनियर को नियुक्त करते समय पृष्ठभूमि सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति की आवश्यकता होगी।

3.7 बोलीदाता शिकायतों/सेवा अनुरोधों को दर्ज करने के लिए एक समर्पित फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करेगा। बोलीदाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा द्वारा भेजे गए मेल या टेलीफ़ोन नोटिस के जवाब में रखरखाव सेवा प्रदान करेगा। बोलीदाता इसके लिए एस्कैलेशन मैट्रिक्स भी प्रदान करेगा। कॉल समन्वयक/रेजिडेंट इंजीनियर का यह कर्तव्य होगा कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कॉल निर्धारित समय सीमा के भीतर बंद कर दी जाएँ।

3.8 बोलीदाता हार्डवेयर में किसी भी खराबी या विफलता को ठीक करने के लिए एक योग्य फील्ड इंजीनियर (FE) की नियुक्ति करेगा और बैंक के सामान्य स्थानीय कार्य समय के दौरान हार्डवेयर के किसी भी दोषपूर्ण हिस्से की मरम्मत और प्रतिस्थापन की व्यवस्था करेगा। ऐसे मामलों में, जहाँ हार्डवेयर के किसी हिस्से को बदलने की आवश्यकता हो, बोलीदाता ऐसे हिस्सों प्रति, बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के, बिल्कुल नए या नए हिस्सों के समकक्ष प्रदर्शन वाले हिस्सों से बदल देगा। यदि कोई बाह्य उपकरण, जैसे हार्ड डिस्क आदि उपलब्ध नहीं है या प्राप्त करना कठिन है, जिससे प्रतिस्थापन में देरी हो रही है, तो बैंक शाखा को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के समान क्षमता या अधिक क्षमता का स्टैंडबाय हार्डवेयर उपलब्ध कराया जाएगा।

3.9 किसी भी कारण से डेस्कटॉप की फॉर्मेटिंग करते समय (जिसमें खराबी, वायरस से संक्रमित पीसी, धीमापन आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) और शाखाओं/कार्यालयों में स्कैनर/प्रिंटर आदि जैसे अन्य हार्डवेयर की मरम्मत करते समय एफई/आवासीय इंजीनियर द्वारा निम्नलिखित गतिविधि भी पूरी की जानी है:

- बैंक द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम अनुप्रयोगों की स्थापना/उपग्रहण, बैंक को किसी अतिरिक्त लागत के बिना।
- प्रिंटर/स्कैनर की स्थापना और सेटिंग्स/कॉन्फिगरेशन बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना है।
- बैंक, आरई को संबंधित सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर का आवश्यक कॉन्फिगरेशन उपलब्ध कराएगा।

3.10 एएमसी अवधि के दौरान किसी भी कारण से डेस्कटॉप/लैपटॉप को फॉर्मेट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की स्थापना/पुनर्स्थापना, बैंक को किसी अतिरिक्त लागत के बिना, वित्तीय सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी। फॉर्मेटिंग से पहले, डेटा का बैकअप और ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापना के बाद डेटा की पुनर्स्थापना, वित्तीय सेवा प्रदाता की ज़िम्मेदारी है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापना या पुनर्स्थापन के बाद, इंजीनियर को सभी आवश्यक सॉफ्टवेयर की स्थापना/कॉन्फिगरेशन पूरी करनी होगी।

3.11 बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि मरम्मत/रखरखाव के दौरान उसके क्षेत्रीय इंजीनियरों द्वारा उपयोग की जाने वाली सीडी/डीवीडी/पेन ड्राइव/एचडीडी किसी भी वायरस से मुक्त हों। यदि यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो जाता है कि इंजीनियर की हार्ड डिस्क/पेन ड्राइव से मशीन वायरस से संक्रमित हुई है, तो डेटा पुनः बनाने के लिए बैंक द्वारा किया गया व्यय बोलीदाता से वसूल किया जाएगा।

**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक**

3.5 While creating the inventory as per point above bidder will also list out the hardware items which are obsolete and required to be disposed.

3.6 The bidder will provide One Resident Engineer (RE) at Regional Office and at least one qualified field engineer (FE) per district (Nasik, Dhule and Nandurbar) in Region. All engineers should be well qualified and have experience (at least 2 to 3 years) for handling issues related to Hardware and OS / applications / Middleware support. Background verification of the Resident Engineer shall be the responsibility of the Bidder. Bank will require a copy of the Background Verification report while on-boarding the Resident Engineer.

3.7 The bidder will provide a dedicated phone number and email id to log the complaints/service requests. The bidder will provide maintenance service in response to mail, telephone notice by any Central Bank of India branches. The bidder will provide escalation matrix for the same. It will be the duty of the Call Coordinator / Resident Engineer to ensure that all calls are closed within the specified time limit.

3.8 The bidder will align a qualified field engineer (FE) to correct any faults and failures in the hardware and will arrange repair and replace any defective parts of the hardware during bank's normal local working hours. In cases, where any part of the hardware need replacement, the bidder will replace such parts, at no extra cost to bank, with brand new parts or those equivalent to new parts in performance. If any of the peripherals, components like hard disk etc. is not available or difficult to procure, is causing delay in replacement, a standby hardware of equivalent capacity or higher capacity at no additional charges will be provided to bank branch.

3.9 The following activity also to be completed by the FE/Residential engineer while formatting of the Desktops due to any reason (including but not limited to malfunctioning; virus infected PC; slowness etc) and repairing of other hardware like Scanners/ Printers etc in the Branches/ Offices: -

- Installation/up-gradation of required software/operating system applications as specified by Bank without any extra cost to Bank.
- Installation of printers / scanners and settings / configurations to be done as per bank's requirements.
- Bank will provide the relevant software and required configuration of the software to RE.

3.10 Installation/reinstallation of Operating System after formatting the Desktops/Laptop due to any reason whatsoever during AMC period shall be done by FE without any extra cost to the Bank. Before formatting, backup of data and restoration of data after OS installation is FE's responsibility. After OS Installation or reinstallation engineer must complete the installation / configuration of all the required software.

3.11 The bidder will ensure that the CDs/DVDs/Pen Drives/HDD used by its field engineers during repairs / maintenance will be free of any virus. In case it is conclusively proved that the machine has been infected with a virus from the engineer's hard disk/Pen Drive, the expenses incurred by the Bank for recreating the data will be recovered from the bidder.

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

3.12 उपभोग्य सामग्रियों/जले हुए मामलों को छोड़कर सभी वस्तुएँ (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) व्यापक एएमसी के अंतर्गत कवर की जाएँगी। अन्य सभी हार्डवेयर प्रतिस्थापन बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के किया जाना चाहिए। सफल बोलीदाता को शाखावार हार्डवेयर की सूची प्रदान की जाएगी। यदि बैंक की आवश्यकता और एएमसी हार्डवेयर के बीच कोई अंतर है, तो उस अंतर को पूरा करना बोलीदाता की ज़िम्मेदारी होगी। उपभोग्य वस्तुएँ इस प्रकार हैं: a) लैपटॉप - बैटरी और एडाप्टर उपभोग्य वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे। b) प्रिंटर - रिबन, कार्ट्रिज। सभी उपभोग्य वस्तुओं को केवल बाजार मूल्य पर बदला जा सकता है, बैंक को कोई अतिरिक्त सेवा लागत नहीं देनी होगी और ऐसा बाजार मूल्य निविदा लागू होने तक लागू रहेगा, अर्थात् बाजार मूल्य की स्वीकृति की तिथि से निविदा की समाप्ति तक।

3.13 बोलीदाता निवारक और ब्रेकडाउन रखरखाव गतिविधियाँ पूरी करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हार्डवेयर उपकरण बिना किसी खराबी या रुकावट के काम करें और तिमाही आधार पर कम से कम 95% अपटाइम दें। यदि सेवा समर्थन बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, तो बैंक अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता है।

3.14 बोलीदाता को इस समझौते के अंतर्गत आने वाले हार्डवेयर पर, बैंक को कोई अतिरिक्त लागत दिए बिना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उन्नयन सुनिश्चित करना होगा। उन्नयन में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस को Win10 / Win 11 या उच्चतर / पैच / अपडेट में अपग्रेड करना
- शाखा/कार्यालयों में नए बैंक सॉफ्टवेयर या एप्लिकेशन का अद्यतन/स्थापना

3.15 निवारक रखरखाव: बोलीदाता एक तिमाही के भीतर एक बार निवारक रखरखाव (निरीक्षण, परीक्षण, सभी निदानों का संतोषजनक निष्पादन, हार्डवेयर के बाहरी और आंतरिक भाग से धूल को साफ करना और हटाना, तथा आवश्यक मरम्मत सहित, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) करेगा।

3.16 हार्डवेयर को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना: यदि पूरी शाखा/कार्यालय को मौजूदा परिसर से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, तो स्थानांतरण की ज़िम्मेदारी बैंक की होगी। हालाँकि, एएमसी के अंतर्गत उपकरण/हार्डवेयर की पुनः स्थापना बोलीदाता द्वारा क्रमशः पुराने और नए परिसर में की जाएगी, जिसके लिए बैंक को कोई अतिरिक्त लागत नहीं लगेगी।

3.17 बोलीदाता (आरई के माध्यम से) बैंक की साइट पर, मशीनवार लिखित रखरखाव और मरम्मत लॉग बनाए रखेगा और उसमें हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खराबी की प्रत्येक घटना, मरम्मत कार्य के प्रारंभ और सफल समापन की तिथि और समय, हार्डवेयर पर किए गए मरम्मत कार्य की प्रकृति, साथ ही कार्य के कारण का विवरण, या तो खराबी के विवरण के रूप में या नियमित रूप से निर्धारित निवारक रखरखाव के रूप में दर्ज करेगा। बैंक हार्डवेयर में देखी गई खराबी और विफलताओं की प्रकृति, उनके होने की तिथि और समय और डाउनटाइम को रिकॉर्ड करने के लिए उसी लॉग का उपयोग करेगा।

3.18 भविष्य में व्यावसायिक आवश्यकता के आधार पर, बैंक किसी भी शाखा/कार्यालय को बंद कर सकता है, इसलिए उन स्थानों पर हार्डवेयर का उपयोग अन्य कार्यालयों में किया जा सकता है और उन्हें विभिन्न स्थानों के माध्यम से एएमसी में शामिल किया जाएगा।

3.19 शाखाओं की आवश्यकता के आधार पर बैंक पुराने हार्डवेयर को नए से बदल सकता है, नया हार्डवेयर वारंटी के अंतर्गत होगा और एएमसी के अंतर्गत कवर नहीं होगा।

3.20 दंड: सभी सॉफ्टवेयर कॉल्स को समस्या की सूचना मिलने के दिन ही अटेंड किया जाना चाहिए। हार्डवेयर संबंधी कॉल्स को क्षेत्रीय कार्यालय में रेजिडेंट इंजीनियर (आरई) के पास शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे (छुट्टियों को छोड़कर) के भीतर अटेंड किया जाना चाहिए और फील्ड इंजीनियर द्वारा खराबी का पता चलने के 24 घंटे के भीतर किसी भी पार्ट को बदला जाना चाहिए।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

3.12 All the items (Hardware & Software) would be covered under comprehensive AMC except consumables/burn cases. All other hardware replacement should be done without any extra cost to bank. The list of hardware branch wise will be provided to successful bidder. If there is any gap between Bank's requirement and AMC hardware, then it will be the responsibility of bidder to fill up the gap. Consumable items are as under: a) Laptop - batteries & adapter will come under consumable item. b) Printer - Ribbon, Cartridge. All consumable items may be replaced at market price only with no extra service cost to bank and such market price shall be applicable till the tender is enforced i.e., from the date of acceptance of market price till the end of tender.

3.13 The bidder will accomplish preventive and breakdown maintenance activities to ensure that the hardware equipment execute without defect or interruption of operation and give at least 95% uptime on quarterly basis. If the service support is not up to the expectations of the Bank, Bank may at its own discretion reject the proposal in total, without assigning any reason.

3.14 The bidder will have to ensure up-gradation of System software, on the hardware covered under this agreement, without any extra cost to bank. The up-gradation may include but is not limited to below activities:

- Up-gradation of Microsoft Windows OS to Win10 / Win 11 or higher / patches/ updates
- Updating / Installation of new bank software or application in branch/offices

3.15 **Preventive Maintenance:** The bidder will conduct Preventive Maintenance (including but not limited to inspection, testing, satisfactory execution of all the diagnostics, cleaning and removal of dust from the exterior and interior of the hardware, and necessary repairing of) once within a quarter.

3.16 **Shifting of hardware to another site:** In case of shifting of entire branch/office from existing premise to another, shifting will be responsibility of the bank. However, the reinstallation of equipment / hardware under AMC will be done by bidder in old and new premises respectively, at no extra cost to bank.

3.17 The bidder (via RE) will maintain at bank's site, a machine wise written maintenance and repair log and record therein each incident of hardware/software malfunction, date and time of commencement and successful completion of repair work and nature of repair work performed on hardware together with a description of the cause for work, either by description of the malfunction or as regularly scheduled Preventive Maintenance. Bank will use the same log for recording the nature of faults and failures observed in the hardware, the date and time of their occurrence and downtime.

3.18 Based on business requirement in future, Bank may close any of the branch / offices, therefore Hardware at those locations may be utilized at other offices and will be included in AMC through different location.

3.19 Based on requirement from branches bank may replace old hardware with new one, the new hardware will be under warranty and will not be covered under AMC.

3.20 **Penalty:** All software calls should be attended on the same day of intimation of issue. Hardware related calls to be attended within 24 hours (excluding holidays) from registration of complaint with Resident Engineer (RE) at Regional Office and replacement of any part should be carried out within further 24 hours of detection of fault by Field Engineer.



### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

यदि मूल बैंक हार्डवेयर को स्टैंडबाय से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो अस्थायी स्थानापन्न मशीन को 3 दिनों के भीतर विधिवत मरम्मत की गई मूल मशीन से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अन्यथा उपरोक्त क्षति 3 दिनों से अधिक दिनों के लिए वहन की जाएगी।

बोलीदाता को रखरखाव कार्य पूरा करने में 24 घंटे से अधिक की देरी के लिए प्रत्येक दिन के अनुसार जुर्माना देना होगा, जो इस प्रकार होगा:

एसस	वस्तु	प्रतिदिन जुर्माना (₹)
1	गेटवे पीसी	₹. 2000/-
2	डेस्कटॉप पीसी	₹. 500/-
3	डीएमपी प्रिंटर (136 कॉलम और 80 कॉलम)	₹. 500/-
4	पासबुक प्रिंटर	₹. 500/-
5	लेज़र / इंक जेट प्रिंटर	₹. 500/-
6	स्कैनर	₹. 200/-
7	लैपटॉप	₹. 500/-
8	कोई अन्य उपकरण	₹. 200/-
9	आरओ आवासीय इंजीनियर की अनुपस्थिति	₹.500/-

बोलीदाता द्वारा रखरखाव कार्य में देरी/असमर्थता की स्थिति में, बैंक को बाहरी बोलीदाताओं द्वारा कार्य कराने की स्वतंत्रता होगी तथा ऐसे रखरखाव कार्य के लिए बाहरी बोलीदाताओं को भुगतान किया गया कुल व्यय, देरी के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने के अतिरिक्त, बोलीदाता से बैंक द्वारा वसूल किया जाएगा।

#### 4. रखरखाव मानक

4.1 हमारे कार्यालयों में आने वाली सभी फील्ड टीमों कंपनी के कर्मचारी होनी चाहिए। हमारे आरएफपी के जवाब में कर्मचारियों की संख्या और तैनाती के स्थान का उल्लेख करना होगा।

4.2 यहाँ वर्णित सभी मरम्मत और रखरखाव सेवाएँ योग्य रखरखाव इंजीनियरों द्वारा की जाएँगी जो उन उपकरणों से पूरी तरह परिचित हों जिनसे वे संबंधित हैं। वे अपनी एएमसी सेवा के अंतर्गत आने वाले सभी उपकरणों को बैंक की संतुष्टि के अनुसार स्थापित या सुधार करने में सक्षम होंगे। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए उन्हें आरई द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

4.3 आरई को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक की प्रणालियाँ फील्ड टीम द्वारा बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित की जा रही हैं। इस संबंध में किसी भी चूक या विचलन को शिकायत की अनुपस्थिति माना जाएगा और सुधार होने तक जुर्माना लगाया जाएगा।

4.4 फील्ड टीम या कोई भी सेवा दल सेवा संबंधी मामलों में प्रश्न पूछने के लिए अनावश्यक रूप से हमारे कार्यालय से संपर्क नहीं करेगा। अधिकतम चिंताओं का समाधान बोलीदाता कंपनी के सक्षम प्रतिनिधि या सक्षम विकल्प द्वारा किया जाना चाहिए। हालाँकि, किसी भी ऐसे मामले पर मार्गदर्शन के लिए जो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, RE, RCC से संपर्क कर सकता है। RE की अनुपस्थिति में, वैकल्पिक इंजीनियर क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिए।

4.5 ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित समस्याओं के लिए, जिनमें हार्ड डिस्क की फॉर्मेटिंग आवश्यक है, डेटा बैकअप पहले से बना लिया जाना चाहिए और फॉर्मेटिंग के बाद ही कंप्यूटर उपयोगकर्ता की संतुष्टि के अनुसार उसे रीस्टोर किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो वित्तीय सेवा प्रदाता को हार्ड डिस्क की फॉर्मेटिंग के बाद ही शाखा से हार्ड डिस्क निकालनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करने के बाद सभी परिधीय उपकरणों को पुनः कनेक्ट, परीक्षण और साझा किया जाना चाहिए। बैंक के सभी आवश्यक सॉफ्टवेयर स्थापित होने चाहिए, AV इंस्टॉलेशन और AD जॉइनिंग या शाखा के अनुसार कोई अन्य आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। बैंक ने डेटा लीक रोकथाम लागू की है। तदनुसार, बैंक की नीति के अनुसार हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने से पहले डेटा एन्क्रिप्शन और डिक्लिप्शन का प्रावधान किया जाना चाहिए।

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

In case the original bank hardware is replaced with a standby, the temporary substitute machine will be replaced with the original machine duly repaired within 3 days failing which the above damages will be incurred for the number days exceeding 3 days.

The bidder shall be liable to pay penalty as hereunder per each day of delay beyond 24 hours in completion of maintenance work, which shall be as follows:

SNo	Item	Penalty per day (₹)
1	Gateway PC	Rs. 2000/-
2	Desktop PC	Rs. 500/-
3	DMP Printers (136 col. & 80 col.)	Rs. 500/-
4	Passbook Printers	Rs. 500/-
5	Laser / Ink Jet Printer	Rs. 500/-
6	Scanner	Rs. 200/-
7	Laptop	Rs. 500/-
8	Any other device	Rs. 200/-
9	Absence of RO residential engineer	Rs.500/-

In case of delay / inability of the bidder to carry out maintenance, the Bank will be at liberty to get the work carried out by outside bidders and the total expenses paid to such outside bidders for carrying out such maintenance work will be recoverable by the Bank from the Bidder in addition to the penalty to be levied for the delay.

#### 4. Maintenance Standards

4.1 All field team visiting our offices should be employees of the company. The staff strength and posted locations are to be mentioned in your response to our RFP.

4.2 All repair and maintenance services described herein shall be performed by qualified maintenance engineers who are completely familiar with the equipment which they are dealing with. They will be competent enough to install or rectify all equipment under their AMC service to the satisfaction of the bank. They may be guided by the RE for any technical assistance.

4.3 RE must ensure that bank's systems are being installed by the field team as per the guidelines issued by the bank. Any lapse or deviation in this regard will be treated as nonattendance of complaint and penalty will be levied until it is rectified.

4.4 Field team or any service team will not unnecessarily contact our office to raise queries on service matters. Maximum concerns should be dealt by the RE or competent alternative in the bidder company. However, the RE may contact RCC for guidance on any matter which is not yet clarified. In case of absence of RE, alternate engineer should be available at Regional Office.

4.5 For OS related issues in which formatting of hard disk is necessary, data backup should be done in advance and need to be restored as per satisfaction of the computer user after formatting only. If required, FE should take out HDD from branch only after formatting of HDD. All peripheral equipment should be re-connected, tested and shared after installing the OS. All necessary software of the banks should be installed, AV installation and AD joining or any other requirement as per branch. Bank has implemented Data Leak Prevention. Accordingly Data encryption and decryption provision should be made before formatting the Hard Disk in line with Bank's policy.



### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

4.6 एएमसी के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटरों की स्थापना या मरम्मत के दौरान, प्रिंटर, स्कैनर और बायोमेट्रिक उपकरणों जैसे सभी जुड़े हुए बाह्य उपकरणों को स्थापित किया जाना चाहिए, भले ही वे उपकरण एएमसी के अंतर्गत न आते हों। स्थापित प्रिंटरों को नेटवर्क कंप्यूटरों पर साझा किया जाना चाहिए। हालाँकि, जो बाह्य उपकरण काम न करने की स्थिति में हों, उन्हें इससे बाहर रखा जा सकता है।

4.7 किसी भी खराब उपकरण की मरम्मत का काम मौके पर ही किया जाएगा। यदि ऐसी मरम्मत असफल रहती है, तो बोलीदाता मरम्मत के लिए उपकरण को अपने निकटतम सेवा केंद्र पर ले जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में, बोलीदाता को समान विनिर्देशों के अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध कराने होंगे और उन्हें चालू रखना होगा ताकि डाउन टाइम के कारण बैंक का काम प्रभावित न हो।

4.8 आरई सभी खुले/बंद मामलों का विवरण रखेगा और बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार स्थिति प्रस्तुत करेगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी लंबित डाउन कॉल आवश्यक रखरखाव गतिविधियाँ पूरी होने के बाद ही बंद की जाए।

4.9 बैंक की पुष्टि के बिना बंद की गई किसी भी शिकायत को शिकायत दर्ज करने की मूल तिथि से लंबित माना जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।

4.10 बोलीदाता को OEM/निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपकरण का रखरखाव करना होगा तथा प्रतिस्थापन के लिए मानक और मूल/वास्तविक भागों/घटकों का उपयोग करना होगा।

4.11 शाखाओं में तैनात इंजीनियरों को शाखा प्रबंधकों/अधिकारियों से हस्ताक्षरित शाखा भ्रमण रिपोर्ट प्राप्त होगी, जिसकी एक प्रति शाखा को भेजी जाएगी। किसी तिमाही में शाखा भ्रमण रिपोर्ट की सभी प्रतियाँ (मूल) तिमाही समाप्ति के 3 दिनों के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करनी होंगी।

4.12 कंपनी के एएमसी समन्वयकों को क्षेत्रीय कार्यालय के साथ तिमाही बैठक (यदि आयोजित की जाती है) के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि शाखाओं के लंबित मुद्दों पर प्रगति साझा की जा सके ताकि शाखाओं को सर्वोत्तम सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

## 5. उन्नयन विवरण और परिवर्तन

5.1 सेवा-संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कंपनी का एस्केलेशन मैट्रिक्स बैंक के साथ साझा किया जाना चाहिए। इसमें जिला स्तर और क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी शामिल होने चाहिए।

5.2 बोलीदाता को कंपनी से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों, संपर्क विवरण या किसी अन्य परिवर्तन के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करना होगा।

5.3 यह सुनिश्चित करना पूरी तरह कंपनी की ज़िम्मेदारी होगी कि किसी भी अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण सेवा सहायता से संबंधित कोई भी गतिविधि बाधित न हो। कंपनी प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त वैकल्पिक कर्मियों की नियुक्ति करके और हमें सूचित करके यह सुनिश्चित कर सकती है।

5.4 रेजिडेंट इंजीनियर के कर्तव्य:-

i. रेजिडेंट इंजीनियर बैंक स्टाफ के कार्य समय के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय में काम करेंगे।

ii. हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान (हार्डवेयर का पुनः कॉन्फिगरेशन/पुनः इंस्टॉलेशन सहित), ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कॉन्फिगरेशन, पीसी में एंटीवायरस/संबंधित सॉफ्टवेयर और उनके पैच की स्थापना, बैकअप लेना और ओएस की पुनः इंस्टॉलेशन, प्रिंटर की स्थापना आदि। किसी भी स्थिति में, मशीन को न्यूनतम संभव समय में ठीक किया जाना चाहिए।

**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक**

4.6 During installation or repair of computers under AMC, all connected peripherals such as printers, scanners and Biometric Devices should be installed even if the said equipment doesn't come under AMC. Installed printers should be shared on the network computers. However, peripherals which in inoperable condition may be excluded.

4.7 Repair work for any faulty equipment will be carried out at onsite basis. If such repair is unsuccessful, bidder may take the equipment to their nearest service centre to perform the repairs. However, in such cases, standby equipment of equal specification should be provided by the bidder and made working so that bank work may not be affected due to the down time.

4.8 RE will maintain details of all opened/closed cases and produce the status as and when required by bank. They should make sure that any pending down calls is closed only after the required maintenance activities are fully completed.

4.9 Any complaints which found to be closed without bank's confirmation will be treated as pending since the original date of lodging the complaint and penalty will be imposed.

4.10 The bidder shall maintain the equipment as per OEM/Manufacturer's guidelines and shall use standard and original/genuine parts/components for replacement.

4.11 The engineers deployed for branches will get signed branch visit report from Branch Managers/Officers with a copy to branch. All the copies of Branch Visit reports (Original) in a quarter are to be submitted to Regional Office within 3 days of the quarter end.

4.12 The AMC coordinators of company must ensure their presence during quarterly meeting (if conducted) with Regional Office to share progress on pending issues of branches in order to make maintenance more effective ensuring best services to the branches.

## **5. Escalation Details and Changes**

5.1 Escalation Matrix of company should be shared to the bank for escalating service-related concerns. This should include District level and Regional level officials.

5.2 The bidder shall promptly inform any changes in key persons of escalation, contact details or any other changes related to the company to the bank.

5.3 It will be the sole responsibility of the company to ensure that no activity pertaining to service support is hindered by the absence of any official. Company may ensure this by appointing sufficient alternate personnel at each level of escalation and informing us.

5.4 Duties of Resident Engineer:-

- i. Resident Engineers will work in Regional Office according to the Bank Staff's working hour.
- ii. Resolving Hardware / Software related all issues (including Reconfiguration / re-installation of Hardware), Operating Systems, Network configuration, installation of Antivirus/related software & their Patches in the PCs, taking backup and re-installation of OS, installation of printers etc. In any case, the machine should be set right in the minimum possible time.

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

- iii. ई-मेल, डोमेन, इंटरनेट, प्रिंटर, अन्य बैंकिंग सॉफ्टवेयर आदि को कॉन्फिगर करना।
- iv. सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित समस्याओं का समाधान करना।
- v. वारंटी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए हार्डवेयर समस्याओं के लिए संबंधित बोलीदाताओं के साथ कॉल लॉग करना।
- vi. कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित कोई अन्य कार्य।
- vii. बोलीदाता को प्रत्येक पीसी के स्थान और विन्यास के पूर्ण विवरण के साथ निर्दिष्ट प्रारूप में व्यक्तिगत कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों की सूची भी बनाए रखनी चाहिए।
- viii. रेजिडेंट इंजीनियर का अवकाश प्रबंधन: नियमित ऑनसाइट इंजीनियर/इंजीनियरों की अनुपस्थिति/छुट्टी की स्थिति में, ठेकेदार को उनके स्थान पर अन्य इंजीनियर उपलब्ध कराना होगा। अनुपस्थिति/स्थानीय इंजीनियर उपलब्ध न कराने की स्थिति में, बैंक अपने विवेक से बोलीदाता को देय एएमसी बिल राशि से आनुपातिक राशि काट लेगा। रेजिडेंट इंजीनियर की छुट्टी/अनुपस्थिति की स्थिति में, यदि बोलीदाता द्वारा अन्य इंजीनियर की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो प्रतिदिन ₹500/- का जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना राशि एएमसी भुगतान से काट ली जाएगी।

### 6. सॉफ्टवेयर समर्थन

बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नए विंडोज़ इंस्टॉलेशन उपयुक्त माध्यमों से ठीक से सक्रिय हों, क्योंकि हमारे किसी भी स्थान पर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। यदि विंडोज़ सक्रिय नहीं पाया जाता है, तो इंस्टॉलेशन को अपूर्ण माना जाएगा।

### 7. त्रैमासिक निवारक रखरखाव

इस एएमसी अनुबंध में शामिल सभी परिसंपत्तियों के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार निवारक रखरखाव (पीएम) किया जाना चाहिए।

7.1 पीएम गतिविधि में एएमसी के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं की धूल झाड़ना, सफाई करना और उनका परीक्षण करना शामिल होगा। सभी उपकरणों की सर्विसिंग, बिना किसी खराबी के संचालन के लिए, उचित विधि से की जानी चाहिए।

7.2 क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर रेजिडेंट इंजीनियर द्वारा एसएमपीएस, पावर केबल आदि जैसे पुर्जों की पर्याप्त सूची बनाए रखी जाएगी तथा दोषपूर्ण वस्तुओं के लिए तत्काल प्रतिस्थापन प्रदान करने के लिए शिकायतों/सेवा अनुरोधों पर ध्यान देते समय सेवा कर्मियों द्वारा इसे साथ रखा जाएगा।

7.3 ए.एम.सी. के अंतर्गत आने वाले सभी हार्डवेयर आइटमों की शिकायतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान कार्यशील स्थिति में नहीं पाए जाते हैं, इसके लिए बैंक की ओर से कोई कॉल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

### 8. निविदा प्रक्रिया

8.1 वर्तमान आरएफपी के प्रयोजन के लिए, दो चरणों वाली बोली प्रक्रिया अर्थात् तकनीकी और वाणिज्यिक का पालन किया जाएगा। वर्तमान आरएफपी का जवाब दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा, तकनीकी बोली जिसमें तकनीकी विशिष्टताओं के अनुपालन सहित सामान्य नियम और शर्तें शामिल होंगी और वाणिज्यिक बोली जिसमें सांकेतिक वाणिज्यिक बोली शामिल होगी। बोलीदाता को तकनीकी बोली और सांकेतिक वाणिज्यिक बोली वाले हिस्से को अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में जमा करना होगा, जिस पर विधिवत रूप से "नासिक क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं और कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए - तकनीकी बोली" और "नासिक क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं और कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए - वाणिज्यिक बोली" लिखा होना चाहिए।

---

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

---

- iii. Configuring E-mail, Domain, Internet, Printers, other banking software's, etc.
- iv. Attending and resolving Software / Operating Systems related issues.
- v. Logging calls with respective bidders for Hardware problems for items under Warranty.
- vi. Any other work assigned, related to Computer Hardware.
- vii. The bidder should also maintain the inventory of personal computers and peripherals in specified format with complete details of location and configuration of each PC.
- viii. Leave Management of Resident engineer: In case of absence/leave of regular onsite engineer/s, Contractor should provide substitute for the same. In case of absence/substitute not provided, bank is at its discretion deduct proportionate amount from the AMC bill amount payable to the bidder. In case of leave/absence of resident engineer, if other engineer is not arranged by the bidder, a penalty of ₹ 500/- per day will be imposed and penalty amount will be deducted from AMC payment.

## **6. Software Support**

Bidder should ensure that all new Windows installations are properly activated by suitable means as internet access is not available in any of our locations. Installation will be treated as incomplete if Windows is seen as not activated.

## **7. Quarterly Preventive Maintenance**

Preventive Maintenance (PM) should be done for all the assets, covered in this AMC contract once in every quarter.

7.1 PM activity shall cover dusting, cleaning and testing all items under AMC. All equipment should be serviced using appropriate method for failure free operation.

7.2 Sufficient inventory of spares such as SMPS, power cable etc. shall be maintained by Resident Engineer at Regional Office level and to be carried with by service personnel while attending the complaints/service requests to provide immediate replacement for faulty items.

7.3 Complaints should be attended of all hardware items, under AMC, which are found to be not in working condition during PM visit without need for any call to be raised from the bank's end.

## **8. Tender Process**

8.1 For the purpose of the present RFP, a two-stage bidding process i.e. technical and commercial will be followed. The response to the present RFP will be submitted in two parts, Technical Bid containing the General Terms and Conditions including Compliance to Technical Specifications and Commercial Bid containing the Indicative Commercial Bid. The bidder will have to submit the Technical Bid and Indicative Commercial Bid Portion of the Bids separately in sealed envelopes, duly super scribing "FOR ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT (AMC) OF COMPUTER HARDWARE AND PERIPHERALS AT BRANCHES & OFFICES UNDER NASIK REGION – TECHNICAL BID" and "FOR ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT (AMC) OF COMPUTER HARDWARE AND PERIPHERALS AT BRANCHES & OFFICES UNDER NASIK REGION – COMMERCIAL BID" as the case may be.

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

8.2 तकनीकी बोली में बोली दस्तावेज़ में दिए गए प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी भी शामिल होगी। तकनीकी बोली में कोई भी मूल्य निर्धारण या व्यावसायिक जानकारी शामिल नहीं होगी।

8.3 पहले चरण में, केवल तकनीकी बोली खोली जाएगी और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले और इस दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने वाले बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

8.4 उपरोक्त मूल्यांकन पूरा होने के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं की सांकेतिक वाणिज्यिक बोलियां खोली जाएंगी।

8.5 बोली में कोई अन्तर्खांकन, विलोपन या ओवर राइटिंग नहीं होगी, सिवाय बोलीदाता द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने के लिए आवश्यक होने पर, ऐसी स्थिति में ऐसे सुधारों पर बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अपने आद्याक्षर किए जाएंगे।

8.6 प्राप्तकर्ता/बोलीदाता द्वारा प्रतिक्रियाओं के विकास, तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित किसी भी तरह से किए गए सभी लागत और व्यय (चाहे समय या सामग्री या धन के संदर्भ में) जिसमें बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शनों आदि में उपस्थिति और बैंक द्वारा अपेक्षित कोई भी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, पूरी तरह से और विशेष रूप से बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

### 9. तकनीकी प्रस्ताव (टीओ)

9.1 तकनीकी प्रस्ताव (टीओ) सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और इसमें इस दस्तावेज़ में मांगी गई सभी जानकारी होनी चाहिए। इसमें मूल्य संबंधी कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, टीओ को यह पुष्टि करनी चाहिए कि सभी आवश्यक दरें सांकेतिक वाणिज्यिक प्रस्ताव (सीओ) में उद्धृत की गई हैं, टीओ में वास्तविक राशि दर्शाए बिना।

9.2 तकनीकी विवरण निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरकर प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बैंक, अपने विवेकानुसार, तकनीकी विवरण प्रस्तुत न करने या आंशिक रूप से प्रस्तुत करने की स्थिति में तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। तकनीकी प्रस्ताव व्यवस्थित और संरचित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई भी ब्रोशर/पत्रक आदि खुले रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए।

9.3 टी.ओ. में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

- अनुलग्नक-1 के अनुसार अनुरूपता पत्र।
  - अनुलग्नक-2 के अनुसार पूर्व-योग्यता मानदंड।
  - बोलीदाताओं की जानकारी अनुलग्नक-4 के अनुसार।
  - अनुलग्नक-3 में दिए गए आरएफपी नियमों और शर्तों का अनुपालन।
  - इंजीनियर का विवरण संदर्भ स्थल विवरण अनुलग्नक-5 के अनुसार।
  - ग्राहक संदर्भ की सूची अनुलग्नक-6
  - आरएफपी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज।
  - दस्तावेजीकरण (उत्पाद ब्रोशर, पत्रक, मैनुअल आदि), यदि कोई हो, अलग से दायर किया जाए।
- सभी अनुलग्नक कंपनी के लेटर हेड पर कंपनी की मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
  - आरएफपी और शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के सभी पृष्ठों की हस्ताक्षरित और सीलबंद प्रति तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जानी है।
  - उपरोक्त अनुलग्नक में दी गई विभिन्न सूचनाओं तथा बोलीदाता द्वारा किए गए अन्य दावों के समर्थन में साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी प्रस्तुत की जानी है।

**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक**

8.2 Technical Bid will also contain the Bidders information in the format as given in bid document. Technical Bid will NOT contain any pricing or commercial information at all.

8.3 In the first stage, only Technical Bid will be opened and evaluated. Those bidders satisfying the eligibility criteria as determined by the Bank and accepting the terms and conditions of this document will be short-listed.

8.4 After completion of above evaluation, indicative Commercial Bid of short-listed bidders will be opened.

8.5 The bid will contain no interlineations, erasures or over writing except as necessary to correct errors made by the Bidder, in which case such corrections shall be initialled by the person or persons signing the bid.

8.6 All costs and expenses (whether in terms of time or material or money) incurred by the Recipient/Bidder in any way associated with the development, preparation and submission of responses, including but not limited to attendance at meetings, discussions, demonstrations, etc. and providing any additional information required by the Bank, will be borne entirely and exclusively by the Bidder.

**9. Technical Offer (TO)**

9.1 The Technical Offer (TO) should be complete in all respects and contain all information asked for in this document. It should not contain any price information. However, TO should confirm that all required rates have been quoted in Indicative Commercial Offer (CO), without showing the actual amounts in the TO.

9.2 It is mandatory to submit the technical details in the prescribed format duly filled in, along with the offer. The Bank, at its discretion, may not evaluate Technical Offer in case of non-submission or partial submission of technical details. The Technical Offer must be submitted in an organized and structured manner. No brochures/leaflets etc. should be submitted in loose form.

9.3 The TO should comprise of following:

- i) Conformity Letter as per Annexure-1.
- j) Pre-qualification criteria as per Annexure-2.
- k) Bidders Information as per Annexure -4.
- l) Compliance to RFP Terms and Conditions given in Annexure-3.
- m) Engineer Details as per Reference Site Details Annexure-5.
- n) List of Customer Reference Annexure-6
- o) Mandatory Documents as required as per RFP.
- p) Documentation (Product Brochures, leaflets, manuals etc.), if any, filed separately.

- All the annexures should be submitted on company letter head duly signed with seal of the company.
- Signed & Sealed copy of all the pages in RFP and corrigendum if any is to be submitted along with the technical bid.
- Photocopies of relevant documents / certificates as proof in support of various information is to be submitted in aforesaid annexure and other claims made by the bidder.



### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

- बैंक बिना कोई कारण बताए पुनः निविदा आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी अस्वीकृति के कारण बैंक पर कोई दायित्व नहीं होगा।
- बैंक बोलियाँ जमा करने की तिथि से पहले आरएफपी के किसी भी नियम, शर्त या विनिर्देशों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोलीदाता को बोली जमा करते समय परिवर्तनों/संशोधनों के अनुसार बोली दस्तावेज़ जमा करने होंगे। संशोधनों/शुद्धिपत्र की सूचना बैंक की वेबसाइट ([www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in)) पर उपलब्ध कराई जाएगी और यह सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगी तथा इसके लिए कोई अलग से सूचना जारी नहीं की जाएगी। संभावित बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ तैयार करते समय संशोधनों को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने हेतु, बैंक अपने विवेकानुसार, बोलियाँ जमा करने की समय-सीमा को बैंक द्वारा तय की गई उचित अवधि के लिए बढ़ा सकता है। बोली के बाद बोलीदाता द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### 10. सांकेतिक वाणिज्यिक प्रस्ताव (सीओ)

- सांकेतिक वाणिज्यिक प्रस्ताव (सीओ) में सभी प्रासंगिक मूल्य जानकारी दी जाएगी और कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएँगी। सांकेतिक वाणिज्यिक प्रस्ताव को किसी भी तरह से तकनीकी प्रस्ताव का खंडन नहीं करना चाहिए। इसमें सभी मूल्य जानकारी शामिल होनी चाहिए।
- बोलीदाताओं को मूल्य की जानकारी देते समय बैंक को कोई विकल्प या सशर्त प्रस्ताव नहीं देना चाहिए। प्रस्ताव बैंक द्वारा निर्दिष्ट मर्दों के पूर्णतः अनुरूप होना चाहिए। अनुलग्नक में किसी भी प्रकार की वृद्धि या कटौती की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार के विचलन के परिणामस्वरूप बोली अयोग्य हो सकती है।

#### 11. देर से बोली

बैंक द्वारा निर्धारित बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद बैंक को प्राप्त होने वाली किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और/या बोलीदाता के पास बिना खोले ही वापस कर दिया जाएगा, यदि वह ऐसा चाहे।

#### 12. विलोपन या परिवर्तन

तकनीकी विवरण और सांकेतिक वाणिज्यिक उद्धरण पूरी तरह से भरे जाने चाहिए। यदि कोई सुधार या परिवर्तन हो, तो उसे प्रमाणित किया जाना चाहिए। यदि सुधार/परिवर्तन ठीक से प्रमाणित नहीं होते हैं, तो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।

#### 13. क्षेत्राधिकार खंड

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित होगा। इस समझौते के संबंध में पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद नासिक, महाराष्ट्र स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

#### 14. वैधता अवधि

प्रस्ताव बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 120 दिनों तक वैध रहना चाहिए।

#### 15. प्रस्ताव खोलना

15.1 तकनीकी प्रस्ताव 22 तारीख को खोले जाएंगे सितम्बर 2025 को दोपहर 12:30 बजे। तकनीकी प्रस्तावों के उद्घाटन के समय बोलीदाताओं के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों को अपनी-अपनी फर्मों से प्राधिकरण पत्र लाना होगा। इस संबंध में बोलीदाताओं को अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

15.2 तकनीकी बोलियों का पूर्ण मूल्यांकन करने के बाद ही वाणिज्यिक बोलियाँ खोली जाएंगी।

15.3 यदि बैंक किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण या एनआई अधिनियम के तहत अवकाश घोषित होने के कारण उक्त तिथियों में से किसी पर कार्य नहीं करता है, तो बैंक को तत्काल अगले कार्य दिवस पर उसी स्थान पर उसी समय तक खोलने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

- The Bank reserves the right to resort to re-tendering without providing any reason whatsoever. The Bank shall not incur any liability on account of such rejection.
- The Bank reserves the right to modify any terms, conditions or specifications of RFP before date of submission of bids. Bidder must submit bid documents as per the changes/modifications while submitting the bid. Notification of amendments/corrigendum will be made available on the Bank's website ([www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in)) and will be binding on all bidders and no separate communication will be issued. In order to allow prospective bidders reasonable time in which to take the amendment into account in preparing their bids, the Bank, at its discretion, may extend the deadline for a reasonable period as decided by the Bank for the submission of bids. No post bid clarification of the bidder shall be entertained.

### 10. Indicative Commercial Offer (CO)

- Indicative Commercial Offer (CO) will give all relevant price information and will quote prices only in Indian Rupees. The indicative CO should not contradict the technical offer in any manner. This must contain all price information.
- The bidders should not offer any options or any conditional offers to the Bank while giving the price information. The offer should strictly be in conformity with the items as specified by the Bank. No additions or deletions to the Annexure are allowed. Any deviations may lead to disqualification of the bid.

### 11. Late Bids

Any bid received by the Bank after the deadline for submission of bids prescribed by the Bank, will be rejected and/or returned unopened to the Bidder, if so desired by him.

### 12. Erasures or Alterations

Technical details and indicative commercial quotes must be completely filled up. The corrections or alterations, if any, should be authenticated. In the case of the corrections/alterations not properly authenticated, the offer will be liable for rejection.

### 13. Jurisdiction Clause

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of India. Any dispute or difference arising between the parties in connection with this Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts/Tribunals at Nasik, Maharashtra.

### 14. Validity Period

The offer should remain valid for 120 Days from the last date of bid submission.

### 15. Opening of Offers

15.1 Technical Offers will be opened on 22<sup>nd</sup> September 2025 at 12:30 PM. The representatives of the bidders may be present for the opening of the Technical Offers. Such representatives should bring a Letter of Authorization from their respective firms. No separate intimation will be given in this regard to the bidders, for deputing their representatives.

15.2 Commercial bids will be opened only after completely evaluating the technical bids.

15.3 In case the Bank does not function on any of the said dates due to unforeseen circumstances or day being declared a Holiday under NI Act, opening will be postponed to the same hours at the same venue on the immediate next working day.



## सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

### 16. मूल्यांकन प्रक्रिया

16.1 तकनीकी बोली दस्तावेजों के माध्यम से प्रमाणित बोलीदाताओं की साख, अनुभव आदि से संबंधित पात्रता मानदंड/शर्तों को पूरा न करने वाली बोलियों को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

16.2 बैंक अपने विवेकानुसार, किसी बोली में किसी भी छोटी-मोटी अनौपचारिकता, असंगति या अनियमितता को माफ कर सकता है, जिससे कोई भौतिक विचलन और वित्तीय प्रभाव न पड़े, बशर्ते कि ऐसी छूट किसी बोलीदाता की सापेक्ष रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले या उसे प्रभावित न करे। जहाँ आवश्यक हो, ऐसे 'मामूली' मुद्दों (जैसा कि ऊपर बताया गया है) पर अपनी टिप्पणियाँ बोलीदाता को भेजी जा सकती हैं, और उनसे एक निर्दिष्ट तिथि तक जवाब देने का अनुरोध किया जा सकता है, साथ ही यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि यदि बोलीदाता निर्दिष्ट तिथि तक जवाब नहीं देता है, तो उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

16.3 बैंक द्वारा निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा इस दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने वाले बोलीदाताओं को आगे की प्रक्रिया के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

16.4 तकनीकी बोलियाँ आरएफपी दस्तावेज़ में परिभाषित पात्रता मानदंडों के आधार पर खोली और मूल्यांकन की जाएँगी। सभी पात्रता मानदंडों और आरएफपी दस्तावेज़ के सभी नियमों और शर्तों के अनुपालन को पूरा करने वाली बोलियों का तकनीकी मानदंडों पर आगे मूल्यांकन किया जाएगा।

### 17. वाणिज्यिक मूल्यांकन प्रक्रिया

17.1 केवल उन बोलीदाताओं के सांकेतिक वाणिज्यिक प्रस्ताव खोले जाएंगे जो तकनीकी मूल्यांकन में योग्य होंगे।

17.2 सांकेतिक वाणिज्यिक प्रस्ताव किसी भी तरह से तकनीकी प्रस्ताव का खंडन नहीं करना चाहिए और इसमें प्रस्तावित सभी वस्तुओं की सांकेतिक लागत शामिल होनी चाहिए। अनुलग्नक 7. इसमें सभी मूल्य जानकारी भारतीय रुपए (INR) में होनी चाहिए।

17. बोली लगाने वाले पर अंतिम निर्णय बैंक द्वारा लिया जाएगा। बैंक किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसी प्रकार, बैंक किसी भी बोली लगाने वाले को अंतिम सूची में शामिल न करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

### 18. न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं

बैंक इस नोटिस के जवाब में प्राप्त न्यूनतम या किसी अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और वह बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का हकदार होगा।

### 19. अनुबंध आवंटित करना।

वाणिज्यिक बोलियों के मूल्यांकन के पूरा होने पर, बैंक एल1 बोलीदाता का निर्धारण करेगा।

हालाँकि, बैंक इस निविदा सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त न्यूनतम मूल्य की बोली या किसी अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का हकदार होगा, जिसमें देरी से प्राप्त या अपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल हैं। बैंक अनुबंध के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। जब तक अनुबंध के नियमों और शर्तों में कोई बदलाव न हो, बैंक किसी भी बोलीदाता से मिलने, चर्चा करने और/या किसी भी अभ्यावेदन को सुनने के लिए बाध्य नहीं होगा।

## **16. Evaluation Process**

16.1 Bids which do not fulfil the eligibility criteria / conditions relating to Bidders credentials, experience etc. as evidenced through the technical bid documents will be rejected by the Bank.

16.2 The Bank may, at its discretion, waive any minor informality, nonconformity, or irregularity in a bid which does not constitute a material deviation and financial impact, provided such waiver does not prejudice or affect the relative ranking of any bidder. Wherever necessary, observations on such 'minor' issues (as mentioned above) may be conveyed to the bidder, asking them to respond by a specified date also mentioning therein that, if the bidder does not respond by the specified date, their bid will be liable to be rejected.

16.3 Bidders satisfying the technical requirements as determined by the Bank and accepting the terms and conditions of this document shall be short-listed for further process.

16.4 The technical bids will be opened & evaluated based on the eligibility criteria defined in the RFP document. Bids complying with all the eligibility criteria and conforming compliance to all the terms and conditions of RFP document would be further evaluated on technical parameters.

## **17. Commercial Evaluation Process**

17.1 The indicative commercial proposals of only those bidders who are qualified in the technical evaluation would be opened.

17.2 The indicative commercial offer must not contradict the technical offer in any way and should include the indicative cost of all the items offered as per Annexure 7. This must contain all price information in Indian rupees (INR).

17. The final decision on the bidder will be taken by Bank. Bank reserves the right to reject any or all proposals. Similarly, it reserves the right not to include any bidder in the final short-list.

## **18. No Commitment to Accept Lowest or Any Tender**

The Bank shall be under no obligation to accept the lowest or any other offer received in response to this notice and shall be entitled to reject any or all offers without assigning any reason whatsoever.

## **19. Award of Contract**

On completion of evaluation of commercial bids, Bank will determine L1 bidder.

However, the Bank shall be under no obligation to accept the lowest price bid or any other offer received in response to this Tender notice and shall be entitled to reject any or all offers including those received late or incomplete offers without assigning any reason whatsoever. The Bank reserves the right to make any changes in the terms and conditions of contract. The Bank will not be obliged to meet and have discussions with any Bidder, and/or to listen to any representations unless there is change in the terms and conditions of contract.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

## 20. बोली की अस्वीकृति

बोली अस्वीकृत की जा सकती है यदि:

- दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा विधिवत मुहर भी नहीं लगी है।
- यह फैक्स/ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होता है।
- यह बोली प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि और समय की समाप्ति के बाद प्राप्त होता है।
- यदि बोली अधूरी है, जिसमें अपेक्षित दस्तावेज़ प्रस्तुत न करना या प्रस्तुत न करना शामिल है, तो / सशर्त बोलियां / इस प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप न होने वाली बोलियां बैंक द्वारा अस्वीकार की जा सकती हैं।
- यह भ्रामक है या इसमें गलत जानकारी है।
- शॉर्टलिस्टिंग, स्थिति आदि के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रचार/पैरवी/प्रभाव/प्रश्न करना।
- यह कार्य के दायरे में उल्लिखित सभी बिंदुओं का अनुपालन नहीं करता है। किसी भी आरएफपी खंड का अनुपालन न करने पर बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

## 21. अनुबंध की समाप्ति

21.1. चूक के लिए समाप्ति: बैंक, अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सफल बोलीदाता को चूक की लिखित सूचना भेजकर, इस अनुबंध को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है:

- यदि सफल बोलीदाता अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या बैंक द्वारा दी गई किसी भी विस्तार के भीतर किसी भी या सभी डिलिवरेबल्स / माइलस्टोन को वितरित करने में विफल रहता है; या;
- यदि सफल बोलीदाता अनुबंध के तहत किसी अन्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है।
- यदि सफल बोलीदाता, बैंक के निर्णयानुसार, अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या उसे निष्पादित करने में भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार में लिप्त है। भ्रष्ट व्यवहार का अर्थ है, खरीद प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन में किसी सरकारी अधिकारी के कार्यों को प्रभावित करने या मूल्यवान वस्तु की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना; और "कपटपूर्ण व्यवहार" का अर्थ है, बैंक के नुकसान के लिए खरीद प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, और इसमें बोलीदाताओं के बीच (बोली प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) कपटपूर्ण व्यवहार शामिल है, जिसका उद्देश्य बोली की कीमतों को कृत्रिम रूप से गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर पर स्थापित करना और बैंक को मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करना है।

21.2. यदि बैंक अनुबंध को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त करता है, तो बैंक, ऐसी शर्तों और विधि से, जैसा वह उचित समझे, अप्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के समान वस्तुएँ या सेवाएँ प्राप्त कर सकता है, और सफल बोलीदाता ऐसी समान वस्तुओं या सेवाओं के लिए किसी भी अतिरिक्त लागत के लिए बैंक के प्रति उत्तरदायी होगा। हालाँकि, सफल बोलीदाता अनुबंध का निष्पादन तब तक जारी रखेगा जब तक कि अनुबंध समाप्त न हो जाए, जब परिसमाप्त क्षतिपूर्ति का मूल्य अनुबंध मूल्य के 10% से अधिक हो जाए।

21.3. यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है तो सभी अविवादित भुगतान बोलीदाता को दे दिए जाएंगे, लेकिन विवादित भुगतान को चालान या पीबीजी से दंड के रूप में समायोजित किया जाएगा।

21.4. दिवालियापन के लिए समाप्ति: यदि बोलीदाता दिवालिया हो जाता है, उसके विरुद्ध प्राप्ति आदेश जारी हो जाता है, उसके लेनदारों के साथ समझौता हो जाता है, या यदि बोलीदाता एक निगम है, तो उसके समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है या आदेश दिया जाता है (विलय या पुनर्निर्माण के प्रयोजनों के लिए स्वैच्छिक परिसमापन के अलावा), उसके उपक्रम या परिसंपत्तियों के किसी भाग पर एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है, या यदि बोलीदाता ऋण के परिणामस्वरूप कोई अन्य सदृश कार्रवाई करता है या भुगतान पड़ता है; तो बैंक किसी भी समय बोलीदाता को लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने की योजना बनाता है। यदि इस खंड के अनुसार बैंक द्वारा अनुबंध समाप्त किया जाता है, तो बोलीदाता को क्षतिपूर्ति दिए बिना समाप्ति होगी, बशर्ते कि ऐसी समाप्ति बैंक को प्राप्त हुई या उसके बाद प्राप्त होने वाली किसी भी कार्रवाई या उपचार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले या प्रभावित न करे।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

## 20. Rejection of Bid

The Bid is liable to be rejected if:

- The document does not bear signature of authorized person in each page and duly stamped.
- It is received through Fax/E-mail.
- It is received after expiry of the due date and time stipulated for Bid submission.
- It is incomplete including non-submission or non-furnishing of requisite documents / Conditional Bids / Bids not conforming to the terms and conditions stipulated in this Request for proposal (RFP) are liable for rejection by the Bank.
- It is evasive or contains incorrect information.
- Any form of canvassing/lobbying/influence/ query regarding short listing, status etc. is made.
- It does not comply with all the points mentioned in the scope of work. Noncompliance of any RFP clause will lead to rejection of the bid.

## 21. Termination of Contract

21.1. Termination for Default: The Bank, without prejudice to any other remedy for breach of contract, by written notice of default sent to the Successful Bidder, may terminate this Contract in whole or in part:

- (d) If the Successful Bidder fails to deliver any or all of the deliverables / milestones within the period(s) specified in the Contract, or within any extension thereof granted by the Bank; or;
- (e) If the Successful Bidder fails to perform any other obligation(s) under the contract.
- (f) If the Successful Bidder, in the judgment of the Bank has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in executing the Contract. Corrupt practice means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value or influence the action of a public official in the procurement process or in contract execution; and "fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or the execution of a contract to the detriment of the Bank, and includes collusive practice among Bidders ( prior or after bid submission) designed to establish bid prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Bank of the benefits of free and open competition.

21.2. In the event, the Bank terminates the Contract in whole or in part, the Bank may procure, upon such terms and in such manner as it deems appropriate, Goods or Services similar to those undelivered, and the Successful Bidder shall be liable to the Bank for any excess costs for such similar Goods or Services. However, the Successful Bidder shall continue performance of the Contract to the extent not terminated when the value of the liquidated damages exceed 10% of the contract value.

21.3. In case the contract is terminated then all undisputed payment will be given to bidder, but disputed payment shall be adjusted by way of penalty from invoices or PBG.

21.4. Termination for Insolvency: If the Bidder becomes bankrupt or insolvent, has a receiving order issued against it, compounds with its creditors, or, if the Bidder is a corporation, a resolution is passed or order is made for its winding up (other than a voluntary liquidation for the purposes of amalgamation or reconstruction), a receiver is appointed over any part of its undertaking or assets, or if the Bidder takes or suffers any other analogous action in consequence of debt; then the Bank plans to, at any time, terminate the contract by giving written notice to the Bidder. If the contract is terminated by the Bank in terms of this Clause, termination will be without compensation to the Bidder, provided that such termination will not prejudice or affect any right of action or remedy which has accrued or will accrue thereafter to the Bank. In case, the termination occurs before implementation in all the locations in terms of this clause, the Bank is entitled to make its claim to the extent of the amount already paid by the Bank to the Bidder.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

21.5.समाप्ति – मुख्य नियम और शर्तें: बैंक बोलीदाता को तीस (30) दिन पूर्व लिखित सूचना देकर किसी भी समय बोलीदाता/बोलीदाता के साथ समझौता समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि बोलीदाता किसी भी समय नोटिस देकर समझौता समाप्त करना चाहता है, तो बैंक को अधिकार होगा।

- उसके विरुद्ध समापन आदेश जारी किया गया है; या
- सभी या पर्याप्त परिसंपत्तियों पर एक रिसीवर नियुक्त किया गया है; या
- अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या हो जाता है; या
- अपने लेनदारों के साथ या उनके लाभ के लिए कोई व्यवस्था या संयोजन करता है; या
- स्वैच्छिक समापन या विघटन के लिए या यदि इसे भंग कर दिया गया है तो प्रस्ताव पारित करना।

21.6. निकास विकल्प और अनुबंध पर पुनः बातचीत:

- बैंक निम्नलिखित में से एक या अधिक स्थितियों के घटित होने की स्थिति में अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:
  - सफल बोलीदाता द्वारा अनुबंध स्वीकार करने तथा सूचना प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफलता।
  - निर्दिष्ट अवधि से परे समाधान की डिलीवरी, प्रदर्शन या कार्यान्वयन में देरी;
  - प्रदान की जाने वाली कार्यक्षमता या सहमत प्रदर्शन स्तरों में गंभीर विसंगति, जिसका बैंक के कामकाज पर प्रभाव पड़ता है। बैंक द्वारा दोष बताए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर बोलीदाता द्वारा स्थिति को ठीक करने में असमर्थता। (15 दिनों को नोटिस अवधि माना जाएगा)
- क्रय अनुबंध को रद्द करने के अतिरिक्त, बैंक बोलीदाता द्वारा दी गई बोली सुरक्षा/निष्पादन गारंटी को भुनाकर क्षतिपूर्ति की भरपाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

22. क्षतिपूर्ति और देयता की सीमा

22.1 बोलीदाता बैंक को क्षतिपूर्ति देगा, और हमेशा क्षतिपूर्ति करता रहेगा तथा बैंक, उसके कर्मचारियों, कर्मिकों, अधिकारियों, निदेशकों को किसी भी और सभी हानियों, देनदारियों, दावों, कार्रवाइयों, लागतों और खर्चों (वकील की फीस सहित) से सुरक्षित रखेगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरह से बैंक के खिलाफ लाए गए किसी भी दावे, मुकदमे या कार्यवाही से उत्पन्न होते हैं:

- इस आरएफपी के तहत बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई डिलिवरेबल्स और/या सेवाओं का बैंक द्वारा अधिकृत/वास्तविक उपयोग या एसएलए (सेवा स्तर समझौता) या पीओ और/या में निर्धारित किसी या सभी नियमों और शर्तों का उपयोग
- इस आरएफपी के तहत बोलीदाता के दायित्वों के निष्पादन में बोलीदाता, कर्मचारियों, एजेंटों, उप-ठेकेदारों का कोई कार्य या चूक या एसएलए (सेवा स्तर समझौता) या खरीद आदेश (पीओ) और/या में निर्धारित किसी या सभी नियमों और शर्तों का पालन न करना।
- बोलीदाता द्वारा तैनात कर्मचारियों या उपठेकेदारों या उपठेकेदारों के कर्मचारियों द्वारा बैंक और/या के विरुद्ध किए गए दावे
- इस आरएफपी की किसी भी शर्त का उल्लंघन या इस आरएफपी के तहत बोलीदाता के किसी भी प्रतिनिधित्व या झूठे प्रतिनिधित्व या गलत बयान या आश्वासन या वाचा या वारंटी का उल्लंघन या; एसएलए (सेवा स्तर समझौते) या पीओ और/या में निर्धारित किसी भी या सभी नियमों और शर्तों
- कोई भी या सभी डिलिवरेबल्स या सेवाएं जो किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या ऐसे अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और/या
- इस आरएफपी में निहित बोलीदाता के गोपनीयता दायित्वों का उल्लंघन या; एसएलए (सेवा स्तर समझौता) या पीओ और/या में निर्धारित कोई या सभी नियम और शर्तें
- बोलीदाता या उसके कर्मचारियों, एजेंट या उप-ठेकेदारों के कारण हुई लापरवाही या घोर कदाचार।

22.2 बोलीदाता को अपनी लागत और खर्च पर बैंक के खिलाफ किसी भी दावे का बचाव या निपटान करना होगा कि इस आरएफपी के तहत वितरित या प्रदान की गई डिलिवरेबल्स और सेवाएं उस देश में पेटेंट, उपयोगिता मॉडल, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य, मुखौटा कार्य या ट्रेडमार्क का उल्लंघन करती हैं जहां डिलिवरेबल्स और सेवाओं का उपयोग, बिक्री या प्राप्ति की जाती है, बशर्ते बैंक:



### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

**21.5. Termination – Key Terms & Conditions:** The Bank reserves the right to terminate the agreement with the Bidder / bidder at any time by giving thirty (30) days prior written notice to the Bidder. The Bank shall be entitled to terminate the agreement at any time by giving notice if the Bidder.

- (f) has a winding up order made against it; or
- (g) has a receiver appointed over all or substantial assets; or
- (h) is or becomes unable to pay its debts as they become due; or
- (i) enters into any arrangement or composition with or for the benefit of its creditors; or
- (j) Passes a resolution for its voluntary winding up or dissolution or if it is dissolved.

### 21.6. Exit Option and Contract Re-Negotiation:

- (c) The Bank reserves the right to cancel the contract in the event of happening one or more of the following Conditions:
  - iv. Failure of the successful bidder to accept the contract and furnish the Performance Guarantee within 21 days of receipt of intimation.
  - v. Delay in delivery, performance or implementation of the solution beyond the specified period;
  - vi. Serious discrepancy in functionality to be provided or the performance levels agreed upon, which have an impact on the functioning of The Bank. Inability of the Bidder to remedy the situation within 15 days from the date of pointing out the defects by The Bank. (15 days will be construed as the notice period)
- (d) In addition to the cancellation of purchase contract, Bank reserves the right to appropriate the damages through encashment of Bid Security / Performance Guarantee given by the Bidder.

## 22. Indemnity & Limitation of Liability

22.1. The Bidder shall indemnify the Bank, and shall always keep indemnified and hold the Bank, its employees, personnel, officers, directors, harmless from and against any and all losses, liabilities, claims, actions, costs and expenses (including attorney's fees) relating to, resulting directly or indirectly from or in any way arising out of any claim, suit or proceeding brought against the Bank as a result of:

- viii. Bank's authorized / bonafide use of the Deliverables and/or the Services provided by Bidder under this RFP or any or all terms and conditions stipulated in the SLA (Service level Agreement) or PO and/or
- ix. An act or omission of the Bidder, employees, agents, sub-contractors in the performance of the obligations of the Bidder under this RFP or, any or all terms and conditions stipulated in the SLA (Service level Agreement) or Purchase Order (PO) and/or
- x. Claims made by employees or subcontractors or subcontractors' employees, who are deployed by the Bidder, against the Bank and/or
- xi. Breach of any of the term of this RFP or breach of any representation or false representation or inaccurate statement or assurance or covenant or warranty of the Bidder under this RFP or; any or all terms and conditions stipulated in the SLA (Service level Agreement) or PO and/or
- xii. Any or all Deliverables or Services infringing any patent, trademarks, copyrights or such other Intellectual Property Rights and/or
- xiii. Breach of confidentiality obligations of the Bidder contained in this RFP or; any or all terms and conditions stipulated in the SLA (Service level Agreement) or PO and/or
- xiv. Negligence or gross misconduct attributable to the Bidder or its employees, agent or sub-contractors.

22.2. The Bidder will have to at its own cost and expenses defend or settle any claim against the Bank that the Deliverables and Services delivered or provided under this RFP infringe a patent, utility model, industrial design, copyright, trade secret, mask work or trade mark in the country where the Deliverables and Services are used, sold or received, provided the Bank:

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

- i. बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित करता है; और
- ii. दावों के बचाव और निपटान में बोलीदाता के साथ सहयोग करता है।

22.3. यदि बोलीदाता बग्स को ठीक करने में, इस आरएफपी के नियमों और शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा अपेक्षित संशोधन / संवर्द्धन / अनुकूलन प्रदान करने में और बैंक की संतुष्टि के अनुसार सेवा स्तरों को पूरा करने में विफल रहता है, तो बोलीदाता बैंक को प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

22.4 इसके अतिरिक्त, बोलीदाता निम्नलिखित कारणों से बैंक को होने वाले सभी दावों, हानि, लागत, क्षति, व्यय, कार्रवाई, मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति, संरक्षण और बचाव प्रदान करेगा:

- i. इस अनुबंध के अंतर्गत वितरित या प्रदान की गई डिलिवरेबल्स और सेवाएं किसी भी देश में पेटेंट, उपयोगिता मॉडल, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य, मास्क वर्क या ट्रेडमार्क का उल्लंघन करती हैं, जहां डिलिवरेबल्स और सेवाओं का उपयोग, बिक्री या प्राप्ति की जाती है; और/या बोलीदाता जीएसटीआर 2ए में आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के किसी भी वेमेल के मामले में बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, जहां बैंक आपूर्ति पर जीएसटी घटक को बनाए रखने का विकल्प नहीं चुनता है।
- ii. किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले सभी दावे, हानि, लागत, क्षति, व्यय, कार्रवाई, मुकदमे और अन्य कार्यवाहियां या
- iii. कॉपीराइट अधिनियम, 1957 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 या किसी भी कानून, नियम, विनियमन, उपनियम, अधिसूचना सहित किसी भी कानून के तहत ऐसे अन्य वैधानिक उल्लंघन, जो उनके द्वारा बैंक को किसी भी स्रोत से आपूर्ति किए गए सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क उपकरण या अन्य प्रणालियों के संबंध में लागू किए जा रहे हैं, बशर्ते कि बैंक बोलीदाता को लिखित रूप में यथाशीघ्र सूचित करे जब बैंक को दावे के बारे में पता चले, हालांकि:
  - a. बोलीदाता के पास बचाव पक्ष और सभी संबंधित निपटान वार्ताओं का एकमात्र नियंत्रण होता है।
  - b. बैंक बोलीदाता को उपरोक्त कार्य करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक सहायता, जानकारी और अधिकार प्रदान करता है और बोलीदाता बैंक या किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा दावे के बारे में कोई भी बयान, टिप्पणी या अभ्यावेदन देने के अपने अधिकारों से अवगत है। क्षतिपूर्ति न्यायालय या मध्यस्थता द्वारा दिए गए हर्जाने तक सीमित होगी और इसमें अप्रत्यक्ष और आकस्मिक क्षतियाँ और क्षतिपूर्ति शामिल नहीं होंगी।

22.5. क्षतिपूर्ति निम्नलिखित तक सीमित होगी मध्यस्थता में दिए गए हर्जाने के अलावा, अप्रत्यक्ष और आकस्मिक क्षतियाँ भी इसमें शामिल नहीं होंगी। हालाँकि, क्षतिपूर्ति में नियामक प्राधिकरणों द्वारा किए गए दावों से बैंक को होने वाली क्षति, हानि या देनदारियाँ, क्षतिपूर्ति भी शामिल होगी।

### 23. परिसमापन हर्जाना

23.1. यदि सफल बोलीदाता/विक्रेता अनुबंध/एसएलए में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक, अनुबंध के तहत अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सेवा में प्रत्येक ऐसी चूक के लिए अनुबंध मूल्य से परिसमाप्त क्षति (एलडी) के रूप में जुर्माना काट लेगा।

23.2. वास्तविक डिलीवरी या निष्पादन तक की देरी के लिए, निर्धारित क्षति (एलडी) प्रत्येक सप्ताह या उसके किसी भाग के लिए अनुबंध राशि का 0.5% होगी। हालाँकि, काटी गई निर्धारित क्षति की कुल राशि अनुबंध राशि के 10% पर निर्धारित की जाएगी। जब निर्धारित क्षति अनुबंध राशि के 10% तक पहुँच जाती है, तो बैंक अनुबंध को समाप्त करने या बैंक गारंटी का आह्वान करने पर विचार कर सकता है। इस संदर्भ में, बैंक दोनों विकल्पों का प्रयोग कर सकता है। अधिकार एक साथ या अलग-अलग यदि बैंक अपने अधिकार का प्रयोग बैंक गारंटी को लागू करने और अनुबंध को समाप्त न करने के लिए करता है बैंक संबंधित बोलीदाता को इस संबंध में उसी राशि के लिए नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।

उस समय, अनुबंध मूल्य बैंक द्वारा देय वास्तविक राशि तक कम हो जाएगा। सफल बोलीदाता को देय भुगतान भी आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। उस समय बैंक को दिए गए सभी वितरण बैंक की संपत्ति बने रहेंगे और बैंक उनका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकता है जिसे वह उचित समझे।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

- i. Notifies the Bidder in writing; and
- ii. Cooperates with the Bidder in the defense and settlement of the claims.

22.3. The Bidder shall compensate the Bank for direct financial loss suffered by the Bank, if the Bidder fails to fix bugs, provide the Modifications / Enhancements / Customization as required by the Bank as per the terms and conditions of this RFP and to meet the Service Levels as per satisfaction of the Bank.

22.4. Additionally, the Bidder shall indemnify, protect and save the Bank against all claims, losses, costs, damages, expenses, action, suits and other proceedings, suffered by bank due to the following reasons:

- iv. that the Deliverables and Services delivered or provided under this Agreement infringe a patent, utility model, industrial design, copyright, trade secret, mask work or trademark in any country where the Deliverables and Services are used, sold or received; and/or The Bidder shall indemnify the Bank in case of any mismatch of ITC (Input Tax Credit) in the GSTR 2A, where the Bank does not opt for retention of GST component on supplies.
- v. all claims, losses, costs, damages, expenses, action, suits and other proceedings resulting from infringement of any patent, trade-marks, copyrights etc. or
- vi. such other statutory infringements under any laws including the Copyright Act, 1957 or Information Technology Act, 2000 or any Law, rules, regulation, bylaws, notification time being enforced in respect of all the Hardware, Software and network equipment or other systems supplied by them to the Bank from whatsoever source, provided the Bank notifies the Bidder in writing as soon as practicable when the Bank becomes aware of the claim however:
  - iii. The Bidder has sole control of the defense and all related settlement negotiations.
  - iv. The Bank provides the Bidder with the assistance, information and authority reasonably necessary to perform the above and bidder is aware of the rights to make any statements or comments or representations about the claim by Bank or any regulatory authority. Indemnity would be limited to court or arbitration awarded damages and shall exclude indirect and incidental damages and compensations.

22.5. Indemnity would be limited to damages awarded in arbitration and shall exclude indirect, and incidental damages. However, indemnity would also cover damages, loss or liabilities, compensation suffered by the Bank arising out of claims made by regulatory authorities.

### 23. Liquidated Damages

23.1. If the successful Bidder/Vendor fails to perform the Services within the period(s) specified in the Contract / SLA, the Bank shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, deduct penalty from the Contract Price, as Liquidated Damages (LD), for every such default in service.

23.2. Liquidated Damages (LD) shall be 0.5 % of contract amount for each week or part thereof for delay until actual delivery or performance. However, the total amount of Liquidated Damages deducted will be pegged at 10% of the contract amount. Once the liquidated damages reach 10% of the contract amount, the bank may consider termination of the contract or invocation of Bank guarantee. In this context Bank may exercise both the rights simultaneously or severally. In case the Bank exercises its right to invoke the Bank guarantee and not to terminate the contract, the Bank may instruct to concerned bidder to submit fresh Bank guarantee for the same amount in this regard.

At that point, the contract price will stand reduced to the actual amount payable by the Bank. Proportionately the payment payable to the Successful Bidder will also stand reduced. All the deliverables given to the Bank at that instant will continue to be the property of the bank and the bank plans to use the same for any purpose which it may deem fit.



## सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

### 24. गोपनीयता

बोलीदाता इस समझौते से बैंक के डेटा और अन्य जानकारी का खुलासा न करने के लिए बाध्य है। बैंक परिसर में कार्यरत संसाधन बैंक के नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए उत्तरदायी हैं और बैंक की आउटसोर्सिंग नीति द्वारा शासित हैं।

दस्तावेज में बैंक के लिए गोपनीय और स्वामित्व वाली जानकारी शामिल है। इसके अतिरिक्त, अनुबंधित गतिविधियों के कारण बोलीदाता को बैंक, सहयोगी कंपनियों और/या व्यावसायिक भागीदारों की आंतरिक व्यावसायिक और परिचालन संबंधी जानकारी का पता चल जाएगा। इस निविदा की प्राप्ति या उपरोक्त जानकारी के किसी भी भाग का खुलासा उन पक्षों को करने पर जो अनुरोधित सेवाएँ प्रदान करने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हैं, बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, अनुबंध समय से पहले समाप्त किया जा सकता है, या बोलीदाता के विरुद्ध विश्वासघात के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यदि अनुबंधित कार्य या इसके अंतर्गत कोई कार्यक्रम आवंटित किया गया है तो उससे संबंधित कोई भी समाचार विज्ञप्ति, सार्वजनिक घोषणा या आदेश का कोई अन्य संदर्भ बैंक की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

चूंकि बोलीदाता कई बैंकों के लिए सहायता सेवाएँ प्रदान कर रहा है, इसलिए बोलीदाता को हर समय मजबूत सुरक्षा उपाय बनाने का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह से सूचना/दस्तावेजों, रिकार्डों और परिसंपत्तियों का आपस में मिश्रण न हो।

बोलीदाता को अनुबंध की समाप्ति के बाद भी बैंक की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने का वचन देना होगा।

क्रय आदेश की स्वीकृति की तिथि से 21 दिनों की अवधि के भीतर बैंक और सफल बोलीदाता के बीच गैर-प्रकटीकरण समझौता (एनडीए) किया जाना चाहिए।

### 25. अप्रत्याशित घटना

यदि इस अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों में चूक या गैर-निष्पादन किसी कारण, परिस्थिति या घटना के कारण होता है जो पक्षों के नियंत्रण से परे है, तो पक्ष अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों में चूक या गैर-निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जो कि अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप होता है। इस खंड के प्रयोजन के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ पक्षों के नियंत्रण से परे ऐसी घटना होगी, जो दैवीय आपदाओं, युद्धों, महामारी/महामारी, विद्रोह, दंगों, भूकंप और आग के कारण या उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है, ऐसी घटनाएँ जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें पक्षों की ओर से कोई गलती, लापरवाही या असावधानी शामिल नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

ऐसी किसी भी हस्तक्षेपकारी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में, प्रत्येक पक्ष को ऐसी परिस्थितियों और उसके कारणों के बारे में पाँच कैलेंडर दिनों के भीतर लिखित रूप में दूसरे पक्ष को सूचित करना होगा। जब तक दूसरे पक्ष द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, अप्रत्याशित घटना की दलील देने वाला पक्ष अन्य दायित्वों का निर्वहन/प्रदान/निर्वहन करना जारी रखेगा, जहाँ तक उन्हें यथोचित रूप से पूरा किया जा सकता है और अप्रत्याशित घटना से प्रभावित निष्पादन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा।

ऐसे मामले में, निष्पादन के लिए समय को ऐसी देरी की अवधि से कम अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि किसी अप्रत्याशित घटना के कारण देरी की अवधि एक महीने से अधिक समय तक जारी रहती है, तो दोनों पक्ष समस्या का समाधान खोजने के प्रयास में एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

उपरोक्त के बावजूद, बैंक का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

### 26. अनुबंध, एसएलए और एनडीए का निष्पादन

बोलीदाता और बैंक को निष्पादित करना चाहिए

- अनुबंध, जिसमें सभी सेवाएँ और सेवाओं की शर्तें शामिल होंगी, जैसा कि इसमें विस्तृत रूप से बताया गया है और जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और
- गैर प्रकटीकरण समझौता।
- बोलीदाता को क्रय आदेश की स्वीकृति की तिथि से 21 दिनों के भीतर अनुबंध, एसएलए और एनडीए निष्पादित करना होगा।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

#### 24. Confidentiality

The bidder is bound by this agreement for not disclosing the Banks data and other information. Resources working in the premises of the Bank are liable to follow the rules and regulations of the Bank and are governed by the outsourcing policy of the Bank.

The document contains information confidential and proprietary to the Bank. Additionally, the bidder will be exposed by virtue of the contracted activities to the internal business and operational information of the Bank, affiliates, and/or business partners, disclosure of receipt of this tender or any part of the aforementioned information to parties not directly involved in providing the requested services could result in the disqualification of the bidders, premature termination of the contract, or legal action against the bidder for breach of trust.

No news release, public announcement or any other reference to the order, relating to the contracted work if allotted with the assignment or any program hereunder shall be made without written consent from the Bank.

As the bidder is providing support services for multiple Banks, the bidder at all times should take care to build strong safeguards so that there is no mixing together of information/ documents, records and assets is happening by any chance.

The bidder should undertake to maintain confidentiality of the Banks information even after the termination / expiry of the contracts.

The Non-Disclosure Agreement (NDA) should be entered in to between the Bank and the successful bidder within a period of 21 days from, the date of acceptance of purchase order.

#### 25. Force Majeure

The parties shall not be liable for default or non-performance of the obligations under the contract, if such default or non-performance of the obligations under this contract is caused by any reason or circumstances or occurrences beyond the control of the parties, as a result of force majeure. For the purpose of this clause, "Force Majeure" shall mean an event beyond the control of the parties, due to or as a result of or caused by acts of God, wars, epidemic/pandemic, insurrections, riots, earth quake and fire, events not foreseeable but does not include any fault or negligence or carelessness on the part of the parties, resulting in such a situation.

In the event of any such intervening Force Majeure, each party shall notify the other party in writing of such circumstances and the cause thereof immediately within five calendar days. Unless otherwise directed by the other party, the party pleading Force Majeure shall continue to perform/render/discharge other obligations as far as they can reasonably be attended/fulfilled and shall seek all reasonable alternative means for performance affected by the Event of Force Majeure.

In such a case, the time for performance shall be extended by a period(s) not less than the duration of such delay. If the duration of delay continues beyond a period of one month due to force majeure situation, the parties shall hold consultations with each other in an endeavor to find a solution to the problem.

Notwithstanding above, the decision of the Bank shall be final and binding on the Bidder.

#### 26. Execution of Contract, SLA and NDA

The bidder and Bank should execute

- i. Contract, which would include all the services and terms and conditions of the services to be extended as detailed herein and as may be prescribed by the Bank and
- ii. Non-disclosure Agreement.
- iii. The bidder should execute the contract, SLA and NDA within 21 days from the date of acceptance of the Purchase Order.

## सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

### 27. गोपनीयता और सुरक्षा उपाय

- बोलीदाता, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बोलीदाता द्वारा डिज़ाइन, विकसित या कार्यान्वित किए गए या बैंक के किसी भी स्थान पर मौजूद किसी भी सुरक्षा उपाय का विवरण किसी भी तरह से प्रकाशित या प्रकट नहीं करेगा। बोलीदाता को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएँ और कार्यान्वयन योजनाएँ विकसित करनी होंगी कि निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के नियंत्रण से बाहर जाने वाले आईटी संसाधनों (जैसे कि पुनः असाइन किए जाने, मरम्मत के लिए हटाए जाने, प्रतिस्थापित या अपग्रेड किए जाने) से सभी बैंक डेटा और संवेदनशील एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर साफ़ हो जाएँ। बोलीदाता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे सुरक्षा उपाय या उसके किसी भाग को प्रदान करने में शामिल सभी उप-ठेकेदार, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बोलीदाता द्वारा डिज़ाइन, विकसित या कार्यान्वित किए गए या बैंक के किसी भी स्थान पर मौजूद किसी भी सुरक्षा उपाय का विवरण किसी भी तरह से प्रकाशित या प्रकट नहीं करेंगे।
- बोलीदाता इस बात से सहमत है और पुष्टि करता है कि वे सुरक्षा उल्लंघनों के मामलों का तुरंत खुलासा करेंगे।
- बोलीदाता इस बात पर सहमत है कि वे दस्तावेजों को सुरक्षित रखेंगे।

### 28. शासन कानून और क्षेत्राधिकार

इस आरएफपी और उसके बाद के समझौते के प्रावधान भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे। इस आरएफपी/समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को नासिक (महाराष्ट्र) स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

### 29. कानूनों का अनुपालन

29.1. सभी लागू कानूनों का अनुपालन: सफल बोलीदाता बैंक के सभी कानूनों के बारे में, जो उनके, उनके व्यवसाय, उनके कर्मचारियों या उनके प्रति उनके दायित्वों और इस कार्यक्षेत्र के सभी उद्देश्यों से संबंधित या लागू हैं, उनका पालन करने, उनका पालन करने, उनका अनुपालन करने का वचन देगा और बैंक और उसके कर्मचारियों/अधिकारियों/स्टाफ/कर्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों को ऐसा करने में उसकी ओर से किसी भी विफलता या चूक से और देयता के सभी दावों या मांगों और सभी परिणामों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा, हानिरहित रखेगा, बचाव करेगा और उसकी रक्षा करेगा जो उपरोक्त और उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य वैधानिक दायित्वों के अनुरूप या अनुपालन करने में उसकी ओर से किसी भी चूक या विफलता के कारण हो सकते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं।

29.2. अनुमोदन/अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने में अनुपालन: बोलीदाता को सभी ऐसी सहमतियाँ, अनुमतियाँ, अनुमोदन, लाइसेंस आदि तुरंत और समय पर प्राप्त करने होंगे, जो इस परियोजना के किसी भी उद्देश्य के लिए या किसी भी लागू कानून, सरकारी विनियमन/दिशानिर्देशों के तहत अपने स्वयं के व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक या अपेक्षित हो सकते हैं और परियोजना की अवधि के दौरान उन्हें वैध और लागू रखेंगे, और ऐसा करने में किसी भी विफलता या चूक की स्थिति में, बैंक और उसके कर्मचारियों/अधिकारियों/स्टाफ/कर्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों को देयता के सभी दावों या मांगों और सभी परिणामों से क्षतिपूर्ति करेंगे, क्षतिपूर्ति करते रहेंगे, हानिरहित रखेंगे, बचाव करेंगे, सुरक्षित रखेंगे और पूरी तरह से मुआवजा देंगे जो उपरोक्त और उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य वैधानिक दायित्वों के अनुरूप या अनुपालन करने में उसकी ओर से किसी भी चूक या विफलता के लिए उत्पन्न हो सकते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं और बैंक कंपनी को उचित समय के भीतर देयता के ऐसे किसी भी दावे या मांग की सूचना देगा।

29.3. यह क्षतिपूर्ति बैंक के लिए केवल एक उपाय है। बोलीदाता ऊपर निर्दिष्ट वैधानिक दायित्वों का पालन करने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं है।

### 30. शर्तों का उल्लंघन

बैंक स्पष्ट करता है कि बैंक को निषेधाज्ञा, निरोधक आदेश, वसूली का अधिकार, विशिष्ट निष्पादन या अन्य न्यायसंगत राहत प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसे सक्षम न्यायालय बोलीदाता को आरएफपी/समझौते में निहित किसी भी उल्लंघन को करने से रोकने या उसके द्वारा किए गए अनुबंधों, दायित्वों और अभ्यावेदनों के निष्पादन को लागू करने से रोकने के लिए आवश्यक या उचित समझे। ये निषेधाज्ञा उपाय संचयी हैं और बैंक को कानून या इच्छा के तहत प्राप्त किसी भी अन्य अधिकारों और उपायों के अतिरिक्त हैं, जिनमें बिना किसी सीमा के किसी भी राशि और संबंधित लागतों की वसूली का अधिकार और क्षतिपूर्ति का अधिकार शामिल है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

**27. Privacy and security safeguards**

- The Bidder shall not publish or disclose in any manner, without the Bank's prior written consent, the details of any security safeguards designed, developed, or implemented by the Bidder or existing at any Bank location. The Bidder will have to develop procedures and implementation plans to ensure that IT resources leaving the control of the assigned user (such as being reassigned, removed for repair, replaced, or upgraded) are cleared of all Bank data and sensitive application software. The Bidder will have to also ensure that all subcontractors who are involved in providing such security safeguards or part of it shall not publish or disclose in any manner, without the Bank's prior written consent, the details of any security safeguards designed, developed, or implemented by the Bidder or existing at any Bank location.
- The Bidder hereby agrees and confirms that they will disclose, forthwith, instances of security breaches.
- The Bidder hereby agrees that they will preserve the documents.

**28. Governing Law and Jurisdiction**

The provisions of this RFP and subsequent Agreement shall be governed by the laws of India. The disputes, if any, arising out of this RFP/Agreement shall be submitted to the jurisdiction of the courts/tribunals in Nasik (Maharashtra).

**29. Compliance with Laws**

29.1. Compliance with all applicable laws: Successful bidder shall undertake to observe, adhere to, abide by, comply with the Bank about all laws in force or as are or as made applicable in future, pertaining to or applicable to them, their business, their employees or their obligations towards them and all purposes of this scope of work and shall indemnify, keep indemnified, hold harmless, defend and protect the Bank and its employees/officers/staff/personnel/representatives/agents from any failure or omission on its part to do so and against all claims or demands of liability and all consequences that may occur or arise for any default or failure on its part to conform or comply with the above and all other statutory obligations arising there from.

29.2. Compliance in obtaining approvals/permissions/licenses: Bidder shall promptly and timely obtain all such consents, permissions, approvals, licenses, etc., as may be necessary or required for any of the purposes of this project or for the conduct of their own business under any applicable Law, Government Regulation/Guidelines and shall keep the same valid and in force during the term of the project, and in the event of any failure or omission to do so, shall indemnify, keep indemnified, hold harmless, defend, protect and fully compensate the Bank and its employees/ officers/ staff/ personnel/ representatives/agents from and against all claims or demands of liability and all consequences that may occur or arise for any default or failure on its part to conform or comply with the above and all other statutory obligations arising there from and the Bank will give notice of any such claim or demand of liability within reasonable time to Company.

29.3. This indemnification is only a remedy for the Bank. Bidder is not absolved from its responsibility of complying with the statutory obligations as specified above.

**30. Violation of terms**

The Bank clarifies that the Bank shall be entitled to an injunction, restraining order, right for recovery, specific performance or such other equitable relief as a court of competent jurisdiction may deem necessary or appropriate to restrain the Bidder from committing any violation or enforce the performance of the covenants, obligations and representations contained under the RFP/Agreement. These injunctive remedies are cumulative and are in addition to any other rights and remedies the Bank may have at law or in equity, including without limitation a right for recovery of any amounts and related costs and a right for damages.

### 31. भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार, यह आवश्यक है कि बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार इस नीति के अनुसरण में ऐसे अनुबंधों की खरीद और निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें: "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है खरीद प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन में किसी अधिकारी की कार्यवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्यवान वस्तुओं की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना और "कपटपूर्ण आचरण" का अर्थ है खरीद प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों की गलत प्रस्तुति, जिससे बैंक को नुकसान हो और इसमें बोलीदाताओं के बीच कपटपूर्ण व्यवहार (प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) शामिल है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम रूप से गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर प्रस्ताव मूल्य स्थापित करना और बैंक को मुक्त और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करना है।

बैंक किसी फर्म को अनुबंध के लिए अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उसे यह पता चलता है कि अनुबंध के लिए अनुशंसित बोलीदाता ने संबंधित अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार किया है। बैंक किसी फर्म को अनुबंध के लिए अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उसे किसी भी समय यह पता चलता है कि फर्म ने अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय या अनुबंध के निष्पादन में भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार किया है।

लेन-देन से संबंधित सभी आवश्यक अनुपालन जैसे दाखिल किए जाने वाले रिटर्न में प्रकटीकरण, स्रोत पर कर संग्रहण (यदि लागू हो) आदि आपूर्तिकर्ता द्वारा विधिवत रूप से किए जाएंगे और किसी भी गैर-अनुपालन या विलंबित अनुपालन के मामले में, बैंक को ब्याज और/या जुर्माना वसूलने का अधिकार होगा, जिसमें आपूर्तिकर्ता के मूल्य का 10% परिसमाप्त क्षति भी शामिल हो सकती है।

यह क्षतिपूर्ति बैंक के लिए केवल एक उपाय है। बोलीदाता ऊपर निर्दिष्ट वैधानिक दायित्वों का पालन करने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं है।

### 32. अनुबंध पर हस्ताक्षर

सफल बोलीदाता को बोलीदाता कहा जाएगा, तथा उसे कार्य आदेश मिलने के 21 दिनों के भीतर (जब भी प्रावधान हो) या बैंक द्वारा निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर बैंक के साथ एक समझौता करना होगा।

### 33. प्रदर्शन बैंक गारंटी

- 33.1. जैसा कि ऊपर बताया गया है, सफल बोलीदाता को कुल परियोजना लागत के 10% के लिए, अनुलग्नक-11 में दिए गए प्रारूप में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बिना शर्त और अपरिवर्तनीय निष्पादन बैंक गारंटी (PBG) प्रस्तुत करनी होगी। यह 27 महीनों (24 महीने की अनुबंध अवधि + 3 महीने की दावा अवधि) के लिए वैध होगी। PBG की वैधता जारी होने की तिथि से शुरू होगी। बोलीदाता द्वारा पीओ स्वीकृति के 21 दिनों के भीतर PBG जमा करना होगा।
- 33.2. इस प्रकार लागू होने वाले पीबीजी के साथ जारीकर्ता बैंक द्वारा जारीकर्ता बैंक के लेटरहेड पर जारी एक अग्रेषण पत्र अवश्य संलग्न होना चाहिए। इस अग्रेषण पत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि पीबीजी पर ऐसे कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम विधिपूर्वक गठित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। निष्पादक (बीजी जारीकर्ता बैंक प्राधिकारी) को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी संख्या और निष्पादन की तिथि का उल्लेख करना आवश्यक है।
- 33.3. पीबीजी के प्रत्येक पृष्ठ पर बीजी जारीकर्ता बैंक के हस्ताक्षर और मुहर तथा पीबीजी नंबर अंकित होना चाहिए।
- 33.4. यदि सफल बोलीदाता किसी भी कारण से अनुबंध की सेवा करने में असमर्थ है, तो बैंक 30 दिनों की उपचार अवधि प्रदान कर सकता है और उसके बाद पीबीजी लागू कर सकता है, यदि बोलीदाता किसी भी कारण से अनुबंध की सेवा करने में असमर्थ है।
- 33.5. सफल बोलीदाता द्वारा एएमसी समर्थन, सेवा में आरएफपी में दी गई समय-सीमा से अधिक देरी होने की स्थिति में, बैंक 30 दिनों की उपचार अवधि प्रदान कर सकता है और उसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो पीबीजी लागू कर सकता है।



### **31. Corrupt and Fraudulent Practices**

As per Central Vigilance Commission (CVC) directives, it is required that Bidders / Suppliers / Contractors observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of such contracts in pursuance of this policy:

“Corrupt Practice” means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of values to influence the action of an official in the procurement process or in contract execution AND “Fraudulent Practice” means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or the execution of contract to the detriment of The Bank and includes collusive practice among Bidders (prior to or after offer submission) designed to establish offer prices at artificial non-competitive levels and to deprive The Bank of the benefits of free and open competition.

The Bank reserves the right to reject a proposal for award if it determines that the Bidder recommended for award has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the contract in question. The Bank reserves the right to declare a firm ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded a contract if at any time it determines that the firm has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in executing the contract.

All necessary compliances relating to the transaction such as disclosure in the returns to be filed, Tax Collected at Source (if applicable) etc. shall be duly undertaken by the supplier and in case of any non-compliance or delayed compliance, the Bank shall have right to recover interest and/or penalty that may be levied including liquidated damages @10 % of the value of supplier.

This indemnification is only a remedy for the Bank. Bidder is not absolved from its responsibility of complying with the statutory obligations as specified above.

### **32. Signing Of Contract**

The successful bidder to be called as bidder, shall be required to enter into an Agreement with the Bank, within 21 days of the award of the work order (when provided) or within such extended period as may be specified by the bank.

### **33. Performance Bank Guarantee**

**33.1.** As mentioned above, the Successful Bidder will furnish an unconditional and irrevocable Performance Bank Guarantee (PBG) from scheduled commercial Bank, in the format given by the Bank in Annexure-11, for 10% of the total project cost valid for 27 months (24 months contract period + 3 months claim period), validity of PBG starting from its date of issuance. The PBG shall be submitted within 21 days of the PO acceptance by the Bidder.

**33.2.** The PBG so applicable must be duly accompanied by a forwarding letter issued by the issuing bank on the letterhead of the issuing bank. Such forwarding letter shall state that the PBG has been signed by the lawfully constituted authority legally competent to sign and execute such legal instruments. The executor (BG issuing Bank Authorities) is required to mention the Power of Attorney number and date of execution in his / her favour with authorization to sign the documents.

**33.3.** Each page of the PBG must bear the signature and seal of the BG issuing Bank and PBG number.

**33.4.** In the event of the Successful Bidder being unable to service the contract for whatever reason, Bank may provide a cure period of 30 days and thereafter invoke the PBG, if the bidder is unable to service the contract for whatever reason.

**33.5.** In the event of delays by Successful Bidder in AMC support, service beyond the schedules given in the RFP, the Bank may provide a cure period of 30 days and thereafter invoke the PBG, if required.

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

33.6. इस मामले में अनुबंध के अंतर्गत बैंक के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पीबीजी की आय, अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में सफल बोलीदाता द्वारा की गई विफलता के लिए बैंक को मुआवजे के रूप में देय होगी। बैंक, बोलीदाता को सूचित करने की तिथि से 14 दिनों के भीतर, ऐसे मुआवजे को प्राप्त करने के अपने अधिकार के प्रयोग की लिखित सूचना सफल बोलीदाता को देगा, जिसमें उन संविदात्मक दायित्वों का उल्लेख होगा जिनके लिए सफल बोलीदाता चुक कर रहा है।

33.7. बैंक सफल बोलीदाता के बिलों या उसको देय किसी अन्य राशि से, असावधानी, त्रुटि, मिलीभगत, गलत निर्माण या गलत बयानी के कारण बैंक द्वारा उसे किए गए किसी भुगतान के समतुल्य मूल्य की वसूली करने का भी हकदार होगा।

33.8. बैंक द्वारा पीबीजी को इस बात से संतुष्ट होने पर कि अनुबंध के तहत सफल बोलीदाता द्वारा दायित्वों का उचित निर्वहन किया गया है, वापस किया जा सकता है। हालाँकि, पीबीजी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

### 34. सामान्य हालत

#### 34.1 भुगतान शर्तें

भुगतान उस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा जहाँ से क्रय आदेश जारी किया गया है। सभी भुगतान केवल भारतीय रुपये में किए जाएँगे। भुगतान की शर्तें इस प्रकार हैं:

- बैंक तिमाही आधार पर, यानी संबंधित तिमाही के पूरा होने के बाद, भुगतान करेगा। कार्यालय द्वारा सभी संबंधित दस्तावेजों को पूरी तरह से जमा करने के 30 दिनों के भीतर भुगतान जारी कर दिया जाएगा।
- भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से किया जाएगा, जिसके बाद लागू एलडी/जुर्माना, टीडीएस (यदि कोई हो) काटा जाएगा। सफल बोलीदाताओं को आवश्यक बैंक विवरण जैसे खाता संख्या, शाखा सहित बैंक का नाम, IFSC कोड, GSTIN, राज्य कोड, राज्य का नाम, HSN कोड आदि प्रदान करने होंगे।

#### 34.2 निश्चित मूल्य और कर

(A) वाणिज्यिक प्रस्ताव एक निश्चित मूल्य पर आधारित होगा, जिसमें सभी कर और शुल्क शामिल नहीं होंगे। लागू करों (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, डॉलर मूल्य परिवर्तन आदि) में वृद्धि से संबंधित किसी भी मूल्य परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। बोलीदाता को ऑर्डर देने के बाद लागू होने वाले किसी भी अन्य कर का भुगतान केवल परियोजना की अवधि के दौरान ही करना होगा।

(B) कर:

1- इस आरएफपी के अंतर्गत प्रत्येक निर्दिष्ट घटक के लिए बैंक द्वारा देय समेकित शुल्क और प्रभार, वर्तमान (प्रचलित) लागू करों सहित, सर्वसमावेशी होंगे। बोलीदाता को बैंक को जारी किए गए चालानों में लागू करों का विवरण देना होगा। तदनुसार, बैंक, बोलीदाता को देय भुगतानों/भुगतानों से टीडीएस सहित सभी लागू करों की कटौती करेगा। लागू कर का भुगतान बोलीदाता द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को किया जाएगा।

2- सेवाएँ प्रदान करने की तिथि तक सरकारी शुल्कों/करों/आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन (बढ़ोतरी या कमी) की स्थिति में, उसका लाभ या भार बैंक को हस्तांतरित या समायोजित किया जाएगा। यदि सेवा प्रदाता इन दिशानिर्देशों का पालन किए बिना कोई सशर्त या अस्पष्ट प्रस्ताव देता है, तो बैंक उद्धृत मूल्य को इन दिशानिर्देशों के अनुरूप मानेगा और तदनुसार कार्यवाही करेगा।

3- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और उसका अनुपालन

भारत में वस्तु एवं सेवा कर कानून एक व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाएगा। बोलीदाता को समय-समय पर लागू जीएसटी कानून के साथ-साथ नीचे उल्लिखित कुछ अनिवार्य विशेषताओं का भी पालन करना होगा-

कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को किए गए या जमा किए गए भुगतान पर जीएसटी कानून के तहत लागू टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की कटौती आवश्यक है। इससे कर आधार में वृद्धि होगी और प्रक्रियाओं पर आधारित कर कानून का अनुपालन और स्व-अनुरक्षण होगा। इन कानूनों में निहित वैधानिक अनुपालनों में मौजूदा करदाताओं के साथ-साथ नए करदाताओं द्वारा जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण प्राप्त करना, करों का आवधिक भुगतान और सभी पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न विवरणी रिटर्न प्रस्तुत करना शामिल है।

जीएसटी कानून के तहत कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीआर) से होने वाले लाभ को कीमतों में समानुपातिक कमी के माध्यम से बैंक को देना अनिवार्य है।

**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक**

33.6. Notwithstanding and without prejudice to any rights whatsoever of the Bank under the contract in the matter, the proceeds of the PBG shall be payable to Bank as compensation by the Successful Bidder for its failure to complete its obligations under the contract. Bank shall notify the Successful Bidder in writing of the exercise of its right to receive such compensation within 14 days from the date of notifying the bidder, indicating the contractual obligation(s) for which the Successful Bidder is in default.

33.7. The Bank shall also be entitled to make recoveries from the Successful Bidder's bills or any other amount due to him, the equivalent value of any payment made to him by the bank due to inadvertence, error, collusion, misconstruction or misstatement.

33.8. The PBG may be discharged / returned by Bank upon being satisfied that there has been due performance of the obligations of the Successful Bidder under the contract. However, no interest shall be payable on the PBG

**34. General Condition**

**34.1 Payment Terms**

Payment will be released by the Regional office from where the purchase order is issued. All the Payment shall be made in INR only. Payment terms are as under:

c. Bank will make payment post facto on quarterly basis i.e. after the completion of the respective quarter. Payment shall be released within 30 days from submission of all relevant documents complete in all respect found in order by the office.

d. The payments will be released through NEFT / RTGS after deducting the applicable LD/Penalty, TDS if any. The Successful Bidders has to provide necessary Bank Details like Account No., Bank's Name with Branch, IFSC Code, GSTIN, State Code, State Name, HSN Code etc.

**34.2 Fixed Price and Taxes**

(C) The commercial offer shall be on a fixed price basis, exclusive of all taxes and levies. No price variation relating to increases in applicable taxes customs duty, excise tax, dollar price variation etc. will be permitted. The bidder shall pay any other Tax being applicable after placement of order, during currency of the project only.

(D) Taxes:

1- The consolidated fees and charges required to be paid by the Bank against each of the specified components under this RFP shall be all-inclusive amount with currently (prevailing) applicable taxes. The bidder shall provide the details of the taxes applicable in the invoices raised on the Bank. Accordingly, the Bank shall deduct at source, all applicable taxes including TDS from the payments due/ payments to bidder. The applicable tax shall be paid by the bidder to the concerned authorities.

2- In case of any variation (upward or down ward) in Government levies / taxes / etc. up-to the date of providing services, the benefit or burden of the same shall be passed on or adjusted to the Bank. If the service provider makes any conditional or vague offers, without conforming to these guidelines, the Bank will treat the prices quoted as in conformity with these guidelines and proceed accordingly.

3- Goods and Services Taxes (GST) and its Compliance

Goods and Services Tax Law in India is a Comprehensive, multi-stage, destination-based tax that will be levied on every value addition. Bidder shall have to follow GST Law as per time being enforced along with certain mandatory feature mentioned hereunder-

TDS (Tax Deducted on Source) is required to deduct as per applicable under GST Law on the payment made or credited to the supplier of taxable goods and services. It would enhance the tax base and would be compliance and self-maintaining tax law based on processes. The statutory compliances contained in the statutes include obtaining registration under the GST law by the existing assesses as well as new assesses, periodic payments of taxes and furnishing various statement return by all the registered taxable person.

It is mandatory to pass on the benefit due to reduction in rate of tax or from input tax credit (ITR) to the Bank by way of commensurate reduction in the prices under the GST Law.



### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

यदि बोलीदाता, जैसा भी मामला हो, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) पोर्टल में बैकलिस्टेड है या आपूर्तिकर्ता की रेटिंग अनिवार्य स्तर से नीचे है, जैसा कि समय-समय पर तय किया जाता है, तो अनुबंध को रद्द करने का प्रासंगिक आधार हो सकता है।

4- बैंक, लागू कानून के अनुसार, खोत पर कर की कटौती करेगा। सेवा प्रदाता, नगरपालिका और स्थानीय निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों या इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य कर का भुगतान अलग से या जीएसटी के साथ करेगा।

#### 35. न्यूनतम मजदूरी

बोलीदाता इसके द्वारा सहमत है और वचनबद्ध है कि इस समझौते के अस्तित्व के दौरान वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम पर किसी भी कार्मिक/व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा।

#### 36. संपत्ति विवरण

नीचे उन उत्पादों के प्रकार दिए गए हैं, जिन्हें कवर किया जाना है।

क्र. सं.	संपदा प्रकार	उपयोग में उत्पाद	लगभग मात्रा
1	डेस्कटॉप पीसी (हार्डवेयर एएमसी और ओएस / अनुप्रयोग / मिडलवेयर समर्थन)	एसर, एचसीएल, एचपी, लेनोवो, डेल आदि।	279
2	डेस्कटॉप पीसी (ओएस / एप्लिकेशन / मिडलवेयर समर्थन)	एसर, एचसीएल, एचपी, लेनोवो, डेल आदि।	99
3	गेटवे पीसी (हार्डवेयर एएमसी और ओएस / अनुप्रयोग / मिडलवेयर समर्थन)	एसर, एचसीएल, एचपी, लेनोवो, डेल आदि।	44
4	गेटवे पीसी (ओएस / अनुप्रयोग / मिडलवेयर समर्थन)	एसर, एचसीएल, एचपी, लेनोवो, डेल आदि।	18
5	डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 136 / 80 कॉलम.	एप्सोन, लिपि, टीवीएस आदि।	55
6	पासबुक प्रिंटर	एप्सोन, लिपि, ओलिवेटी, टीवीएसई आदि	57
7	लेज़र / इंकजेट / डेस्कटॉप प्रिंटर	एचपी, सैमसंग, कैनन आदि	100
8	सपाट तल स्कैनर	एचपी स्कैनजेट, एप्सोन आदि	35
9	सीटीएस स्कैनर	डिजिटल चेक/कैनन	61
10	एडीएफ स्कैनर	कैनन	62
11	लैपटॉप	डेल, एसर, एचपी आदि	1
12	नकद रसीद प्रिंटर	टीवीएस आरपी 45	62

बैंक प्रस्ताव में उल्लिखित हार्डवेयर की मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक प्रस्ताव में निर्दिष्ट वस्तुओं की सूची में से एक या अधिक वस्तुओं को जोड़ने या हटाने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बैंक किसी भी शाखा का नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। जिन शाखाओं का हार्डवेयर वर्तमान में वारंटी अवधि में है, उन्हें बाद में, ऐसी शाखाओं की वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद, चालू एएमसी के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार, जिन शाखाओं में पुराने हार्डवेयर को नए हार्डवेयर से बदला गया है, उन्हें एएमसी के दायरे से हटा दिया जाएगा। एएमसी अनुबंध क्रय आदेश प्रदान करते समय क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हार्डवेयर की वास्तविक शाखा-वार और परिसंपत्ति-वार सूची प्रदान की जाएगी। उपयोग में आने वाली कंपनी के उत्पाद में परिवर्तन हो सकता है।

#### 37. संपर्क विवरण

यदि कोई और स्पष्टीकरण हो तो आप निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्र,  
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,  
क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक  
पी-63, एमआईडीसी सतपुर,  
नासिक 422007

ईमेल: [rcenasiro@centralbank.co.in](mailto:rcenasiro@centralbank.co.in)

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

If bidder as the case may be, is backlisted in the GST (Goods and Services Tax) portal or rating of a supplier falls below a mandatory level, as decided time to time may be relevant ground of cancellation of Contract.

4- Bank shall deduct tax at source, if any, as per the applicable law of the land time being enforced. The Service provider shall pay any other taxes separately or along with GST if any attributed by the Government Authorities including Municipal and Local bodies or any other authority authorized in this regard.

#### 35. Minimum Wages

The bidder hereby agrees and undertakes that during the subsistence of this agreement it will not employ any personnel/individual below the Minimum Wages fixed by appropriate Government on this behalf from time to time, as per the provisions of Minimum Wages Act 1948.

#### 36. Asset Details

Below are the types of products, which are to be covered.

S. No	Asset Type	Product in Use	Approx. Quantity
1	Desktop PCs (Hardware AMC and OS / applications / Middleware support)	Acer, HCL, HP, Lenovo, Dell etc.	279
2	Desktop PCs (OS / applications / Middleware support)	Acer, HCL, HP, Lenovo, Dell etc.	99
3	Gateway PC (Hardware AMC and OS /applications /Middleware support)	Acer, HCL, HP, Lenovo, Dell etc.	44
4	Gateway PC (OS /applications /Middleware support)	Acer, HCL, HP, Lenovo, Dell etc.	18
5	Dot Matrix Printer 136 / 80 col.	Epson, Lipi, TVS etc.	55
6	Passbook Printer	Epson, Lipi, Olivetti, TVSE etc	57
7	Laser / Inkjet / Desktop Printer	HP, Samsung, Canon etc	100
8	Flatbed Scanner	HP Scanjet, Epson etc	35
9	CTS Scanner	Digital Check/Canon	61
10	ADF Scanner	Canon	62
11	Laptop	Dell, Acer, HP etc	1
12	Cash Receipt printers	TVS RP 45	62

The Bank reserves the right to alter the hardware quantities mentioned in offer. The bank also reserves the right to add or delete one or more item from the list of items specified in offer. The Bank also reserves right to add or delete name of any branch. The Branches where hardware is currently under warranty period may be later added under on-going AMC, after expiry of warranty period of such branches. Similarly, branches where in old hardware is replaced with new hardware will be removed from AMC purview. Actual branch-wise and asset-wise list of hardware shall be provided by Regional Office while awarding AMC contract purchase order. PRODUCT IN USE COMPNAY MAY BE CHANGE

#### 37. Contact Details

For further clarifications, if any, you may contact on the following address:

Regional Computer Center,  
Central Bank of India,  
Regional Office, Nasik  
P-63, MIDC SATPUR,  
Nasik 422007  
Email: [rcenasiro@centralbank.co.in](mailto:rcenasiro@centralbank.co.in)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

38. जाँच सूची :

एसआर	विवरण	बोलीदाता की टिप्पणी हों/नहीं
1	निगमन प्रमाणपत्र	
2	पिछले तीन वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 की ऑडिटेड बैलेंस शीट	
3	वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 के लिए तीन साल के औसत टर्नओवर के लिए सीए प्रमाणपत्र	
4	पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 के लिए परिचालन लाभ हेतु CA प्रमाणपत्र	
5	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए सकारात्मक निवल मूल्य हेतु CA प्रमाणपत्र 2022-23, 2023-24, 2024-25	
6	कंपनी के लेटर हेड पर भारत सहित किसी भी देश में दिवालियापन के लिए आवेदन न करने की अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व-घोषणा	
8	कंपनी के लेटर हेड पर स्व-घोषणा, ब्लैकलिस्ट/डिबार नहीं की गई होनी चाहिए।	
9	कंपनी के लेटर हेड पर स्व-घोषणा बोलीदाता के पास कोई भी लंबित मुकदमा या कोई विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए	
10	कंपनी के लेटर हेड पर स्व-घोषणा • एनपीए • किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान के पास लंबित कोई मामला	
11	दस्तावेज़ लागत	
13	बोली सुरक्षा	
14	अनुलग्नक-1 अनुरूपता पत्र	
15	अनुलग्नक-2 पूर्व-योग्यता मानदंड	
16	अनुलग्नक-3 वचन पत्र	
17	अनुलग्नक-4 बोलीदाता की जानकारी	
18	अनुलग्नक-5 इंजीनियर विवरण	
19	अनुलग्नक-6 ग्राहक संदर्भ की सूची	
20	अनुलग्नक-7 वाणिज्यिक बोली	
21	अनुलग्नक-8 आरएफपी की अवधि की स्वीकृति के लिए वचनबद्धता	
22	अनुलग्नक-9 सत्यनिष्ठा संधि	
23	अनुलग्नक-10 गैर-प्रकटीकरण समझौता	
24	अनुलग्नक-11 प्रदर्शन बैंक गारंटी	
25	अनुलग्नक-12 व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशानिर्देश	

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

38. Check List :

Sr	Particulars	Bidders Remark Yes/No
1	Certificate of incorporation	
2	Audited Balance sheets of last three years 2022-23 , 2023-24, 2024-25	
3	CA certificate for three years average turnover for financial years 2022-23 , 2023-24, 2024-25	
4	CA certificate for operating profit for last three financial years 2022-23 , 2023-24, 2024-25	
5	CA certificate for positive net worth for last three financial years 2022-23 , 2023-24, 2024-25	
6	Self-declaration by the Authorized Signatory for not have filed for bankruptcy in any country including India on company letter head	
8	Self-declaration on Company's letter head should not have been blacklisted/debarred/	
9	Self-declaration on Company's letter head Bidder should not have any pending litigation or any dispute arises	
10	Self-declaration on Company's letter head • NPA • Any case pending with any Bank / Financial Institution	
11	Document Cost	
13	Bid Security	
14	Annexure-1 Conformity Letter	
15	Annexure-2 Pre-qualification criteria	
16	Annexure-3 Undertaking Letter	
17	Annexure-4 Bidder's Information	
18	Annexure-5 Engineer details	
19	Annexure-6 List of Customer Reference	
20	Annexure-7 Commercial Bid	
21	Annexure-8 Undertaking for acceptance of term of RFP	
22	Annexure-9 Integrity Pact	
23	Annexure-10 Non-Disclosure Agreement	
24	Annexure-11 Performance Bank Guarantee	
25	Annexure-12 Guidelines on banning of business dealing	

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

अनुबंध 1

अनुरूपता पत्र

नासिक क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं और कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए आरएफपी में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं द्वारा उनके आधिकारिक लेटर-हेड पर दिए जाने वाले पत्र का प्रोफॉर्म

को  
क्षेत्रीय प्रमुख,  
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय,  
पी-63, सतपुर एमआईडीसी, नासिक,  
422007

तारीख:

महोदय,

विषय: निविदा संख्या आरओ:आरसीसी:2025-26:01 नासिक क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं और कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए।

हमारे दिनांक \_\_\_\_\_ के प्रस्ताव के अतिरिक्त, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") द्वारा जारी आरएफपी दस्तावेज़ (जिसे आगे "आरएफपी दस्तावेज़" कहा जाएगा) के जवाब में हम एतद्वारा निम्नलिखित रूप में अनुबंध, वारंट और पुष्टि करते हैं:

हम अपना बोली दस्तावेज़ इसके साथ प्रस्तुत करते हैं। यदि उपरोक्त कार्य के लिए हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है, तो हम बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर, अपनी लागत पर निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध करने और उसे निष्पादित करने का वचन देते हैं। जब तक एक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक यह बोली और आपकी लिखित स्वीकृति हमारे बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी।

हम समझते हैं कि बोली में कहीं और उल्लिखित किसी भी विचलन पर बैंक द्वारा विचार और मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। हम यह भी सहमत हैं कि यदि बोली, विषयगत आरएफपी के अनुसार उचित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बैंक किसी भी अन्य बाह्य मामले या विचलन से बाध्य नहीं है, भले ही हमारे द्वारा हमारे प्रस्ताव में या हमारे द्वारा मांगे गए किसी भी बाद के विचलन में कहीं और उल्लेख किया गया हो, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में, और बैंक का ऐसी किसी भी बाह्य शर्त और विचलन को स्वीकार न करने का निर्णय अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

हम आरएफपी दस्तावेज़ और संबंधित परिशिष्टों और अन्य दस्तावेजों में निहित सभी नियमों और शर्तों / अनुबंधों का पालन करने के लिए सहमत हैं, जिसमें बैंक द्वारा जारी मूल निविदा दस्तावेजों में किए गए परिवर्तन भी शामिल हैं।

आपका विश्वासी,  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
पद का नाम  
कंपनी का नाम

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

Annexure-1

**Conformity Letter**

Pro forma of letter to be given by all the bidders participating in the RFP for Annual Maintenance Contract (AMC) of Computer Hardware and Peripherals at Branches & Offices under Nasik Region, on their official letter-head

To  
Regional Head,  
Central Bank of India, Regional Office,  
P-63, SATPUR MIDC, NASIK,  
422007

Date:

**Sir,**

**Sub: Tender No RO:RCC:2025-26:01** for Annual Maintenance Contract (AMC) of Computer Hardware and Peripherals at Branches & Offices under Nasik Region.

Further to our proposal dated \_\_\_\_\_, in response to the RFP document (hereinafter referred to as “**RFP DOCUMENT**”) issued by Central Bank of India (“**Bank**”) we hereby covenant, warrant and confirm as follows:

We submit our Bid Document herewith, If our Bid for the above job is accepted, we undertake to enter into and execute at our cost, when called upon by the Bank to do so, a contract in the prescribed form. Unless and until a formal contract is prepared and executed, this bid together with your written acceptance thereof shall constitute a binding contract between us.

We understand that any deviations mentioned elsewhere in the bid will not be considered and evaluated by the Bank. We also agree that the Bank reserves its right to reject the bid, if the bid is not submitted in proper format as per subject RFP.

The Bank is not bound by any other extraneous matters or deviations, even if mentioned by us elsewhere either in our proposal or any subsequent deviations sought by us, whether orally or in writing, and the Bank’s decision not to accept any such extraneous conditions and deviations will be final and binding on us.

We hereby agree to comply with all the terms and conditions / stipulations as contained in the RFP document and the related addendums and other documents including the changes made to the original tender documents issued by the Bank.

Yours faithfully,  
Authorized Signatory  
Designation  
Company name



पात्रता मापदंड

क्र. सं.	पूर्व-योग्यता मानदंड	अनुपालन हां नहीं	दस्तावेज़ प्रदान किया गया
1	बोलीदाता भारत में निगमित कंपनी/फर्म होगी		
2	बोलीदाता के पास सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए बोली प्रस्तुत करने के समय उपलब्ध ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24, 2024-25 में ₹ 2 करोड़ का वार्षिक कारोबार होना चाहिए।		
3	बोली प्रस्तुत करते समय उपलब्ध ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24, 2024-25 में परिचालन लाभ अर्जित किया होगा।		
4	बोलीदाता के पास बैंकिंग उद्योग में ग्राहक सहायता सेवाओं के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बोलीदाता वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कम से कम एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या सरकारी विभाग के साथ समान एएमसी अनुबंधों में संलग्न होना चाहिए।		
5	बोलीदाता के पास आयकर पैन, टिन नंबर, जीएसटी नंबर और नवीनतम क्लियरेंस प्रमाणपत्र होना चाहिए। बोलीदाता पर कर भुगतान का कोई बकाया नहीं होना चाहिए।		
6	बोलीदाता आईएसओ प्रमाणन वाली फर्म/कंपनी होगी		
7	बोलीदाता को किसी भी सरकारी प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) द्वारा समर्थन / सेवाओं की कमी और कदाचार के कारण काली सूची में नहीं डाला गया होगा।		
8	बोलीदाता के पास उन शहरों में इंजीनियर/तकनीकी सहायता/सेवा केंद्र की उपस्थिति होनी चाहिए जहां नासिक क्षेत्र की शाखाएं/कार्यालय स्थित हैं।		

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

9	बोलीदाता ऐसी कंपनी/फर्म होगी जो वर्तमान में भारत में कम से कम एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ एएमसी सेवाएं प्रदान कर रही हो।		
10	बोलीदाता एक कंपनी/फर्म होगी जिसका महाराष्ट्र में उचित कार्यालय पता हो और उसके सभी कर्मचारियों को ईएसआईसी/पीएफ सुविधाएं उपलब्ध हों।		
11	यदि पिछले दो वर्षों में बोलीदाता ने पुणे क्षेत्र के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी क्षेत्र को एएमसी सहायता प्रदान की है तो आरओ से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दी जाएगी।		

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि इस आरएफपी में दी गई सभी जानकारी और कथन सत्य हैं और स्वीकार करते हैं कि इसमें निहित किसी भी गलत व्याख्या के कारण हमें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। हम आरएफपी के सभी नियमों और शर्तों से सहमत हैं।

आपका विश्वासी,

तारीख:

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

(फर्म का नाम एवं पदनाम, मुहर)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

Annexure-2

Eligibility Criteria

S. No.	Pre-qualification criteria	Compliance Yes/No	Document Provided
1	The bidder shall be a company/firm incorporated in India		
2	Bidder shall have an annual turnover of ₹ 2 Crores in last three financial years i.e., 2022-23 , 2023-24, 2024-25 as per the audited balance sheet available at the time of submission of Bid, in providing the support services.		
3	The Company shall have made operating profits in last three financial years i.e., 2022-23 , 2023-24, 2024-25 as per the audited balance sheet available at the time of submission of Bid.		
4	The bidder shall have experience of 3 years in customer support services field in banking industry. The bidder shall be currently engaged in similar AMC contracts with at least one Scheduled Commercial Banks or Government Department other than Central Bank of India.		
5	The bidder shall have Income Tax PAN; TIN No, GST No. and the latest Clearance Certificate. Bidder shall not have any arrears in Tax Payments.		
6	Bidder shall be a firm/company with ISO Certification		
7	The bidder shall have not been blacklisted by any of Government Authority or Public Sector Undertaking (PSUs)/Public Sector Bank (PSBs) due to lack of support/services and malpractices.		
8	The bidder shall have presence of engineers/technical support/service center base in the cities where branches/offices of Nasik Region are located.		
9	The bidder shall be a company / firm currently providing AMC services with at least 1 Public Sector Bank in India.		
10	The bidder shall be a		

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

	company/firm having proper office address in Maharashtra and ESIC/PF facilities should be available to all its employees		
11	If in last two years, bidder have provided AMC support to any Region of Central Bank of India under Pune Zone then no adverse report from RO to be reported		

We hereby declare that all the information & Statements made in this RFP are true and accept that any misinterpretation contained in it may lead to our disqualification. We agree to all terms & conditions of the RFP.

Yours faithfully,

Date:

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

(Name & Designation, seal of the firm)

**वचन पत्र**

नासिक क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं और कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए आरएफपी में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं द्वारा उनके आधिकारिक लेटर-हेड पर दिए जाने वाले पत्र का प्रोफॉर्म

को

तारीख:

क्षेत्रीय प्रमुख,  
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय,  
पी-63, सतपुर एमआईडीसी, नासिक,  
422 007

**महोदय,**

**उप:निविदा संख्याआरओ:आरसीसी:2025-26:01** नासिक क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं और कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए।

हम \_\_\_\_\_ (बोलीदाता का नाम), इसके द्वारा वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि-

- हम भारत सहित किसी भी देश में दिवालियापन के लिए आवेदन नहीं किया है
- हमें किसी भी सरकारी प्राधिकरण/सरकार/आईबीए/आरबीआई/पीएसयू/पीएसई/या बैंकों, वित्तीय संस्थानों द्वारा किसी भी कारण से या बोली के समय आदेश के गैर-कार्यान्वयन/वितरण के लिए ब्लैकलिस्ट/डिबार नहीं किया गया है।
- हम यह भी वचन देते हैं कि बोली लगाने के समय, पिछले पांच वर्षों में बोलीदाता या ओईएम और बैंक के बीच माल/सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा या कोई कानूनी विवाद लंबित नहीं रहा है।
- फर्म के खिलाफ कोई कानूनी मामला लंबित नहीं है जो हमारी फर्म की शोधन क्षमता/अस्तित्व को प्रभावित कर सकता है या किसी अन्य तरीके से बैंक को सेवाएं प्रदान करने/जारी रखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
- हम यह भी पुष्टि करते हैं कि हम भारत में किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान में एनपीए धारक नहीं हैं
- हम पुष्टि करते हैं कि विश्व भर में किसी भी संगठन के साथ कोई मामला लंबित या अन्यथा नहीं है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की राय में बैंक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बोलीदाता की विश्वसनीयता को प्रभावित करता हो।

आपका विश्वासी,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पद का नाम

बोलीदाता का कॉर्पोरेट नाम

**Undertaking letter**

Pro forma of letter to be given by all the bidders participating in the RFP for Annual Maintenance Contract (AMC) of Computer Hardware and Peripherals at Branches & Offices under Nasik Region, on their official letter-head

To

Date:

Regional Head,  
Central Bank of India, Regional Office,  
P-63, SATPUR MIDC, NASIK,  
422 007

**Sir,**

**Sub: Tender No RO:RCC:2025-26:01** for Annual Maintenance Contract (AMC) of Computer Hardware and Peripherals at Branches & Offices under Nasik Region.

We \_\_\_\_\_ (bidder name), hereby undertake that-

- We have not filed for bankruptcy in any country including India
- We have not been blacklisted/debarred by any Government Authority/Govt/IBA/RBI/PSU/PSE/ or Banks , Financial Institutes for any reason or non-implementation/delivery of the order at the time of bidding..
- We also undertake that, at the time of bidding, not have been any pending litigation or any legal dispute in the last five years, before any court of law between the Bidder or OEM and the Bank regarding supply of goods/services.
- No legal case is pending against firm that may affect the solvency / existence of our firm or in any other way that may affect capability to provide / continue the services to bank.
- We also confirm that we are not a NPA holder in any Bank/Financial Institution in India
- We confirm that no case is pending or otherwise , with any organization across the globe which affect the credibility of the Bidder in the opinion of Central Bank of India to services the needs of the Bank.

Yours faithfully,

Authorized Signatory

Designation

Bidder corporate name



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

अनुबंध- 4

बोलीदाता की जानकारी

सीनियर	विवरण	विवरण
1.	बोली लगाने वाले का नाम	
2.	संविधान	
3.	पता	
4.	बोली के लिए अधिकृत व्यक्ति	
5.	सम्पर्क करने का विवरण	
6.	निगमन के वर्ष	
7.	आईटी हार्डवेयर वस्तुओं में वर्षों का अनुभव	
8.	बोलीदाता के वेतन पर तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारियों की संख्या	
9.	कारोबार (रुपये में) 2022-23: 2023-24: 2024-25: (पिछले 3 वर्षों के लिए ऑडिटेड बी/एस प्रस्तुत करें)	
10.	लाभ (रु. में) 2022-23: 2023-24: 2024-25: (पिछले 3 वर्षों का लेखापरीक्षित लाभ/हानि विवरण प्रस्तुत करें)	
11।	महाराष्ट्र भर में सेवा आउटलेटों की संख्या	
12	वस्तु एवं सेवा कर संख्या	
13	आयकर संख्या	
14	क्या आरएफपी के सभी नियमों एवं शर्तों का अनुपालन किया गया है।	

हस्ताक्षर:

नाम:-

पद का नाम:-

कंपनी की मुहर:

तारीख:

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

Annexure-4

**Bidder's Information**

Sr.	Particulars	Details
1.	Name of bidder	
2.	Constitution	
3.	Address	
4.	Authorized Person for bid	
5.	Contact Details	
6.	Years of Incorporation	
7.	Number of years of experience in IT hardware items	
8.	Number of Technically qualified staff with bidder on payroll	
9.	Turnover ( In Rs) 2022-23: 2023-24: 2024-25: (submit audited B/S for last 3 years)	
10.	Profit ( In Rs) 2022-23: 2023-24: 2024-25: (submit audited P/L for last 3 years)	
11.	Number of service outlets across Maharashtra	
12.	Good and Service Tax Number	
13.	Income Tax Number	
14.	Whether all RFP terms & conditions complied with.	

**Signature:**

**Name:-**

**Designation:-**

**Seal of company:**

**Date:**

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

अनुबंध- 5

इंजीनियर विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र केंद्र	सेवा केंद्रों की संख्या	उपलब्ध इंजीनियरों के नाम और संपर्क
1	नासिक		नाम : संपर्क करना: नाम : संपर्क करना:
2	धुले		नाम : संपर्क करना: नाम : संपर्क करना:
3	नंदुरबार		नाम : संपर्क करना: नाम : संपर्क करना:

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त इंजीनियर बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करने के लिए योग्य हैं। उन्हें इस क्षेत्र में 2-3 वर्षों का अनुभव है। कंपनी द्वारा उनके प्रोफाइल का सत्यापन किया गया है और पाया गया है कि वे उत्तम चरित्र के हैं।

दिनांक .....दिन .....2025

जगह:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

नाम एवं पदनाम:

नोट: केंद्रवार उपलब्ध इंजीनियरों की सूची के साथ अलग से शीट संलग्न की जा सकती है। इंजीनियरों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि बोलीदाता प्रत्येक स्थान पर संतोषजनक सेवाएँ प्रदान कर सके।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

Annexure-5

Engineer details

S.No	Region Centre	No. of Service Centres	Name and Contact of Engineers Available
1	Nasik		Name : Contact: Name : Contact:
2	Dhule		Name : Contact: Name : Contact:
3	Nandurbar		Name : Contact: Name : Contact:

We hereby confirm that above engineers are qualified to work in Banking Environment. They have an experience of 2-3 years in the field. Their profile has been verified by the company and have found them to be of fine character.

Dated this.....day of .....2025

Place:

Authorized Signatory:

Name & Designation:

Note: Separate Sheet may be attached with the list of engineer's available center wise. The no. of engineers should be such that, the bidder can provide satisfactory services at each location.

ग्राहक संदर्भ की सूची

क्र.सं.	ग्राहक का नाम और पूरा डाक पता	कार्य आदेश जारी करने वाले अधिकारी का संपर्क विवरण	पिछले 2 वर्षों के दौरान ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं का विवरण	क्या संदर्भ पत्र संलग्न है
1		नाम: पदनाम: मोबाइल: ई-मेल:		
2		नाम: पदनाम: मोबाइल: ई-मेल:		
3		नाम: पदनाम: मोबाइल: ई-मेल:		

हमने इस संबंध में फर्मों के संपर्क विवरण के साथ सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर प्रस्तुत की गई जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है।

हम समझते हैं कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है तो हमारी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

जगह:  
तारीख:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:  
नाम एवं पदनाम:

(नोट: उपरोक्त ग्राहक संदर्भों के समर्थन में संतोषजनक कार्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

Annexure-6

**List of Customer Reference**

S.No.	Name and complete Postal Address of the Customer	Contact Details of the Officer issuing Work Orders	Details of the services provided to the customer during last 2 years	Whether reference Letter enclosed
1		Name: Designation: Mobile: E-mail:		
2		Name: Designation: Mobile: E-mail:		
3		Name: Designation: Mobile: E-mail:		

We have submitted in this regard along with contact details of the firms for our verification.

We hereby declare that the information submitted above is true to the best of our knowledge.

We understand that in case any discrepancy is found in the information submitted by us our tender is liable to be rejected.

Authorized Signatory:

Place:

Name & Designation:

Date:

(Note : submit satisfactory work certification in support of above customer references)



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

अनुलग्नक - 7

वाणिज्यिक बोली

नासिक क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं और कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं द्वारा उनके आधिकारिक लेटर-हेड पर दिए जाने वाले पत्र का प्रोफार्मा

भारतीय रुपये में राशि (करों को छोड़कर)

एससं	संपदा प्रकार	TCO के प्रयोजन के लिए मात्रा	परिसंपत्ति रखरखाव के लिए इकाई दर	कुल राशि
		ए	बी	सी = (ए * बी)
1	डेस्कटॉप पीसी (हार्डवेयर एएमसी और ओएस / अनुप्रयोग / मिडलवेयर समर्थन)	279		
2	डेस्कटॉप पीसी (ओएस / एप्लिकेशन / मिडलवेयर समर्थन)	99		
3	गेटवे पीसी (हार्डवेयर एएमसी और ओएस / अनुप्रयोग / मिडलवेयर समर्थन)	44		
4	गेटवे पीसी (ओएस / अनुप्रयोग / मिडलवेयर समर्थन)	18		
5	डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 136 / 80 कॉलम.	55		
6	पासबुक प्रिंटर	57		
7	लेज़र / इंकजेट / डेस्कटॉप प्रिंटर	100		
8	सपाट तल स्कैनर	35		
9	सीटीएस स्कैनर	61		
10	एडीएफ स्कैनर	62		
11	नकद रसीद प्रिंटर	62		
12	लैपटॉप	1		
	मालिकाने की कुल कीमत			

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

Annexure - 7

**Commercial Bid**

Pro forma of letter to be given by all the bidders participating in the for Annual Maintenance Contract (AMC) of Computer Hardware and Peripherals at Branches & Offices under Nasik Region, on their official letter-head

**Amount in Indian Rupee Excluding Taxes**

SNo	Asset Type	Quantity for the purpose of TCO	Unit rate for asset maintenance	Total Amount
		A	B	C = (A * B)
1	Desktop PCs (Hardware AMC and OS / applications / Middleware support)	279		
2	Desktop PCs (OS / applications / Middleware support)	99		
3	Gateway PC (Hardware AMC and OS /applications /Middleware support)	44		
4	Gateway PC (OS /applications /Middleware support)	18		
5	Dot Matrix Printer 136 / 80 col.	55		
6	Passbook Printer	57		
7	Laser / Inkjet / Desktop Printer	100		
8	Flatbed Scanner	35		
9	CTS Scanner	61		
10	ADF Scanner	62		
11	Cash Receipt Printer	62		
12	Laptop	1		
	<b>Total Cost of Ownership</b>			

**Signature of the bidder with Seal**

**आरएफपी की शर्तों को स्वीकार करने का वचन**

विषय: नासिक क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं और कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए आरएफपी में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं द्वारा दिया जाने वाला पत्र का प्रोफार्मा

संदर्भ:- निविदा संख्या RO:RCC:2025:26:01 नासिक क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं और कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए आरएफपी

हम समझते हैं कि बैंक सफल बोलीदाता को केवल करों को छोड़कर ऑर्डर देगा।

1. हम पुष्टि करते हैं कि बैंक को प्रस्तुत किसी भी बैंक गारंटी के आह्वान के मामले में, हम बैंक गारंटी राशि पर लागू जीएसटी का भुगतान करेंगे।
2. हम आरएफपी की "भुगतान शर्तों" के अनुसार भुगतान अनुसूची से सहमत हैं।
3. हम यहां विषयगत आरएफपी के स्वामित्व की पुष्टि करते हैं।
4. हम क्षतिग्रस्त/दोषपूर्ण भागों के प्रतिस्थापन के रूप में नवीनतम संस्करण के साथ नवीनतम उत्पाद/सॉफ्टवेयर प्रदान करने का वचन देते हैं।

उपरोक्त शुल्कों को स्वामित्व की कुल लागत (टीसीओ) में शामिल किया गया है, अन्यथा बोली अस्वीकृत की जा सकती है। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि हमने वाणिज्यिक बोली के प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

तारीख

मुहर के साथ हस्ताक्षर  
नाम

पद का नाम

**Undertaking for acceptance of terms of RFP**

SUB: Pro forma of letter to be given by all the bidders participating in the RFP for Annual Maintenance Contract (AMC) of Computer Hardware and Peripherals at Branches & Offices under Nasik Region

Ref:- **Tender No RO:RCC:2025:26:01** RFP for Annual Maintenance Contract (AMC) of Computer Hardware and Peripherals at Branches & Offices under Nasik Region

We understand that Bank shall be placing Order to the Successful Bidder exclusive of taxes only.

5. We confirm that in case of invocation of any Bank Guarantees submitted to the Bank, we will pay applicable GST on Bank Guarantee amount.

6. We are agreeable to the payment schedule as per "Payment Terms" of the RFP.

7. We here by confirm to undertake the ownership of the subject RFP.

8. We hereby undertake to provide latest product / software with latest version as a replacement of damaged / faulty parts.

The charges for the above have been factored in Total Cost of Ownership (TCO), otherwise the Bid is liable for rejection. We also confirm that we have not changed the format of Commercial Bid.

Date

Signature with seal

Name

Designation

### अखंडता संधि

बीच में

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके बाद “प्रिंसिपल” के रूप में संदर्भित,

और

..... इसके बाद “बोलीदाता/ठेकेदार” के रूप में संदर्भित किया जाएगा

#### प्रस्तावना

प्रिंसिपल निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रियाओं के तहत, ..... के लिए अनुबंध/अनुबंध प्रदान करने का इरादा रखता है। प्रिंसिपल देश के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और अपने बोलीदाताओं और / या ठेकेदार (ओं) के साथ संबंधों में निष्पक्षता / पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रिंसिपल एक स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) की नियुक्ति करेगा, जो निविदा प्रक्रिया और ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए अनुबंध के निष्पादन की निगरानी करेगा।

#### धारा 1 – प्रधानाचार्य की प्रतिबद्धताएँ

(1.) प्रधानाचार्य भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने तथा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है:-

क. प्रिंसिपल का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, किसी अनुबंध के लिए निविदा या निष्पादन के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए कोई भौतिक या अभौतिक लाभ की मांग नहीं करेगा, वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा, जिसका वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

ख. निविदा प्रक्रिया के दौरान, प्रिंसिपल सभी बोलीदाताओं के साथ निष्पक्षता और विवेकपूर्ण व्यवहार करेगा। प्रिंसिपल, विशेष रूप से, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता को कोई गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता निविदा प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में कोई लाभ प्राप्त कर सके।

ग. प्रिंसिपल सभी ज्ञात पूर्वाग्रही व्यक्तियों को प्रक्रिया से बाहर कर देगा।

(2) यदि प्रिंसिपल को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक अपराध है, या यदि इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो प्रिंसिपल मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

#### धारा 2 – बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) की प्रतिबद्धताएँ

(1) बोलीदाता/ठेकेदार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क. बोलीदाता/ठेकेदार सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में शामिल प्रिंसिपल के किसी भी कर्मचारी या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भौतिक या अन्य लाभ देने का प्रस्ताव, वादा या वादा नहीं करेंगे, जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, ताकि बदले में निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त किया जा सके।

ख. बोलीदाता/ठेकेदार अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई भी अघोषित समझौता या समझौता नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणन, सहायक अनुबंधों, बोलियों के प्रस्तुतीकरण या अप्रस्तुतीकरण, या बोली प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने या गुटबाजी शुरू करने संबंधी किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।

ग. बोलीदाता/ठेकेदार संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे; इसके अलावा बोलीदाता/ठेकेदार प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, या किसी अन्य को नहीं देंगे, व्यापारिक संबंध के हिस्से के रूप में प्रिंसिपल द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज, योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रेषित जानकारी शामिल है।

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

घ. विदेशी मूल के बोलीदाता/ठेकेदारों को भारत में अपने एजेंटों/प्रतिनिधियों का नाम और पता, यदि कोई हो, बताना होगा। इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता वाले बोलीदाता/ठेकेदारों को विदेशी प्रमुखों का नाम और पता, यदि कोई हो, बताना होगा। "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश" में उल्लिखित अतिरिक्त विवरण भी प्रकट किए जाएंगे।

बोलीदाता/ठेकेदार। इसके अलावा, जैसा कि दिशानिर्देशों में बताया गया है, भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि को किए गए सभी भुगतान केवल भारतीय रुपये में ही होने चाहिए। "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश" की प्रति (पृष्ठ संख्या 6-7) पर उपलब्ध है। ड. बोलीदाता/ठेकेदार अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अनुबंध प्रदान करने के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को किए गए, किए गए या किए जाने वाले सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे।

(2) बोलीदाता/ठेकेदार किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए उकसाएंगे नहीं या ऐसे अपराधों में सहायक नहीं बनेंगे।

#### धारा 3- निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता और भविष्य के अनुबंधों से बहिष्करण

यदि बोलीदाता/ठेकेदार ने निविदा प्रक्रिया से पहले या उसके निष्पादन के दौरान उपरोक्त धारा 2 का उल्लंघन करके या किसी अन्य रूप में ऐसा उल्लंघन किया है जिससे उसकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगता है, तो प्रधान बोलीदाता/ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या "व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशानिर्देश" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने का हकदार है। "व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशानिर्देश" की प्रति अनुलग्नक-12 के रूप में संलग्न है।

#### धारा 4 – क्षति के लिए मुआवजा

(1) यदि प्रिंसिपल ने धारा 3 के अनुसार पुरस्कार से पहले बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है, तो प्रिंसिपल बयाना राशि जमा/बोली सुरक्षा के बराबर क्षतिपूर्ति की मांग करने और वसूलने का हकदार है।

(2) यदि प्रिंसिपल ने धारा 3 के अनुसार अनुबंध समाप्त कर दिया है, या यदि प्रिंसिपल धारा 3 के अनुसार अनुबंध समाप्त करने का हकदार है, तो प्रिंसिपल ठेकेदार से अनुबंध मूल्य के बराबर क्षतिपूर्ति या प्रदर्शन बैंक गारंटी के बराबर राशि की मांग करने और वसूल करने का हकदार होगा।

#### धारा 5 – पूर्व अपराध

(1) बोलीदाता यह घोषणा करता है कि पिछले तीन वर्षों में भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण का पालन करने वाले किसी भी देश के किसी अन्य बैंक या भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ कोई पूर्व उल्लंघन नहीं हुआ है जो निविदा प्रक्रिया से उसके बहिष्कार को उचित ठहरा सके।

(2) यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या "व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशानिर्देश" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

#### धारा 6 – सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उपठेकेदारों के साथ समान व्यवहार

(1) बोलीदाता/ठेकेदार अपने उपठेकेदारों से इस सत्यनिष्ठा समझौते के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करने का वचन देते हैं।

(2) प्रिंसिपल सभी बोलीदाताओं और ठेकेदारों के साथ समान शर्तों के साथ समझौते में प्रवेश करेगा।

(3) प्रिंसिपल उन सभी बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

#### धारा 7 – उल्लंघन करने वाले बोलीदाता(ओं) / ठेकेदार(ओं) / उपठेकेदार(ओं) के खिलाफ आपराधिक आरोप

यदि प्रधान को किसी बोलीदाता, ठेकेदार या उपठेकेदार, या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या बोलीदाता, ठेकेदार या उपठेकेदार के सहयोगी के आचरण के बारे में जानकारी मिलती है जो भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि प्रधान को इस संबंध में ठोस संदेह है, तो प्रधान इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को देगा।

#### धारा 8 – स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर / मॉनिटर

(1) प्रधान इस समझौते के लिए एक सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर नियुक्त करता है। मॉनिटर का कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करना है कि क्या और किस हद तक पक्षकार इस समझौते के तहत दायित्वों का पालन करते हैं।



### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

- (2) मॉनिटर, पक्षों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होगा और अपने कार्य निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से करेगा। बोलीदाताओं/ठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखना उसके लिए अनिवार्य होगा। वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करेगा।
- (3) बोलीदाता/ठेकेदार स्वीकार करते हैं कि मॉनिटर को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों सहित, प्रधान परियोजना के सभी दस्तावेजों तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुँच का अधिकार है। ठेकेदार, मॉनिटर प्रति, उसके अनुरोध और वैध रुचि के प्रदर्शन पर, अपनी परियोजना के दस्तावेजों तक अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुँच प्रदान करेगा। यही बात उपठेकेदारों पर भी लागू होती है। मॉनिटर का संविदात्मक दायित्व है कि वह बोलीदाता/ठेकेदार/उपठेकेदार की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखे।
- (4) प्रिंसिपल, परियोजना से संबंधित पक्षों के बीच होने वाली सभी बैठकों के बारे में मॉनिटर को पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऐसी बैठकों का प्रिंसिपल और ठेकेदार के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता हो। पक्ष, मॉनिटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करते हैं।
- (5) जैसे ही मॉनिटर को इस समझौते का उल्लंघन नज़र आता है, या उसे लगता है कि उल्लंघन हो रहा है, वह प्रिंसिपल के प्रबंधन को इसकी सूचना देगा और प्रबंधन से अनुबंध को बंद करने, सुधारात्मक कार्रवाई करने, या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। इस संबंध में मॉनिटर गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, मॉनिटर को पक्षों से यह माँग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी विशिष्ट तरीके से कार्य करें, कार्रवाई से परहेज करें या कार्रवाई को सहन करें।
- (6) मॉनिटर, प्रधान द्वारा संदर्भ या सूचना की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर, केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, यदि अवसर उत्पन्न होता है, तो समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
- (7) यदि मॉनिटर ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत अपराध का प्रमाणित संदेह रिपोर्ट किया है, और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उचित समय के भीतर ऐसे अपराध के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट कार्रवाई नहीं की है या मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी है, तो मॉनिटर यह जानकारी सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी प्रेषित कर सकता है।
- (8) शब्द 'मॉनीटर' में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

#### धारा 9 – संधि अवधि

यह समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्ष कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर करते हैं। यह ठेकेदार के लिए अनुबंध के तहत अंतिम भुगतान के 12 महीने बाद और अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए अनुबंध दिए जाने के 6 महीने बाद समाप्त होता है। यदि इस दौरान कोई दावा किया जाता है/दायर किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा और ऊपर निर्दिष्ट इस समझौते की समाप्ति के बावजूद वैध बना रहेगा, जब तक कि इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निर्वहन/निर्धारित नहीं किया जाता है।

#### धारा 10 – अन्य प्रावधान

- (1) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। निष्पादन का स्थान और अधिकार क्षेत्र प्रिंसिपल का पंजीकृत कार्यालय, अर्थात् नासिक है।
- (2) परिवर्तन और अनुपूरक तथा समाप्ति सूचनाएँ लिखित रूप में दी जानी चाहिए। कोई अतिरिक्त समझौता नहीं किया गया है।
- (3) यदि ठेकेदार साझेदारी या कंसोर्टियम है, तो इस समझौते पर सभी भागीदारों या कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- (4) यदि इस समझौते के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो भी इस समझौते का शेष भाग वैध रहेगा। ऐसी स्थिति में, पक्षकार अपने मूल इरादों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।
- (5) सत्यनिष्ठा संधि और उसके अनुलग्नक के बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, सत्यनिष्ठा संधि का खंड लागू होगा।

(प्रधानाचार्य के लिए एवं उनकी ओर से)

(बोलीदाता/ठेकेदार की ओर से)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

(कार्यालय मुहर)

(कार्यालय मुहर)

जगह -----

तारीख -----

गवाह 1: गवाह 1:

(नाम और पता)

(नाम

और

पता)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

गवाह 2: गवाह 2:

(नाम और पता)

(नाम और पता) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Integrity Pact

Between

**Central Bank of India** hereinafter referred to as “**The Principal**”,

And

..... hereinafter referred to as “**The Bidder/ Contractor**”

#### Preamble

The Principal intends to award, under laid down organizational procedures, contract/s for.....The Principal values full compliance with all relevant laws of the land, rules, regulations, economic use of resources and of fairness / transparency in its relations with its Bidder(s) and / or Contractor(s).

In order to achieve these goals, the Principal will appoint an Independent External Monitor (IEM), who will monitor the tender process and the execution of the contract for compliance with the principles mentioned above.

#### Section 1 – Commitments of the Principal

(1.) The Principal commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles:-

- a. No employee of the Principal, personally or through family members, will in connection with the tender for , or the execution of a contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
- b. The Principal will, during the tender process treat all Bidder(s) with equity and reason. The Principal will in particular, before and during the tender process, provide to all Bidder(s) the same information and will not provide to any Bidder(s) confidential / additional information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the tender process or the contract execution.
- c. The Principal will exclude from the process all known prejudiced persons.

(2) If the Principal obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the IPC/PC Act, or if there be a substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can initiate disciplinary actions.

#### Section 2 – Commitments of the Bidder(s)/ contractor(s)

(1) The Bidder(s)/ Contractor(s) commit themselves to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the tender process and during the contract execution.

- a. The Bidder(s)/ Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the Principal’s employees involved in the tender process or the execution of the contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the tender process or during the execution of the contract.
- b. The Bidder(s)/ Contractor(s) will not enter with other Bidders into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to introduce cartelisation in the bidding process.
- c. The Bidder(s)/ Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act; further the Bidder(s)/ Contractor(s) will not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the Principal as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.
- d. The Bidder(s)/Contractors(s) of foreign origin shall disclose the name and address of the Agents/representatives in India, if any. Similarly the Bidder(s)/Contractors(s) of Indian Nationality shall furnish the name and address of the foreign principals, if any. Further details as mentioned in the “Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers” shall be disclosed by the

**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक**

Bidder(s)/Contractor(s). Further, as mentioned in the Guidelines all the payments made to the Indian agent/representative have to be in Indian Rupees only. Copy of the "Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers" is placed at (page nos. 6-7) e. The Bidder(s)/ Contractor(s) will, when presenting his bid, disclose any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the contract.

(2) The Bidder(s)/ Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.

**Section 3- Disqualification from tender process and exclusion from future contracts**

If the Bidder(s)/Contractor(s), before award or during execution has committed a transgression through a violation of Section 2, above or in any other form such as to put his reliability or credibility in question, the Principal is entitled to disqualify the Bidder(s)/Contractor(s) from the tender process or take action as per the procedure mentioned in the "Guidelines on Banning of business dealings". Copy of the "Guidelines on Banning of business dealings" is attached as Annexure-12.

**Section 4 – Compensation for Damages**

(1) If the Principal has disqualified the Bidder(s) from the tender process prior to the award according to Section 3, the Principal is entitled to demand and recover the damages equivalent to Earnest Money Deposit/ Bid Security.

(2) If the Principal has terminated the contract according to Section 3, or if the Principal is entitled to terminate the contract according to Section 3, the Principal shall be entitled to demand and recover from the Contractor liquidated damages of the Contract value or the amount equivalent to Performance Bank Guarantee.

**Section 5 – Previous transgression**

(1) The Bidder declares that no previous transgressions occurred in the last three years with any other Bank in any country conforming to the anti-corruption approach or with any Public Sector Enterprise in India that could justify his exclusion from the tender process.

(2) If the Bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the tender process or action can be taken as per the procedure mentioned in "Guidelines on Banning of business dealings".

**Section 6 – Equal treatment of all Bidders / Contractors / Subcontractors**

(1) The Bidder(s)/ Contractor(s) undertake(s) to demand from his subcontractors a commitment in conformity with this Integrity Pact.

(2) The Principal will enter into agreements with identical conditions as this one with all Bidders and Contractors.

(3) The Principal will disqualify from the tender process all bidders who do not sign this Pact or violate its provisions.

**Section 7 – Criminal charges against violating Bidder(s) / Contractor(s) / Subcontractor(s)**

If the Principal obtains knowledge of conduct of a Bidder, Contractor or Subcontractor, or of an employee or a representative or an associate of a Bidder, Contractor or Subcontractor which constitutes corruption, or if the Principal has substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the same to the Chief Vigilance Officer.

**Section 8 – Independent External Monitor / Monitors**

(1) The Principal appoints competent and credible Independent External Monitor for this Pact. The task of the Monitor is to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this agreement.

(2) The Monitor is not subject to instructions by the representatives of the parties and performs his functions neutrally and independently. It will be obligatory for him to treat the information and documents of the Bidders/Contractors as confidential. He reports to the Chairman & Managing Director, CENTRAL BANK OF INDIA.

(3) The Bidder(s)/Contractor(s) accepts that the Monitor has the right to access without restriction to all Project documentation of the Principal including that provided by the Contractor. The Contractor will also grant the Monitor, upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his project documentation. The same is

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

applicable to Subcontractors. The Monitor is under contractual obligation to treat the information and documents of the Bidder(s)/ Contractor(s)/ Subcontractor(s) with confidentiality.

(4) The Principal will provide to the Monitor sufficient information about all meetings among the parties related to the Project provided such meetings could have an impact on the contractual relations between the Principal and the Contractor. The parties offer to the Monitor the option to participate in such meetings.

(5) As soon as the Monitor notices, or believes to notice, a violation of this agreement, he will so inform the Management of the Principal and request the Management to discontinue or take corrective action, or to take other relevant action. The monitor can in this regard submit non-binding recommendations. Beyond this, the Monitor has no right to demand from the parties that they act in a specific manner, refrain from action or tolerate action.

(6) The Monitor will submit a written report to the Chairman & Managing Director, CENTRAL BANK OF INDIA within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the *Principal* and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

(7) If the Monitor has reported to the Chairman & Managing Director CENTRAL BANK OF INDIA, a substantiated suspicion of an offence under relevant IPC/ PC Act, and the Chairman & Managing Director CENTRAL BANK OF INDIA has not, within the reasonable time taken visible action to proceed against such offence or reported it to the Chief Vigilance Officer, the Monitor may also transmit this information directly to the Central Vigilance Commissioner.

(8) The word „**Monitor**“ would include both singular and plural.

#### Section 9 – Pact Duration

This Pact begins when both parties have legally signed it. It expires for the Contractor 12 months after the last payment under the contract, and for all other Bidders 6 months after the contract has been awarded.

If any claim is made / lodged during this time, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this pact as specified above, unless it is discharged / determined by Chairman & Managing Director of CENTRAL BANK OF INDIA.

#### Section 10 – Other provisions

(1) This agreement is subject to Indian Law. Place of performance and jurisdiction is the Registered Office of the Principal, i.e. Nasik.

(2) Changes and supplements as well as termination notices need to be made in writing. Side agreements have not been made.

(3) If the Contractor is a partnership or a consortium, this agreement must be signed by all partners or consortium members.

(4) Should one or several provisions of this agreement turn out to be invalid, the remainder of this agreement remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

(5) In the event of any contradiction between the Integrity Pact and its Annexure, the Clause in the Integrity Pact will prevail.”

(For & On behalf of the Principal)

(For & On behalf of Bidder/ Contractor)

(Office Seal)

(Office Seal)

Place -----

Date -----

Witness 1:

(Name & Address)

Witness 1:

(Name

&

Address)

Witness 2:

Witness 2:



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

(Name & Address)

(Name

&

Address)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**गैर प्रकटीकरण समझौता**

यह समझौता \_\_\_\_\_ प्रति, 2025 के इस \_\_\_\_\_ दिन पर किया गया।

बीच में

\_\_\_\_\_ कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय \_\_\_\_\_ पर है (इसके बाद "-----" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जो अभिव्यक्ति जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा) एक पक्ष का;

और

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक निगमित निकाय है और इसका मुख्यालय केंद्रीय कार्यालय, चंद्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021 में है (इसके बाद इसे "बैंक" कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल होने पर ही इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल मानी जाएंगी) अन्य पक्ष

बोलीदाता और बैंक को इसके बाद व्यक्तिगत रूप से पक्षकार और सामूहिक रूप से "पक्षकार" कहा जाएगा। गोपनीय जानकारी का खुलासा करने या प्राप्त करने वाले पक्षों में से किसी एक को क्रमशः खुलासा करने वाला पक्ष और प्राप्त करने वाला पक्ष कहा जाएगा।

जबकि:

दोनों पक्ष आपस में व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए चर्चा और बातचीत करने का इरादा रखते हैं। ऐसी चर्चाओं और बातचीत के दौरान, यह अनुमान लगाया जाता है कि दोनों पक्ष अपने कुछ व्यापारिक रहस्यों या गोपनीय या स्वामित्व संबंधी जानकारी का खुलासा या वितरण कर सकते हैं, ताकि दूसरे पक्ष को ऐसे व्यावसायिक संबंध की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाया जा सके (जिसे आगे "उद्देश्य" कहा जाएगा)।

अब, इसलिए, यह समझौता साक्षी है और इसके द्वारा पक्षों के बीच निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. गोपनीय जानकारी: "गोपनीय जानकारी" का अर्थ है, किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पक्षों के बीच किए गए/किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में और/या उद्देश्य के संबंध में उनके बीच चर्चा और बातचीत के दौरान प्रकट/प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी। गोपनीय जानकारी में ग्राहक डेटा, उसकी कोई प्रतिलिपि, सार, अंश, नमूना, नोट या मॉड्यूल शामिल होगा।

दोनों पक्षों में से कोई भी गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल उद्देश्य के लिए और उससे संबंधित मामलों में कर सकता है।

पूर्वगामी के बावजूद, "गोपनीय सूचना" में ऐसी कोई भी सूचना शामिल नहीं होगी जिसे प्राप्त करने वाला पक्ष यह दिखा सके: (क) जो प्राप्त करने वाले पक्ष द्वारा इस अनुबंध का उल्लंघन किए बिना अब या बाद में कानूनी रूप से और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाती है, (ख) जो प्रकट करने वाले पक्ष से प्राप्त करने से पहले गोपनीयता के किसी दायित्व के बिना प्राप्त करने वाले पक्ष के अधिकार में थी, (ग) जो प्राप्त करने वाले पक्ष द्वारा प्रकट करने वाले पक्ष के अलावा किसी अन्य स्रोत से गोपनीयता के किसी दायित्व के बिना अधिकारपूर्वक प्राप्त की गई थी, या (घ) जो प्राप्त करने वाले पक्ष द्वारा या उसके लिए स्वतंत्र रूप से और किसी गोपनीय सूचना के संदर्भ के बिना विकसित की गई थी और ऐसे स्वतंत्र विकास को दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा दिखाया जा सकता है।

1. अप्रकटीकरण: प्राप्तकर्ता पक्ष, प्राप्तकर्ता पक्ष के प्रत्यक्ष रोजगार में लगे व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के साथ किसी भी गोपनीय जानकारी या उससे प्राप्त किसी भी सामग्री का व्यावसायिक उपयोग या प्रकटीकरण नहीं करेगा, जिन्हें केवल ऊपर अधिकृत उद्देश्य के लिए गोपनीय जानकारी तक पहुँच और जानकारी की आवश्यकता है। प्राप्तकर्ता पक्ष, सलाहकारों के साथ गोपनीय जानकारी का खुलासा केवल तभी कर सकता है जब सलाहकार ने प्राप्तकर्ता पक्ष के साथ एक अप्रकटीकरण समझौता किया हो जिसमें इनसे कम प्रतिबंधात्मक नियम और शर्तें शामिल हों। प्राप्तकर्ता पक्ष, अनधिकृत उपयोग या प्रकटीकरण के विरुद्ध आश्वासन देने के लिए ऐसे कर्मचारियों के साथ प्रकटीकरण से पहले निर्देश और लिखित समझौते के माध्यम से उचित उपाय करेगा। प्राप्तकर्ता पक्ष, इस समझौते की शर्तों के उल्लंघन में प्रकटकर्ता पक्ष की गोपनीय जानकारी



### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

के किसी भी उपयोग या प्रकटीकरण के बारे में जानने पर, प्रकटकर्ता पक्ष को तुरंत सूचित करने के लिए सहमत है। इसके अलावा, ऐसे कर्मचारियों या परामर्शदाताओं द्वारा गैर-प्रकटीकरण दायित्वों का कोई भी उल्लंघन प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और प्राप्तकर्ता पक्ष तदनुसार इसके लिए उत्तरदायी होगा।

बशर्ते कि प्राप्तकर्ता पक्ष, न्यायालय या सरकारी एजेंसी के आदेश के अनुसार, उस न्यायालय या सरकारी एजेंसी को गोपनीय जानकारी प्रकट कर सकता है, जैसा कि ऐसे आदेश द्वारा अपेक्षित हो, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता पक्ष, जब तक कि कानून या विनियमन द्वारा निषिद्ध न हो, ऐसे आदेश के बारे में प्रकटकर्ता पक्ष को तुरंत सूचित करेगा और प्रकटकर्ता पक्ष को ऐसे प्रकटीकरण से संबंधित उचित सुरक्षात्मक आदेश प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा।

2. प्रकाशन: कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना इस समझौते, इसकी विषय-वस्तु/प्रावधानों, इस समझौते से संबंधित अन्य जानकारी, उद्देश्य, गोपनीय जानकारी या इस समझौते के अन्य मामले के संबंध में समाचार विज्ञप्तियां, सार्वजनिक घोषणाएं, साक्षात्कार, विज्ञापन जारी या प्रकाशित नहीं करेगा या किसी अन्य तरीके से प्रचार नहीं करेगा।

3. अवधि: यह समझौता आज की तिथि से प्रभावी होगा और पक्षों के बीच व्यावसायिक संबंध स्थापित होने और उसके बाद अंतिम समझौतों के निष्पादन तक जारी रहेगा। यहाँ उल्लिखित अवधि की समाप्ति या समाप्ति पर, प्राप्तकर्ता पक्ष गोपनीय जानकारी के किसी भी और सभी प्रकटीकरणों या उपयोगों के अधिकार तुरंत समाप्त कर देगा; और प्रकट करने वाले पक्ष के अनुरोध पर, प्राप्तकर्ता पक्ष गोपनीय जानकारी के सभी लिखित, ग्राफिक या अन्य मूर्त रूपों और उसकी सभी प्रतियों, सार, अंशों, नमूनों, नोट्स या मॉड्यूल को तुरंत वापस कर देगा या नष्ट कर देगा।

इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, गोपनीय जानकारी तब तक गोपनीय बनी रहेगी जब तक कि वह सामान्य रूप से सार्वजनिक डोमेन में न पहुंच जाए।

4. शीर्षक और मालिकाना अधिकार: प्रकटकर्ता पक्ष द्वारा प्राप्तकर्ता पक्ष को किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के बावजूद, प्रकटकर्ता पक्ष गोपनीय जानकारी में शीर्षक और सभी बौद्धिक संपदा और मालिकाना अधिकारों को बनाए रखेगा। किसी भी ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट के तहत कोई लाइसेंस, या उनके लिए आवेदन जो अब या उसके बाद ऐसे पक्ष द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, गोपनीय जानकारी के संप्रेषण द्वारा या तो प्रदान या निहित नहीं है। प्राप्तकर्ता पक्ष गोपनीय जानकारी की किसी भी प्रति पर प्रकटकर्ता पक्ष के किसी भी ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क नोटिस, कॉपीराइट नोटिस, गोपनीयता नोटिस या किसी अन्य मालिकाना अधिकार के किसी भी नोटिस को छिपाएगा, बदलेगा, मिटाएगा, विकृत करेगा, विरूपित नहीं करेगा या अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा, और ऐसी गोपनीय जानकारी की सभी प्रतियों पर ऐसे किसी भी चिह्न या सूचना को पुनः प्रस्तुत नहीं करेगा।

5. गोपनीय जानकारी की वापसी: प्रकटकर्ता पक्ष की लिखित मांग पर, प्राप्तकर्ता पक्ष (i) गोपनीय जानकारी का उपयोग करना बंद कर देगा, (ii) नोटिस प्राप्त होने के सात (7) दिनों के भीतर गोपनीय जानकारी और उसकी सभी प्रतियां, सार, अंश, नमूने, नोट्स या मॉड्यूल प्रकटकर्ता पक्ष को वापस कर देगा, और (iii) प्रकटकर्ता पक्ष के अनुरोध पर, लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि प्राप्तकर्ता पक्ष ने इस पैराग्राफ में निर्धारित दायित्वों का पालन किया है।

6. उपाय: प्राप्तकर्ता पक्ष यह स्वीकार करता है कि यदि प्राप्तकर्ता पक्ष इसके अंतर्गत अपने किसी भी दायित्व का पालन करने में विफल रहता है, तो प्रकटकर्ता पक्ष को तत्काल, अपूरणीय क्षति हो सकती है जिसके लिए मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहीं हो सकती है। प्राप्तकर्ता पक्ष इस बात से सहमत है कि, कानून या न्यायसम्य में प्रदान किए गए अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त, प्रकटकर्ता पक्ष इसके अंतर्गत निषेधाज्ञा राहत का भी हकदार होगा।

7. संपूर्ण समझौता, संशोधन, हस्तांतरण: यह समझौता, इसमें चर्चा किए गए विषयों से संबंधित पक्षों के बीच संपूर्ण समझौता है और पक्षों के बीच किसी भी पूर्व मौखिक चर्चा और/या लिखित पत्राचार या समझौतों का स्थान लेता है। इस समझौते में केवल पक्षों की पारस्परिक लिखित सहमति से ही संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। न तो यह समझौता और न ही इसके तहत प्रदत्त कोई भी अधिकार हस्तांतरणीय या अन्यथा हस्तांतरणीय होगा।

**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक**

8. शासकीय कानून और क्षेत्राधिकार: इस समझौते के प्रावधान भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे। इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मुंबई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत किया जाएगा।
9. सामान्य: प्राप्तकर्ता पक्ष इसके अंतर्गत प्रकट किए गए किसी भी सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग, डिक्ंपाइल, डिसेम्बल या अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी गोपनीय जानकारी "जैसी है वैसी" प्रदान की जाती है। किसी भी स्थिति में प्रकट करने वाला पक्ष गोपनीय जानकारी की अशुद्धि या अपूर्णता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। पक्षों द्वारा प्रकट की गई कोई भी गोपनीय जानकारी किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए ऐसी गोपनीय जानकारी की उपयुक्तता या ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट या किसी तृतीय पक्ष के अधिकार के उल्लंघन के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को कोई प्रतिनिधित्व, वारंटी, आश्वासन, गारंटी या प्रलोभन नहीं देती है।
10. क्षतिपूर्ति: प्राप्तकर्ता पक्ष को प्राप्तकर्ता पक्ष, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों द्वारा इस समझौते के तहत गोपनीयता दायित्वों के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि, क्षति, लागत आदि के खिलाफ क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और क्षतिपूर्ति, बचाव, बचाव, हानिरहित रखना चाहिए। इसके साक्ष्य में, पक्षकारों ने इन प्रस्तुतियों को ऊपर लिखे गए दिन, महीने और वर्ष को निष्पादित किया है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

पद का नाम:

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

पद का नाम:

**Non-Disclosure Agreement**

This Agreement made at \_\_\_\_\_, on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2025.

BETWEEN

\_\_\_\_\_ a company incorporated under the Companies Act, 1956/2013 having its registered office at \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "-----" which expression unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and assigns) of the ONE PART;

AND

CENTRAL BANK OF INDIA, a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and having its head Office at Central Office, Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021 (hereinafter referred to as "BANK" which expression unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and assigns) of the OTHER PART

The .....bidder and BANK are hereinafter individually referred to as party and collectively referred to as "the Parties". Either of the parties which discloses or receives the confidential information is respectively referred to herein as Disclosing Party and Receiving Party.

WHEREAS:

The Parties intend to engage in discussions and negotiations concerning the establishment of a business relationship between them. In the course of such discussions and negotiations, it is anticipated that both the parties may disclose or deliver to either of the Parties certain or some of its trade secrets or confidential or proprietary information, for the purpose of enabling the other party to evaluate the feasibility of such business relationship (hereinafter referred to as "the Purpose").

NOW, THEREFORE, THIS AGREEMENT WITNESSETH AND IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

1. Confidential Information: "Confidential Information" means all information disclosed/ furnished by either of the parties to another Party in connection with the business transacted/to be transacted between the Parties and/or in the course of discussions and negotiations between them in connection with the Purpose. Confidential Information shall include customer data, any copy, abstract, extract, sample, note or module thereof.

Either of the Parties may use the Confidential Information solely for and in connection with the Purpose.

Notwithstanding the foregoing, "Confidential Information" shall not include any information which the Receiving Party can show: (a) is now or subsequently becomes legally and publicly available without breach of this Agreement by the Receiving Party, (b) was rightfully in the possession of the Receiving Party without any obligation of confidentiality prior to receiving it from the Disclosing Party, (c) was rightfully obtained by the Receiving Party from a source other than the Disclosing Party without any obligation of confidentiality, or (d) was developed by or for the Receiving Party independently and without reference to any Confidential Information and such independent development can be shown by documentary evidence.

1. Non-disclosure: The Receiving Party shall not commercially use or disclose any Confidential Information or any materials derived there from to any other person or entity other than persons in the direct employment of the Receiving Party who have a need to have access to and knowledge of the Confidential Information solely for the Purpose authorized above. The Receiving Party may disclose Confidential Information to consultants only if the consultant has executed a Non-disclosure Agreement with the Receiving Party that contains terms and conditions that are no less restrictive than these. The Receiving Party shall take appropriate measures by instruction and written agreement prior to disclosure to such employees to assure against unauthorized use or disclosure. The Receiving Party agrees to notify the Disclosing Party immediately if it learns of any use or disclosure of the Disclosing Party's Confidential Information in violation of the terms of this Agreement. Further, any breach of non-disclosure

**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक**

obligations by such employees or consultants shall be deemed to be a breach of this Agreement by the Receiving Party and the Receiving Party shall be accordingly liable therefor.

Provided that the Receiving Party may disclose Confidential information to a court or governmental agency pursuant to an order of such court or governmental agency as so required by such order, provided that the Receiving Party shall, unless prohibited by law or regulation, promptly notify the Disclosing Party of such order and afford the Disclosing Party the opportunity to seek appropriate protective order relating to such disclosure.

2. Publications: Neither Party shall make news releases, public announcements, give interviews, issue or publish advertisements or publicize in any other manner whatsoever in connection with this Agreement, the contents / provisions thereof, other information relating to this Agreement, the Purpose, the Confidential Information or other matter of this Agreement, without the prior written approval of the other Party.

3. Term: This Agreement shall be effective from the date hereof and shall continue till establishment of business relationship between the Parties and execution of definitive agreements thereafter. Upon expiration or termination as contemplated herein the Receiving Party shall immediately cease rights to any and all disclosures or uses of Confidential Information; and at the request of the Disclosing Party, the Receiving Party shall promptly return or destroy all written, graphic or other tangible forms of the Confidential Information and all copies, abstracts, extracts, samples, notes or modules thereof.

Notwithstanding anything to the contrary contained herein, the confidential information shall continue to remain confidential until it reaches the public domain in the normal course.

4. Title and Proprietary Rights: Notwithstanding the disclosure of any Confidential Information by the Disclosing Party to the Receiving Party, the Disclosing Party shall retain title and all intellectual property and proprietary rights in the Confidential Information. No license under any trademark, patent or copyright, or application for same which are now or thereafter may be obtained by such Party is either granted or implied by the conveying of Confidential Information. The Receiving Party shall not conceal, alter, obliterate, mutilate, deface or otherwise interfere with any trademark, trademark notice, copyright notice, confidentiality notice or any notice of any other proprietary right of the Disclosing Party on any copy of the Confidential Information, and shall reproduce any such mark or notice on all copies of such Confidential Information. Likewise, the Receiving Party shall not add or emboss its own or any other any mark, symbol or logo on such Confidential Information.

5. Return of Confidential Information: Upon written demand of the Disclosing Party, the Receiving Party shall (i) cease using the Confidential Information, (ii) return the Confidential Information and all copies, abstract, extracts, samples, notes or modules thereof to the Disclosing Party within seven (7) days after receipt of notice, and (iii) upon request of the Disclosing Party, certify in writing that the Receiving Party has complied with the obligations set forth in this paragraph.

6. Remedies: The Receiving Party acknowledges that if the Receiving Party fails to comply with any of its obligations hereunder, the Disclosing Party may suffer immediate, irreparable harm for which monetary damages may not be adequate. The Receiving Party agrees that, in addition to all other remedies provided at law or in equity, the Disclosing Party shall be entitled to injunctive relief hereunder.

7. Entire Agreement, Amendment, Assignment: This Agreement constitutes the entire agreement between the parties relating to the matters discussed herein and supersedes any and all prior oral discussions and/or written correspondence or agreements between the parties. This Agreement may be amended or modified only with the mutual written consent of the parties. Neither this Agreement nor any right granted hereunder shall be assignable or otherwise transferable.

8. Governing Law and Jurisdiction: The provisions of this Agreement shall be governed by the laws of India. The disputes, if any, arising out of this Agreement shall be submitted to the jurisdiction of the courts/tribunals in Mumbai.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

9. General: The Receiving Party shall not reverse-engineer, decompile, disassemble or otherwise interfere with any software disclosed hereunder. All Confidential Information is provided "as is". In no event shall the Disclosing Party be liable for the inaccuracy or incompleteness of the Confidential Information. None of the Confidential Information disclosed by the parties constitutes any representation, warranty, assurance, guarantee or inducement by either party to the other with respect to the fitness of such Confidential Information for any particular purpose or infringement of trademarks, patents, copyrights or any right of third persons.

10. Indemnity: The receiving party should indemnify and keep indemnified, saved, defended, harmless against any loss, damage, costs etc. incurred and / or suffered by the disclosing party arising out of breach of confidentiality obligations under this agreement by the receiving party, its officers, employees, agents or consultants.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed these presents the day, month and year first hereinabove written.

For and on behalf of

\_\_\_\_\_  
Name of Authorized signatory:  
Designation:

For and on behalf of  
CENTRAL BANK OF INDIA

\_\_\_\_\_  
Name of Authorized signatory:  
Designation:

प्रदर्शन बैंक गारंटी

प्रति,

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

नासिक

-----

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसका पंजीकृत कार्यालय चंद्रमुखी बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 में है (जिसे आगे "क्रेता" कहा जाएगा) ने मेसर्स ----- (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) से उनके समझौते/खरीद आदेश संख्या ----- दिनांक ----- (जिसे आगे "अनुबंध" कहा जाएगा) में निहित नियमों और शर्तों पर कंप्यूटर हार्डवेयर (जिसे आगे "माल" कहा जाएगा) का वार्षिक रखरखाव अनुबंध खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है, बशर्ते कि ठेकेदार क्रेता को उक्त अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर के उचित प्रदर्शन के संबंध में बैंक गारंटी प्रदान करे, जिसका रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और साथ ही ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रणालियों के रखरखाव की गारंटी भी दी जाएगी;

1) हम, ----- (बैंक) (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), ठेकेदार के अनुरोध पर, इसके द्वारा गारंटी देते हैं और क्रेता प्रति, केवल मांग पर और बिना किसी आपत्ति के, किसी भी समय ----- तक किसी भी धनराशि या धनराशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, जो कुल राशि रु.----- (रुपये----- --केवल) से अधिक नहीं होगी, जैसा कि क्रेता द्वारा ठेकेदार से देय होने का दावा किया जा सकता है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के उक्त अनुबंध के अनुसार प्रदर्शन करने में विफलता के कारण क्रेता को हुई या होने वाली हानि या क्षति के रूप में है, और ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रणालियों को बनाए रखने में विफलता के कारण भी है।

2) इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, क्रेता का यह निर्णय कि क्या कंप्यूटर हार्डवेयर उक्त अनुबंध के अनुसार कार्य करने में विफल रहा है, और यह भी कि क्या ठेकेदार उक्त अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रणालियों का रखरखाव करने में विफल रहा है, बैंक पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। बैंक क्रेता से इस गारंटी के अंतर्गत अपने दावे या दावों को स्थापित करने के लिए कहने का हकदार नहीं होगा, बल्कि बिना किसी आपत्ति, आपत्ति, सहारा, विवाद या विरोध के और/या ठेकेदार को कोई संदर्भ दिए बिना, केवल मांग पर ही क्रेता को तुरंत भुगतान कर देगा। क्रेता द्वारा बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग, क्रेता और ठेकेदार के बीच किसी भी मतभेद या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी भी विवाद के बावजूद, निर्णायक और बाध्यकारी होगी।

3) यह गारंटी ----- को समाप्त हो जाएगी; क्रेता के दावे या दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उक्त तिथि को या उससे पहले बैंक से मांगे गए हों या अन्यथा लिखित रूप में बैंक को सूचित किए गए हों, अर्थात् ----- (यह तिथि गारंटी की समाप्ति की तिथि होनी चाहिए)।

4) बैंक यह भी वचन देता है कि वह इस गारंटी को इसके प्रचलन के दौरान क्रेता की लिखित पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं करेगा और यह गारंटी, जैसा भी मामला हो, पूर्वोक्त समाप्ति तिथि तक या इस गारंटी के सभी पक्षों द्वारा सहमत गारंटी की विस्तारित समाप्ति अवधि की अंतिम तिथि तक लागू रहेगी, जब तक कि इस गारंटी के प्रचलन के दौरान उक्त अनुबंध के अंतर्गत या इसके आधार पर क्रेता के सभी बकाया का विधिवत भुगतान नहीं कर दिया जाता है और उसके दावों की पूर्ति नहीं कर दी जाती है या उनका निर्वहन नहीं कर दिया जाता है या क्रेता यह प्रमाणित नहीं कर देता है कि उक्त अनुबंध की शर्तों और नियमों का ठेकेदार द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया गया है और तदनुसार गारंटी का निर्वहन नहीं कर देता है।

5) इसमें निहित गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, आप इस प्रकार कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम पूर्वोक्त रूप से हमारे द्वारा गारंटीकृत ठेकेदार के विरुद्ध आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार हैं और हम इसके द्वारा स्पष्ट रूप से अपने सभी ज़मानत के अधिकारों और अन्य अधिकारों को छोड़ देते हैं, यदि कोई हो, जो किसी भी तरह से उपरोक्त या इस गारंटी के किसी अन्य प्रावधान के साथ असंगत हैं।

6) बैंक क्रेता के साथ इस बात पर सहमत है कि क्रेता को इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्वों को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना ठेकेदार द्वारा समय-समय पर निष्पादन का समय बढ़ाने या किसी भी समय या समय-समय पर क्रेता द्वारा ठेकेदार के खिलाफ प्रयोग किए जाने वाले किसी भी अधिकार या शक्ति को स्थगित करने



**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक**

और उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्त को लागू करने या लागू करने से परहेज करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, और बैंक को क्रेता की ओर से किसी भी परहेज, कार्य या चूक या क्रेता द्वारा दिखाए गए किसी अन्य अनुग्रह या किसी भी अन्य मामले या चीज के लिए ठेकेदार को दिए गए ऐसे किसी भी विस्तार के कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा, जो कि जमानत से संबंधित कानून के तहत बैंक को राहत देने का प्रभाव डालता है, लेकिन इस प्रावधान के लिए।

7) गारंटी ठेकेदार या बैंक के संविधान में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी और न ही यह ठेकेदार, बैंक या क्रेता के साथ किसी भी समामेलन या अवशोषण द्वारा क्रेता के संविधान में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित होगी, लेकिन अवशोषित या समामेलित कंपनी या प्रतिष्ठान के लिए सुनिश्चित और उसके द्वारा लागू और लागू होगी।

8) यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान किसी अन्य गारंटी या गारंटियों के अतिरिक्त हैं, न कि सीमा के रूप में या उनके स्थान पर, जो हमारे द्वारा (चाहे अकेले या अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से) पूर्व में उल्लिखित ठेकेदार की ओर से पूर्व में उल्लिखित उसी अनुबंध के लिए और उसी उद्देश्य के लिए जारी की गई हैं जिसके लिए यह गारंटी जारी की गई है, और अब निरस्त नहीं हुई है और हम आगे उल्लेख करते हैं कि इस गारंटी का उद्देश्य ऐसी गारंटी या गारंटियों को रद्द करना या सीमित करना नहीं है, जो हमारे द्वारा पूर्व में उल्लिखित ठेकेदार की ओर से पूर्व में उल्लिखित उसी अनुबंध के लिए और उसी उद्देश्य के लिए जारी की गई हैं जिसके लिए यह गारंटी जारी की गई है।

9) इस गारंटी के अंतर्गत मांग या अन्य किसी प्रकार का कोई नोटिस विशेष कूरियर, टैलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा इस गारंटी में उल्लिखित हमारे स्थानीय पते पर भेजा जा सकता है।

10) इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी:-

- मैं) इस बैंक गारंटी के तहत हमारी देयता रु.----- (रुपये-----मात्र) से अधिक नहीं होगी;
- ii) यह बैंक गारंटी ----- तक वैध होगी; और
- iii) हम इस बैंक गारंटी के अंतर्गत गारंटीकृत राशि या उसके किसी भाग का भुगतान करने के लिए केवल तभी उत्तरदायी हैं, जब आप हमें लिखित दावा या मांग ----- (गारंटी की समाप्ति की तिथि) को या उससे पहले प्रस्तुत करते हैं।

11) बैंक को संविधि/संविधान के तहत यह गारंटी जारी करने की शक्ति है और नीचे हस्ताक्षरकर्ता को बैंक की ओर से इस गारंटी पर हस्ताक्षर करने की पूरी शक्ति है।

दिनांक ----- दिन ----- 2025 को -----

बैंक के लिए एवं उसकी ओर से।

एसडी/- -----  
-----



**Performance Bank Guarantee**

TO,  
CENTRAL BANK OF INDIA  
NASIK  
-----.

In consideration of Central Bank of India having Registered Office at Chandermukhi Building, Nariman Point, Mumbai 400 021 (hereinafter referred to as "Purchaser") having agreed to purchase Annual Maintenance Contract of computer hardware (hereinafter referred to as "Goods") from M/s ----- (hereinafter referred to as "Contractor") on the terms and conditions contained in their agreement/purchase order No----- dt.----- (hereinafter referred to as the "Contract") subject to the contractor furnishing a Bank Guarantee to the purchaser as to the due performance of the computer hardware, as per the terms and conditions of the said contract, to be maintained by the contractor and also guaranteeing the maintenance, by the contractor, of the computer hardware and systems as per the terms and conditions of the said contract;

1) We, ----- (Bank) (hereinafter called "the Bank"), at the request of the contractor, do hereby guarantee and undertake to pay to the purchaser, forthwith on mere demand and without any demur, at any time upto ----- any money or moneys not exceeding a total sum of Rs------(Rupees-----only) as may be claimed by the purchaser to be due from the contractor by way of loss or damage caused to or that would be caused to or suffered by the purchaser by reason of failure of computer hardware to perform as per the said contract, and also failure of the contractor to maintain the computer hardware and systems as per the terms and conditions of the said contract.

2) Notwithstanding anything to the contrary, the decision of the purchaser as to whether computer hardware has failed to perform as per the said contract, and also as to whether the contractor has failed to maintain the computer hardware and systems as per the terms and conditions of the said contract will be final and binding on the Bank and the Bank shall not be entitled to ask the purchaser to establish its claim or claims under this Guarantee but shall pay the same to the purchaser forthwith on mere demand without any demur, reservation, recourse, contest or protest and/or without any reference to the contractor. Any such demand made by the purchaser on the Bank shall be conclusive and binding notwithstanding any difference between the purchaser and the contractor or any dispute pending before any Court, Tribunal, Arbitrator or any other authority.

3) This Guarantee shall expire on -----; without prejudice to the purchaser's claim or claims demanded from or otherwise notified to the Bank in writing on or before the said date i.e. ----- (this date should be date of expiry of Guarantee).

4) The Bank further undertakes not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the purchaser in writing and this Guarantee shall continue to be enforceable till the aforesaid date of expiry or the last date of the extended period of expiry of Guarantee agreed upon by all the parties to this Guarantee, as the case may be, unless during the currency of this Guarantee all the dues of the purchaser under or by virtue of the said contract have been duly paid and its claims satisfied or discharged or the purchaser certifies that the terms and conditions of the said contract have been fully carried out by the contractor and accordingly discharges the Guarantee.

5) In order to give full effect to the Guarantee herein contained, you shall be entitled to act as if we are your principal debtors in respect of all your claims against the contractor hereby Guaranteed by us as aforesaid and we hereby expressly waive all our rights of suretyship and other rights if any which are in any way inconsistent with the above or any other provisions of this Guarantee.

6) The Bank agrees with the purchaser that the purchaser shall have the fullest liberty without affecting in any manner the Bank's obligations under this Guarantee to extend the time of performance by the contractor from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the rights or powers exercisable by the purchaser against the contractor and either

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

to enforce or forbear to enforce any of the terms and conditions of the said contract, and the Bank shall not be released from its liability for the reasons of any such extensions being granted to the contractor for any forbearance, act or omission on the part of the purchaser or any other indulgence shown by the purchaser or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision have the effect of so relieving the Bank.

7) The Guarantee shall not be affected by any change in the constitution of the contractor or the Bank nor shall it be affected by any change in the constitution of the purchaser by any amalgamation or absorption or with the contractor, Bank or the purchaser, but will ensure for and be available to and enforceable by the absorbing or amalgamated company or concern.

8) This guarantee and the powers and provisions herein contained are in addition to and not by way of limitation or in substitution of any other guarantee or guarantees heretofore issued by us (whether singly or jointly with other banks) on behalf of the contractor heretofore mentioned for the same contract referred to heretofore and also for the same purpose for which this guarantee is issued, and now existing un-cancelled and we further mention that this guarantee is not intended to and shall not revoke or limit such guarantee or guarantees heretofore issued by us on behalf of the contractor heretofore mentioned for the same contract referred to heretofore and for the same purpose for which this guarantee is issued.

9) Any notice by way of demand or otherwise under this guarantee may be sent by special courier, telex, fax or registered post to our local address as mentioned in this guarantee.

10) Notwithstanding anything contained herein:-

- i) Our liability under this Bank Guarantee shall not exceed Rs------(Rupees----- only);
- ii) This Bank Guarantee shall be valid up to -----; and
- iii) We are liable to pay the Guaranteed amount or any part thereof under this Bank Guarantee only and only if you serve upon us a written claim or demand on or before ----- (date of expiry of Guarantee).

11) The Bank has power to issue this Guarantee under the statute/constitution and the undersigned has full power to sign this Guarantee on behalf of the Bank.

Date this ----- day of ----- 2025 at -----

For and on behalf of ----- Bank.

sd/- -----

**व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशानिर्देश**

- |      |   |
|------|---|
| क्रम | अंतर्वस्तु  |
| 1.   | परिचय   |
| 2.   | दायरा   |
| 3.   | परिभाषाएं   |
| 4.   | प्रतिबंध/निलंबन की शुरुआत   |
| 5.   | व्यापारिक लेन-देन का निलंबन   |
| 6.   | वह आधार जिस पर व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है                           |
| 7.   | व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध   |
| 8.   | अनुमोदित एजेंसियों - आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों की सूची से हटाना                          |
| 9.   | कारण बताओ नोटिस   |
| 10.  | सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध अपील  |
| 11.  | सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय की समीक्षा   |
| 12.  | उन एजेंसियों के नामों का प्रसार जिनके साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है |

**1 परिचय**

1.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम और 'राज्य' होने के नाते, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को संविधान के अध्याय III में निहित अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने वाणिज्यिक हितों की भी रक्षा करनी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उन एजेंसियों के साथ काम करता है, जिनमें किए गए काम के प्रति बहुत उच्च स्तर की ईमानदारी, प्रतिबद्धता और निष्ठा होती है। उन एजेंसियों के साथ काम करना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हित में नहीं है, जो उन्हें दिए गए अनुबंधों / जारी किए गए आदेशों के निष्पादन में धोखाधड़ी, छल या अन्य कदाचार करती हैं। संवैधानिक जनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी एजेंसी के साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने से पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है।

1.2 चूंकि व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एजेंसी के लिए नागरिक परिणाम शामिल होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए और स्पष्टीकरण, यदि प्रस्तुत किया गया हो, पर विचार किया जाए।

**2। घेरा**

2.1 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में सामान्यतः यह प्रावधान है कि यदि किसी एजेंसी में कदाचार पाया जाता है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसे अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों की सूची से हटाने या व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने और जाँच लंबित रहने तक व्यावसायिक लेन-देन निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि किसी जीसीसी में ऐसा प्रावधान नहीं है, तो उसे शामिल किया जा सकता है।

2.2 इसी प्रकार, सामग्री की बिक्री के मामले में, अनधिकृत तरीके से सामग्री उठाने वाली एजेंसियों/ग्राहकों/खरीदारों से निपटने के लिए एक प्रावधान है। यदि किसी बिक्री आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं है, तो उसे शामिल किया जा सकता है।

2.3 तथापि, ऐसे किसी खंड का अभाव किसी भी तरह से बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) के उचित मामलों में इन दिशानिर्देशों के तहत कार्रवाई / निर्णय लेने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है।

2.4 इन दिशानिर्देशों में (i) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों की सूची से एजेंसी को हटाने; (ii) एजेंसियों के साथ व्यापार करने पर निलंबन और (iii) प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2.5 ये दिशानिर्देश सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सभी इकाइयों और सहायक कंपनियों पर लागू होते हैं।

2.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि ये दिशानिर्देश किसी विशेष एजेंसी को उसके खराब/अपर्याप्त प्रदर्शन या किसी अन्य कारण से स्वीकार न करने के प्रबंधन के निर्णय से संबंधित नहीं हैं।

2.7 यह प्रतिबंध भावी प्रभाव अर्थात् भविष्य के व्यापारिक लेन-देन पर लागू होगा।

**Guidelines on banning of business dealing**

**Sr. Contents**

1. Introduction
2. Scope
3. Definitions
4. Initiation of banning / suspension
5. Suspension of business dealing
6. Ground on which banning of business dealings can be initiated
7. Banning of business dealings
8. Removal from list of approved agencies –suppliers/contractors
9. Show-cause notice
10. Appeal against the competent authority
11. Review of the decision by the competent authority
12. Circulation of names of agencies with whom business dealings have been banned

**1. Introduction**

1.1 Central Bank of India, being a Public Sector Enterprise and 'State', within the meaning of Article 12 of Constitution of India, has to ensure preservation of rights enshrined in Chapter III of the Constitution. CENTRAL BANK OF INDIA has also to safeguard its commercial interests. CENTRAL BANK OF INDIA deals with Agencies, who have a very high degree of integrity, commitments and sincerity towards the work undertaken. It is not in the interest of CENTRAL BANK OF INDIA to deal with Agencies who commit deception, fraud or other misconduct in the execution of contracts awarded / orders issued to them. In order to ensure compliance with the constitutional mandate, it is incumbent on CENTRAL BANK OF INDIA to observe principles of natural justice before banning the business dealings with any Agency.

1.2 Since banning of business dealings involves civil consequences for an Agency concerned, it is incumbent that adequate opportunity of hearing is provided and the explanation, if tendered, is considered before passing any order in this regard keeping in view the facts and circumstances of the case.

**2. Scope**

2.1 The General Conditions of Contract (GCC) of CENTRAL BANK OF INDIA generally provide that CENTRAL BANK OF INDIA reserves its rights to remove from list of approved suppliers / contractors or to ban business dealings if any Agency has been found to have committed misconduct and also to suspend business dealings pending investigation. If such provision does not exist in any GCC, the same may be incorporated.

2.2 Similarly, in case of sale of material there is a clause to deal with the Agencies / customers / buyers, who indulge in lifting of material in unauthorized manner. If such a stipulation does not exist in any Sale Order, the same may be incorporated.

2.3 However, absence of such a clause does not in any way restrict the right of Bank (CENTRAL BANK OF INDIA) to take action / decision under these guidelines in appropriate cases.

2.4 The procedure of (i) Removal of Agency from the List of approved suppliers / contractors; (ii) Suspension and (iii) Banning of Business Dealing with Agencies, has been laid down in these guidelines.

2.5 These guidelines apply to all the Units and subsidiaries of CENTRAL BANK OF INDIA.

2.6 It is clarified that these guidelines do not deal with the decision of the Management not to entertain any particular Agency due to its poor / inadequate performance or for any other reason.

2.7 The banning shall be with prospective effect, i.e., future business dealings.

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

#### 3. परिभाषाएँ

इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- i) 'पार्टी/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/क्रेता/ग्राहक/बोलीदाता/निविदाकर्ता' का तात्पर्य एक सार्वजनिक लिमिटेड बैंक या एक निजी लिमिटेड बैंक, एक फर्म (पंजीकृत हो या नहीं), एक व्यक्ति, एक सहकारी समिति या एक संघ या किसी वाणिज्य, व्यापार, उद्योग आदि में लगे व्यक्तियों का समूह होगा। इन दिशानिर्देशों के संदर्भ में 'पार्टी/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/क्रेता/ग्राहक/बोलीदाता/निविदाकर्ता' को 'एजेंसी' के रूप में दर्शाया गया है।
- ii) 'अंतर-संबद्ध एजेंसी' से तात्पर्य दो या दो से अधिक कंपनियों से होगा जिनमें निम्नलिखित में से कोई भी विशेषता हो:

क) यदि एक दूसरे का सहायक है।

ख) यदि निदेशक, भागीदार, प्रबंधक या प्रतिनिधि एक ही हों;

ग) यदि प्रबंधन सामान्य है;

घ) यदि कोई किसी भी तरह से दूसरे का स्वामी या नियंत्रण करता है;

iii) 'सक्षम प्राधिकारी' और 'अपीलीय प्राधिकारी' का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा:

क) बैंक (संपूर्ण भारतीय सेंट्रल बैंक) में इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ कार्यकारी निदेशक (जीएडी) "सक्षम प्राधिकारी" होंगे। आयातित कोयला/कोक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध को छोड़कर, ऐसे मामलों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक "अपीलीय प्राधिकारी" होंगे।

ख) आयातित वस्तुओं के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक समिति (ईडीसी) "सक्षम प्राधिकारी" होगी। ईडीसी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास होगी।

ग) यदि विदेशी आपूर्तिकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड से संपर्क कर सकता है।

d) केवल क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए

इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ, क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख द्वारा नियुक्त या नामित उप महाप्रबंधक के पद से नीचे का कोई भी अधिकारी "सक्षम प्राधिकारी" होगा। ऐसे सभी मामलों में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख "अपीलीय प्राधिकारी" होगा।

ई) केवल कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए

केवल कॉर्पोरेट कार्यालय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वस्तुओं की खरीद / अनुबंधों के पुरस्कार के लिए, जीएडी का प्रमुख "सक्षम प्राधिकारी" होगा और संबंधित कार्यकारी निदेशक (जीएडी) "अपीलीय प्राधिकारी" होगा।

ई) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उनके द्वारा उपलब्ध या प्राप्त किसी भी सूचना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने तथा ऐसे आदेश पारित करने की समग्र शक्ति होगी, जैसा वे उचित समझें, जिसमें इन दिशानिर्देशों के तहत किसी भी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को संशोधित करना भी शामिल है।

iv) 'जांच विभाग' से अभिप्राय किसी एजेंसी के आचरण की जांच करने वाले किसी विभाग या इकाई से होगा और इसमें सतर्कता विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राज्य पुलिस या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित कोई अन्य विभाग शामिल होगा, जिसके पास जांच करने की शक्तियां हों।

v) 'अनुमोदित एजेंसियों की सूची - पार्टियां / ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता / क्रेता / ग्राहक / बोलीदाता / निविदाकर्ताओं का अर्थ होगा और इसमें अनुमोदित / पंजीकृत एजेंसियों की सूची शामिल होगी - पार्टियां / ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता / क्रेता / ग्राहक / बोलीदाता / निविदाकर्ता, आदि।

#### 4. प्रतिबंध / निलंबन की शुरुआत

किसी भी एजेंसी के साथ व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध/निलंबन की कार्रवाई, उसके साथ व्यावसायिक लेन-देन करने वाले विभाग द्वारा, उनकी ओर से अनियमितताओं या कदाचार को देखते हुए, शुरू की जानी चाहिए। संबंधित विभाग के अलावा, प्रत्येक इकाई का सतर्कता विभाग/कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग भी ऐसी कार्रवाई की सलाह देने के लिए सक्षम हो सकता है।

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

#### 3. Definitions

In these Guidelines, unless the context otherwise requires:

- i) 'Party / Contractor / Supplier / Purchaser / Customer/Bidder/Tenderer' shall mean and include a public limited Bank or a private limited Bank, a firm whether registered or not, an individual, a cooperative society or an association or a group of persons engaged in any commerce, trade, industry, etc. 'Party / Contractor / Supplier / Purchaser / Customer/ Bidder / Tenderer' in the context of these guidelines is indicated as 'Agency'.
- ii) 'Inter-connected Agency' shall mean two or more companies having any of the following features:
  - a) If one is a subsidiary of the other.
  - b) If the Director(s), Partner(s), Manager(s) or Representative(s) are common;
  - c) If management is common;
  - d) If one owns or controls the other in any manner;
- iii) 'Competent Authority' and 'Appellate Authority' shall mean the following:
  - a) For Bank (entire CENTRAL BANK OF INDIA) wide Banning Executive Director (GAD) shall be the "Competent Authority" for the purpose of these guidelines. Chairman & Managing Director, CENTRAL BANK OF INDIA shall be the "Appellate Authority" in respect of such cases except banning of business dealings with Foreign Suppliers of imported coal/coke.
  - b) For banning of business dealings with Foreign Suppliers of imported goods, CENTRAL BANK OF INDIA Executive Directors" Committee (EDC) shall be the "Competent Authority". The Appeal against the Order passed by EDC shall lie with Chairman & Managing Director, as First Appellate Authority.
  - c) In case the foreign supplier is not satisfied by the decision of the First Appellate Authority, it may approach CENTRAL BANK OF INDIA Board as Second Appellate Authority.
  - d) For Zonal Offices only  
Any officer not below the rank of Deputy General Manager appointed or nominated by the Head of Zonal Office shall be the "Competent Authority" for the purpose of these guidelines. The Head of the concerned Zonal Office shall be the "Appellate Authority" in all such cases.
  - e) For Corporate Office only  
For procurement of items / award of contracts, to meet the requirement of Corporate Office only, Head of GAD shall be the "Competent Authority" and concerned Executive Director (GAD) shall be the "Appellate Authority".
  - e) Managing Director & CEO, CENTRAL BANK OF INDIA shall have overall power to take suo-moto action on any information available or received by him and pass such order(s) as he may think appropriate, including modifying the order(s) passed by any authority under these guidelines.
- iv) 'Investigating Department' shall mean any Department or Unit investigating into the conduct of the Agency and shall include the Vigilance Department, Central Bureau of Investigation, the State Police or any other department set up by the Central or State Government having powers to investigate.
- v) 'List of approved Agencies - Parties / Contractors / Suppliers / Purchasers / Customers / Bidders / Tenderers shall mean and include list of approved / registered Agencies - Parties/ Contractors / Suppliers / Purchasers / Customers / Bidders / Tenderers, etc.

#### 4. Initiation of Banning / Suspension

Action for banning / suspension business dealings with any Agency should be initiated by the department having business dealings with them after noticing the irregularities or misconduct on their part. Besides the concerned department, Vigilance Department of each Unit /Corporate Vigilance may also be competent to advise such action.



## सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

### 5. व्यावसायिक लेन-देन का निलंबन

5.1 यदि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करने वाली किसी एजेंसी का आचरण किसी विभाग (आयातित वस्तुओं के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को छोड़कर) द्वारा जाँच के अधीन है, तो सक्षम प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या जाँच के अधीन आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और क्या जाँच लंबित रहने तक एजेंसी के साथ व्यावसायिक व्यवहार जारी रखना उचित होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी, जाँच विभाग की सिफारिश सहित मामले पर विचार करने के बाद, यदि कोई हो, यह निर्णय लेता है कि जाँच लंबित रहने तक व्यावसायिक व्यवहार जारी रखना उसके हित में नहीं होगा, तो वह एजेंसी के साथ व्यावसायिक व्यवहार निलंबित कर सकता है। इस आशय के आदेश में जाँच के अधीन आरोपों का संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है। यदि यह निर्णय लिया जाता है कि निलंबन आदेश के दायरे में परस्पर संबद्ध एजेंसियाँ भी आएंगी, तो आदेश में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। निलंबन आदेश छह महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं होगा और इसकी सूचना एजेंसी और जाँच विभाग दोनों को दी जा सकती है। जाँच विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि उनकी जाँच पूरी हो जाए और अंतिम आदेश की पूरी प्रक्रिया उस अवधि के भीतर पूरी हो जाए।

5.2 निलंबन आदेश संयंत्रों/इकाइयों के सभी विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाएगा। निलंबन अवधि के दौरान, एजेंसी के साथ कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं किया जा सकेगा।

5.3 जहां तक संभव हो, एजेंसी के साथ मौजूदा अनुबंध तब तक जारी रह सकता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा निर्णय न ले।

5.4 यदि जांच के अधीन कदाचार की गंभीरता बहुत गंभीर है और समग्र रूप से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हित में नहीं होगा कि वह जांच लंबित रहने तक ऐसी एजेंसी से निपटे, तो सक्षम प्राधिकारी उपलब्ध सामग्री के साथ अपनी सिफारिश ईडी (जीएडी), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट कार्यालय को भेज सकते हैं। यदि कॉर्पोरेट कार्यालय का मानना है कि कदाचार की गंभीरता के आधार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सभी इकाइयों और सहायक कंपनियों के लिए संबंधित एजेंसी के साथ कोई भी लेन-देन करना वांछनीय नहीं होगा, तो कॉर्पोरेट कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी इकाइयों को व्यावसायिक लेन-देन निलंबित करने का आदेश जारी किया जा सकता है, जिसकी एक प्रति संबंधित एजेंसी को पृष्ठांकित की जा सकती है। ऐसा आदेश जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

5.5 आयातित वस्तुओं के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापारिक लेन-देन को निलंबित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

i) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का निलंबन सहायक कंपनियों सहित पूरे बैंक पर लागू होगा।

ii) ईडी (जीएडी) द्वारा अग्रप्रेषित या कॉर्पोरेट सतर्कता द्वारा सीधे प्राप्त शिकायत के आधार पर, यदि जाँच के अधीन कदाचार की गंभीरता गंभीर पाई जाती है और यह महसूस किया जाता है कि जाँच लंबित रहने तक ऐसी एजेंसी के साथ काम करना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हित में नहीं होगा, तो कॉर्पोरेट सतर्कता, कार्यपालक निदेशक, जीएडी को मामले पर ऐसी सिफारिश भेज सकती है ताकि उसे कार्यकारी निदेशक समिति (ईडीसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, जिसके संयोजक ईडी (जीएडी) होंगे। समिति रिपोर्ट की शीघ्र जाँच करेगी; ईडी, जीएडी द्वारा संदर्भ प्राप्त होने के इक्कीस दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ/सिफारिशें देगी।

iii) यदि ई.डी.सी. का मानना है कि यह निलंबन के लिए उपयुक्त मामला है, तो ई.डी.सी. आवश्यक आदेश पारित कर सकता है, जिसकी सूचना ईडी, जी.ए.डी. द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ता को दी जाएगी।

5.6 यदि संबंधित एजेंसी निलंबन के विस्तृत कारण पूछती है, तो एजेंसी को सूचित किया जा सकता है कि उसके आचरण की जाँच चल रही है। इस स्तर पर एजेंसी के साथ पत्राचार या बहस करना आवश्यक नहीं है।

5.7 निलंबन आदेश जारी करने से पहले एजेंसी को कोई कारण बताओ नोटिस या व्यक्तिगत सुनवाई देना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, यदि जाँच छह महीने की अवधि में पूरी नहीं होती है, तो सक्षम प्राधिकारी निलंबन की अवधि को तीन महीने के लिए और बढ़ा सकता है, जिसके दौरान जाँच पूरी होनी चाहिए।

6. वह आधार जिस पर व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है

6.1 यदि सुरक्षा संबंधी विचार, जिसमें राज्य के प्रति एजेंसी की निष्ठा का प्रश्न भी शामिल है, ऐसा आवश्यक हो;



## सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

### 5. Suspension of Business Dealings

5.1 If the conduct of any Agency dealing with CENTRAL BANK OF INDIA is under investigation by any department (except Foreign Suppliers of imported goods), the Competent Authority may consider whether the allegations under investigation are of a serious nature and whether pending investigation, it would be advisable to continue business dealing with the Agency. If the Competent Authority, after consideration of the matter including the recommendation of the Investigating Department, if any, decides that it would not be in the interest to continue business dealings pending investigation, it may suspend business dealings with the Agency. The order to this effect may indicate a brief of the charges under investigation. If it is decided that inter-connected Agencies would also come within the ambit of the order of suspension, the same should be specifically stated in the order. The order of suspension would operate for a period not more than six months and may be communicated to the Agency as also to the Investigating Department. The Investigating Department may ensure that their investigation is completed and whole process of final order is over within such period.

5.2 The order of suspension shall be communicated to all Departmental Heads within the Plants / Units. During the period of suspension, no business dealing may be held with the Agency.

5.3 As far as possible, the existing contract(s) with the Agency may continue unless the Competent Authority, having regard to the circumstances of the case, decides otherwise.

5.4 If the gravity of the misconduct under investigation is very serious and it would not be in the interest of CENTRAL BANK OF INDIA, as a whole, to deal with such an Agency pending investigation, the Competent Authority may send his recommendation to ED (GAD), CENTRAL BANK OF INDIA Corporate Office along with the material available. If Corporate Office considers that depending upon the gravity of the misconduct, it would not be desirable for all the Units and Subsidiaries of CENTRAL BANK OF INDIA to have any dealings with the Agency concerned, an order suspending business dealings may be issued to all the Units by the Competent Authority of the Corporate Office, copy of which may be endorsed to the Agency concerned. Such an order would operate for a period of six months from the date of issue.

5.5 For suspension of business dealings with Foreign Suppliers of imported goods, following shall be the procedure:-

- i) Suspension of the foreign suppliers shall apply throughout the Bank including Subsidiaries.
- ii) Based on the complaint forwarded by ED (GAD) or received directly by Corporate Vigilance, if gravity of the misconduct under investigation is found serious and it is felt that it would not be in the interest of CENTRAL BANK OF INDIA to continue to deal with such agency, pending investigation, Corporate Vigilance may send such recommendation on the matter to Executive Director, GAD to place it before Executive Directors Committee (EDC) with ED (GAD) as Convener of the Committee. The committee shall expeditiously examine the report; give its comments/recommendations within twenty one days of receipt of the reference by ED, GAD.
- iii) If EDC opines that it is a fit case for suspension, EDC may pass necessary orders which shall be communicated to the foreign supplier by ED, GAD.

5.6 If the Agency concerned asks for detailed reasons of suspension, the Agency may be informed that its conduct is under investigation. It is not necessary to enter into correspondence or argument with the Agency at this stage.

5.7 It is not necessary to give any show-cause notice or personal hearing to the Agency before issuing the order of suspension. However, if investigations are not complete in six months' time, the Competent Authority may extend the period of suspension by another three months, during which period the investigations must be completed.

### 6. Ground on which Banning of Business Dealings can be initiated

6.1 If the security consideration, including questions of loyalty of the Agency to the State, so warrants;

## सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

- 6.2 यदि एजेंसी के निदेशक/स्वामी, फर्म के प्रोपराइटर या साझेदार को पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ अपने व्यापारिक लेन-देन के संबंध में नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है;
- 6.3 यदि यह मानने का मजबूत औचित्य है कि निदेशक, प्रोपराइटर, साझेदार, एजेंसी के मालिक रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, निविदाओं के प्रतिस्थापन, अंतर्वेशन आदि जैसे कदाचार के दोषी हैं;
- 6.4 यदि एजेंसी पर्याप्त कारण बताए बिना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि वापस करने/वापस करने से लगातार इनकार करती है और यह किसी उचित विवाद के कारण नहीं है, जिसके लिए मध्यस्थता या न्यायालय में कार्यवाही की आवश्यकता होगी;
- 6.5 यदि एजेंसी किसी बर्खास्त/हटाए गए लोक सेवक को नियुक्त करती है या किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करती है जो भ्रष्टाचार या ऐसे अपराध के लिए उकसाने से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो;
- 6.6 यदि सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा एजेंसी के साथ व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;
- 6.7 यदि एजेंसी ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और/या दस्तावेजों में हेराफेरी/जालसाजी/छेड़छाड़ सहित भ्रष्ट, धोखाधड़ीपूर्ण कार्यवाहियों का सहारा लिया है;
- 6.8 यदि एजेंसी अनुबंध के तहत कार्य की स्वीकृति/निष्पादन में बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) या उसके अधिकारी पर धमकी/धमकी का उपयोग करती है या अनुचित बाहरी दबाव डालती है;
- 6.9 यदि एजेंसी संविदात्मक शर्तों के अनुपालन में बार-बार और/या जानबूझकर विलंब की रणनीति का उपयोग करती है;
- 6.10 एजेंसी द्वारा घटिया सामग्री की आपूर्ति में जानबूझकर लिप्तता, भले ही बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) द्वारा पूर्व-प्रेषण निरीक्षण किया गया हो या नहीं;
- 6.11 बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) या अन्यथा से संबंधित मामलों में उसकी ओर से दुर्भावनापूर्ण/गैरकानूनी कृत्यों या अनुचित आचरण के लिए एजेंसी के खिलाफ सीबीआई/पुलिस की जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर;
- 6.12 अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए एजेंसी की स्थापित मुकदमेबाजी प्रकृति;
- 6.13 कई अनुबंधों में एजेंसी का लगातार खराब प्रदर्शन;
- 6.14 यदि एजेंसी बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) के परिसर या सुविधाओं का दुरुपयोग करती है, बलपूर्वक कब्जा करती है, छेड़छाड़ करती है या बैंक की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें भूमि, जल संसाधन, वन/वृक्ष आदि शामिल हैं।
- (नोट: ऊपर दिए गए उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं तथा संपूर्ण नहीं हैं। सक्षम प्राधिकारी किसी भी उचित एवं पर्याप्त कारण से व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले सकता है।)
- 7 व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध
- 7.1 किसी भी एजेंसी के साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सहायक कंपनियों सहित पूरे बैंक पर लागू होना चाहिए।
- 7.2 प्रत्येक अंचल में एक स्थायी समिति होगी, जिसकी नियुक्ति आंचलिक कार्यालय प्रमुख द्वारा "व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध" के मामलों पर विचार करने के लिए की जाएगी, सिवाय विदेशी माल आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध के। हालाँकि, वस्तुओं की खरीद/ठेके देने के लिए, केवल कॉर्पोरेट कार्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, समिति में संचालन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग से महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक शामिल होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग का एक सदस्य समिति का संयोजक होगा। समिति के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे:
- जांच एजेंसी की रिपोर्ट का अध्ययन करना तथा निर्णय लेना कि क्या बैंक-व्यापी/स्थानीय इकाई-वार प्रतिबंध लगाने का प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, यदि नहीं, तो मामले को सक्षम प्राधिकारी को वापस भेजना।
  - संबंधित विभाग द्वारा एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की सिफारिश करना।
  - कारण बताओ नोटिस के उत्तर की जांच करना तथा आवश्यकता पड़ने पर एजेंसी को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाना।
  - प्रतिबंध लगाने या अन्यथा के लिए सक्षम प्राधिकारी को अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करना।

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

6.2 If the Director / Owner of the Agency, proprietor or partner of the firm, is convicted by a Court of Law for offences involving moral turpitude in relation to its business dealings with the Government or any other public sector enterprises or CENTRAL BANK OF INDIA, during the last five years;

6.3 If there is strong justification for believing that the Directors, Proprietors, Partners, owner of the Agency have been guilty of malpractices such as bribery, corruption, fraud, substitution of tenders, interpolations, etc.;

6.4 If the Agency continuously refuses to return / refund the dues of CENTRAL BANK OF INDIA without showing adequate reason and this is not due to any reasonable dispute which would attract proceedings in arbitration or Court of Law;

6.5 If the Agency employs a public servant dismissed / removed or employs a person convicted for an offence involving corruption or abetment of such offence;

6.6 If business dealings with the Agency have been banned by the Govt. or any other public sector enterprise;

6.7 If the Agency has resorted to Corrupt, fraudulent practices including misrepresentation of facts and / or fudging /forging /tampering of documents;

6.8 If the Agency uses intimidation / threatening or brings undue outside pressure on the Bank (CENTRAL BANK OF INDIA) or it's official in acceptance / performances of the job under the contract;

6.9 If the Agency indulges in repeated and / or deliberate use of delay tactics in complying with contractual stipulations;

6.10 Willful indulgence by the Agency in supplying sub-standard material irrespective of whether pre-dispatch inspection was carried out by Bank (CENTRAL BANK OF INDIA) or not;

6.11 Based on the findings of the investigation report of CBI / Police against the Agency for malafide / unlawful acts or improper conduct on his part in matters relating to the Bank (CENTRAL BANK OF INDIA) or even otherwise;

6.12 Established litigant nature of the Agency to derive undue benefit;

6.13 Continued poor performance of the Agency in several contracts;

6.14 If the Agency misuses the premises or facilities of the Bank (CENTRAL BANK OF INDIA), forcefully occupies, tampers or damages the Bank's properties including land, water resources, forests / trees, etc.

(Note: The examples given above are only illustrative and not exhaustive. The Competent Authority may decide to ban business dealing for any good and sufficient reason).

#### 7 Banning of Business Dealings

7.1 A decision to ban business dealings with any Agency should apply throughout the Bank including Subsidiaries.

7.2 There will be a Standing Committee in each Zone to be appointed by Head of Zonal Office for processing the cases of "Banning of Business Dealings" except for banning of business dealings with foreign suppliers of goods. However, for procurement of items / award of contracts, to meet the requirement of Corporate Office only, the committee shall be consisting of General Manager / Dy. General Manager each from Operations, Law & GAD. Member from GAD shall be the convener of the committee. The functions of the committee shall, inter-alia include:

- i) To study the report of the Investigating Agency and decide if a prima-facie case for Bank-wide / Local unit wise banning exists, if not, send back the case to the Competent Authority.
- ii) To recommend for issue of show-cause notice to the Agency by the concerned department.
- iii) To examine the reply to show-cause notice and call the Agency for personal hearing, if required.
- iv) To submit final recommendation to the Competent Authority for banning or otherwise.

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

7.3 यदि किसी अंचल की प्रतिबंध समिति द्वारा बैंक-व्यापी प्रतिबंध लगाने का विचार किया जाता है, तो समिति द्वारा अंचल कार्यालय के प्रमुख के माध्यम से ईडी (जीएडी) को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए जिसमें मामले के तथ्य और प्रस्तावित कार्रवाई का औचित्य सभी संबंधित कागजात और दस्तावेजों के साथ बताया जाना चाहिए। जीएडी अन्य सभी अंचलों से उस एजेंसी के बारे में फीडबैक प्राप्त करेगा और इस फीडबैक के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंध लगाने/या अन्यथा का प्रथम दृष्टया निर्णय लिया जाएगा। इस स्तर पर यदि सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि बैंक-व्यापी प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो मामला अंचल स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए अंचल कार्यालय के प्रमुख को वापस भेज दिया जाएगा। यदि बैंक-व्यापी प्रतिबंध लगाने का प्रथम दृष्टया निर्णय लिया गया है, तो ईडी (जीएडी) एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि उसे पूरे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

एजेंसी के उत्तर और मामले की अन्य परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करने के बाद, ईडी (जीएडी) बैंक-व्यापी प्रतिबंध या अन्यथा के लिए अंतिम निर्णय लेने के लिए मामले को सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

7.4 यदि सक्षम प्राधिकारी का प्रथम दृष्टया यह मत हो कि एजेंसी के साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है, तो पैराग्राफ 9.1 के अनुसार एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है और तदनुसार जांच की जा सकती है।

7.5 आयातित वस्तुओं के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया।

- एजेंसियों पर प्रतिबंध सहायक कंपनियों सहित पूरे बैंक पर लागू होगा।
- ईडी (जीएडी) द्वारा अग्रेषित या कॉर्पोरेट सतर्कता द्वारा सीधे प्राप्त शिकायत के आधार पर, यदि जांच के तहत कदाचार की गंभीरता गंभीर पाई जाती है और यह महसूस किया जाता है कि जांच लंबित रहने तक ऐसी एजेंसी के साथ काम करना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हित में नहीं होगा, तो कॉर्पोरेट सतर्कता इस मामले पर ऐसी सिफारिश कार्यकारी निदेशक, जीएडी को कार्यकारी निदेशकों की समिति (ईडीसी) के समक्ष रखने के लिए भेज सकती है, जिसमें ईडी (जीएडी) समिति के संयोजक होंगे।
- समिति रिपोर्ट की शीघ्र जांच करेगी, तथा कार्यकारी निदेशक, सामान्य प्रशासन द्वारा संदर्भ प्राप्त होने के इक्कीस दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां/सिफारिशें देगी।
- यदि ईडीसी का मानना है कि यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए उपयुक्त मामला है, तो वह ईडी (जीएडी) को उचित अवधि के भीतर जवाब देने के लिए एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश देगा।
- उत्तर प्राप्त होने पर या निर्धारित अवधि की समाप्ति पर, मामला ईडी (जीएडी) द्वारा ईडीसी को विचार एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- ईडीसी का निर्णय ईडी (जीएडी) द्वारा एजेंसी को सूचित किया जाएगा।

8 अनुमोदित एजेंसियों की सूची से हटाना - आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार, आदि।

8.1 यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेता है कि एजेंसी के विरुद्ध आरोप मामूली प्रकृति का है, तो वह कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों न एजेंसी का नाम अनुमोदित एजेंसियों - आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों आदि की सूची से हटा दिया जाए।

8.2 ऐसे आदेश का प्रभाव यह होगा कि एजेंसी को खुली निविदा पूछताछ में प्रतिस्पर्धा करने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन संबंधित एजेंसी को सीमित निविदा पूछताछ (एलटीई) नहीं दी जा सकती है।

8.3 अनुबंध प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रक्रिया करते समय एजेंसी के पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखा जा सकता है।

9 कारण बताओ नोटिस

9.1 यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेता है कि किसी एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई आवश्यक है, तो एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के साथ कदाचार या दुरु्यवहार का आरोप लगाने वाला एक बयान संलग्न किया जा सकता है और एजेंसी को 15 दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए।

9.2 यदि एजेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास मौजूद किसी प्रासंगिक दस्तावेज के निरीक्षण का अनुरोध करती है, तो दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान की जा सकती है।

9.3 सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार कर उचित आदेश पारित कर सकता है:

### सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

7.3 If Bank wide banning is contemplated by the banning Committee of any Zone, the proposal should be sent by the committee to ED (GAD) through the Head of the Zonal Office setting out the facts of the case and the justification of the action proposed along with all the relevant papers and documents. GAD shall get feedback about that agency from all other Zones and based on this feedback, a prima-facie decision for banning / or otherwise shall be taken by the Competent Authority. At this stage if it is felt by the Competent Authority that there is no sufficient ground for Bank wide banning, then the case shall be sent back to the Head of Zonal Office for further action at the Zone level. If the prima-facie decision for Bank-wide banning has been taken, ED (GAD) shall issue a show-cause notice to the agency conveying why it should not be banned throughout CENTRAL BANK OF INDIA.

After considering the reply of the Agency and other circumstances and facts of the case, ED (GAD) will submit the case to the Competent Authority to take a final decision for Bank-wide banning or otherwise.

7.4 If the Competent Authority is prima-facie of view that action for banning business dealings with the Agency is called for, a show-cause notice may be issued to the Agency as per paragraph 9.1 and an enquiry held accordingly.

7.5 Procedure for Banning of Business Dealings with Foreign Suppliers of imported goods.

- Banning of the agencies shall apply throughout the Bank including Subsidiaries.
- Based on the complaint forwarded by ED (GAD) or received directly by Corporate Vigilance, if gravity of the misconduct under investigation is found serious and it is felt that it would not be in the interest of CENTRAL BANK OF INDIA to continue to deal with such agency, pending investigation, Corporate Vigilance may send such recommendation on the matter to Executive Director, GAD to place it before Executive Directors' Committee (EDC) with ED (GAD) as Convener of the Committee.

- The committee shall expeditiously examine the report, give its comments/recommendations within twenty one days of receipt of the reference by ED, GAD.
- If EDC opines that it is a fit case for initiating banning action, it will direct ED (GAD) to issue show-cause notice to the agency for replying within a reasonable period.
- On receipt of the reply or on expiry of the stipulated period, the case shall be submitted by ED (GAD) to EDC for consideration & decision.
- The decision of the EDC shall be communicated to the agency by ED (GAD).

8 Removal from List of Approved Agencies - Suppliers / Contractors, etc.

8.1 If the Competent Authority decides that the charge against the Agency is of a minor nature, it may issue a show-cause notice as to why the name of the Agency should not be removed from the list of approved Agencies - Suppliers / Contractors, etc.

8.2 The effect of such an order would be that the Agency would not be disqualified from competing in Open Tender Enquiries but Limited Tender Enquiry (LTE) may not be given to the Agency concerned.

8.3 Past performance of the Agency may be taken into account while processing for approval of the Competent Authority for awarding the contract.

### 9 Show-cause Notice

9.1 In case where the Competent Authority decides that action against an Agency is called for, a show-cause notice has to be issued to the Agency. Statement containing the imputation of misconduct or misbehavior may be appended to the show-cause notice and the Agency should be asked to submit within 15 days a written statement in its defense.

9.2 If the Agency requests for inspection of any relevant document in possession of CENTRAL BANK OF INDIA, necessary facility for inspection of documents may be provided.

9.3 The Competent Authority may consider and pass an appropriate speaking order:



**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक**

क) यदि आरोप सिद्ध न हों तो एजेंसी को दोषमुक्त करने के लिए;

(ख) एजेंसी को अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों आदि की सूची से हटाने के लिए।

ग) एजेंसी के साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के लिए।

9.4 यदि वह व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेता है, तो प्रतिबंध की अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिए। आदेश में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह प्रतिबंध एजेंसी की परस्पर संबद्ध एजेंसियों पर भी लागू होगा।

10 सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील

10.1 एजेंसी, व्यावसायिक लेन-देन आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकती है। अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष की जाएगी। ऐसी अपील व्यावसायिक लेन-देन आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर की जानी चाहिए।

10.2 अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेगा और उचित आदेश पारित करेगा, जिसकी सूचना एजेंसी के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी को भी दी जाएगी।

11 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय की समीक्षा

एजेंसी द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल रूप से पारित प्रतिबंध आदेश की समीक्षा के संबंध में दायर की गई कोई भी याचिका/आवेदन, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने से पहले या बाद में, या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निपटारे के बाद, नए तथ्यों/परिस्थितियों के प्रकट होने या ऐसी समीक्षा की आवश्यकता वाले बाद के घटनाक्रम के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा याचिका पर निर्णय लिया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी, मामले के अनुसार, उसी याचिका को जांच और सिफारिश के लिए स्थायी समिति/ईडीसी को भेज सकता है।

12 उन एजेंसियों के नामों का प्रसार जिनके साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

12.1 स्थापित कदाचार की गंभीरता के आधार पर, कॉर्पोरेट कार्यालय का सक्षम प्राधिकारी उन एजेंसियों के नाम प्रसारित कर सकता है जिनके साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि वे उचित समझे जाने पर कार्रवाई कर सकें।

12.2 यदि सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम उस एजेंसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अनुरोध करता है जिसके साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की एक प्रति प्रदान की जा सकती है।

12.3 यदि किसी एजेंसी के साथ व्यापारिक लेन-देन पर केन्द्र या राज्य सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिना किसी अतिरिक्त पूछताछ या जांच के, एजेंसी और उससे संबंधित एजेंसियों के साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर सकता है।

12.4 उपरोक्त के आधार पर, क्षेत्रीय कार्यालय दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं और इसे निविदा दस्तावेजों का हिस्सा बनाया जा सकता है।

**\*\*दस्तावेज का अंत\*\***

---

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

---

- a) For exonerating the Agency if the charges are not established;
- b) For removing the Agency from the list of approved Suppliers / Contactors, etc.
- c) For banning the business dealing with the Agency.

9.4 If it decides to ban business dealings, the period for which the ban would be operative may be mentioned. The order may also mention that the ban would extend to the interconnected Agencies of the Agency.

10 Appeal against the Decision of the Competent Authority

10.1 The Agency may file an appeal against the order of the Competent Authority banning business dealing, etc. The appeal shall lie to Appellate Authority. Such an appeal shall be preferred within one month from the date of receipt of the order banning business dealing, etc.

10.2 Appellate Authority would consider the appeal and pass appropriate order which shall be communicated to the Agency as well as the Competent Authority.

11 Review of the Decision by the Competent Authority

Any petition / application filed by the Agency concerning the review of the banning order passed originally by Competent Authority under the existing guidelines either before or after filing of appeal before the Appellate Authority or after disposal of appeal by the Appellate Authority, the review petition can be decided by the Competent Authority upon disclosure of new facts / circumstances or subsequent development necessitating such review. The Competent Authority may refer the same petition to the Standing Committee/EDC as the case may be for examination and recommendation.

12 Circulation of the names of Agencies with whom Business Dealings have been banned

12.1 Depending upon the gravity of misconduct established, the Competent Authority of the Corporate Office may circulate the names of Agency with whom business dealings have been banned, to the Government Departments, other Public Sector Enterprises, etc. for such action as they deem appropriate.

12.2 If Government Departments or a Public Sector Enterprise request for more information about the Agency with whom business dealings have been banned, a copy of the report of Inquiring Authority together with a copy of the order of the Competent Authority / Appellate Authority may be supplied.

12.3 If business dealings with any Agency has been banned by the Central or State Government or any other Public Sector Enterprise, CENTRAL BANK OF INDIA may, without any further enquiry or investigation, issue an order banning business dealing with the Agency and its interconnected Agencies.

12.4 Based on the above, Zonal Offices may formulate their own procedure for implementation of the Guidelines and same be made a part of the tender documents.

**\*\* END OF THE DOCUMENT \*\***